

Human Rights in the Cold in the Coal Capital

FACT FINDING REPORT

UNLAWFUL ARREST AND DETENTION

AND CUSTODIAL TORTURE LEADING TO


THE DEATH OF AKHILESH SHAH,

CUSTODIAL TORTURE OF SANJAY SHAH, AND

DEATH OF NAQEEB AHMAD SIDDIQI DUE

TO UNPROVOKED POLICE FIRING IN

SINGRAULI, MADHYA PRADESH



Human Rights in the Cold in the Coal Capital

Report of the Independent Fact Finding Committee

In the matter unlawful arrest and detention and custodial torture leading to the death of Akhilesh Shah, Custodial torture of Sanjay Shah, and death of Naqeeb Ahmad Siddiqui due to unprovoked police firing in Singrauli, Madhya Pradesh, in December 2013

February 2014

© Copyleft

For Private Circulation

For Copies please contact:

Delhi Forum
F 10/12 (Basement) Malviya Nagar
New Delhi-110017

PAIRVI
G-30, First Floor, Lajpat Nagar 3
Delhi-110024
Contact No. - +91-11-29841266
Email -pairvidelhi1@gmail.com, pairvidelhi@rediffmail.com

Human Rights in the Cold in the Coal Capital

Fact Finding Report

In the matter of unlawful arrest and detention and custodial torture leading to the death of Akhilesh Shah, custodial torture of Sanjay Shah and death of Naqeeb Ahmad Siddiqui due to unprovoked police firing in Singrauli, Madhya Pradesh, December 2013

Abbreviations

CEPI	Comprehensive Environmental Pollution Index
CIL	Coal India Limited
CPCB	Central Pollution Control Board
DF	Delhi Forum
Exim Bank	Export Import Bank(s)
FFT	Fact Finding Team
IFFM	Independent Fact Finding Mission
NCL	Northern Coalfields Limited
NTPC	National Thermal Power Corporation
PAIRVI	Public Advocacy Initiative for Rights and Values in India
TPP	Thermal Power Plant(s)
TPS	Thermal Power Station
UMPP	Ultra Mega Power Plant(s)
WB	World Bank

Table of Contents

Acknowledgement	3
Chapter 1	
Why this Fact Finding Mission	4
Chapter 2	
A very brief introduction to Singrauli and its transformation	6
Chapter 3	
Investigating the present case – Custodial Torture, Death, Police Firing	10
Chapter 4	
Meeting Affected Families	16
• Meeting with families of the deceased Mr. Akhilesh Shah	16
• Meeting with family and neighbours of the deceased of police	19
firing Mr. Naqeeb Ahmad Siddiqui	
• Meeting with district officials	20
Chapter 5	
Circumstantial evidence and visit to places of occurrence	22
Conclusion	23
Recommendations	27
Annexures	28
• TOR of the fact Finding Team	28
• Brief introduction of the fact finding team	30
• Singrauli – list of coal mines and coal power plants	31
• Hindi rendition of the report of the Committee by Justice Pana	34
Chand Jain	
• Affidavits/Memorandum given to various authorities by family of the	64
victims	

Acknowledgements

The Independent Fact Finding Team, led by Justice (retired) Pana Chand Jain takes this opportunity to thank all those who contributed directly or indirectly or facilitated its visit and fact finding.

We sincerely thank the entire family/ extended family of Akhilesh, the deceased and of Naqeeb for their cooperation in spite of their family tragedies. The neighbours and friends/ acquaintances of both the deceased deserve our profound thanks, as they cooperated in our endeavour of unravelling the chain of events – in spite of their grief and being in very high stress.

We thank the Delhi Forum and PAIRVI (Public Advocacy Initiatives for Rights and Values in India), for helping and facilitate the working of the team.

We also thank the Singrauli based Srijan Lokhit Samity, and its chief functionary Shri Awadhesh Kumar, for the initial information about the events which triggered this Fact Finding mission and for facilitating several interactions with the affected families and the local people.

We also thank the District Collector, Shri Selvandran, for the extensive explanations / informations from the administration side, and his patience and courtesy in answering our many questions over about two hours.

We thank the lawyer's community in Singrauli, for their kind cooperation with the FF team over two days of its visit, and in providing many details from their intimate knowledge of the situation – being first hand witnesses to some of the happenings in the past and present, and also for giving their perspective.

The many officials, staff of 'Shatabdi' hospital of NCL (where the people with bullet-wounds were admitted) and staff of the district hospital – all deserve our thanks for their cooperation in letting us talk to the wounded and the eye-witnesses.

The staff and management of Rajkamal Hotel, Wadhan also deserve our thanks, for arranging rooms and facilities in short notice, for meetings and briefings.

We also thank the many media representatives who took keen interest in the FF mission and raised pertinent questions.

Fact Facting Team

Why this Fact Finding Mission

Singrauli area – divided between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, has been in the news for quite a long time (at least for the last two decades), for various reasons. This is home to a large number of coal mines and coal based Thermal Power Plants (TPPs). For the last 30 years or so, the character of the area has changed drastically, from a well forested, 'Adivaasi' (tribal / indigenous people) inhabited far-off region somewhere in east-central India, to a hub of coal mining and electric power production. Large scale losses to the forest lands took place, which were diverted for all these mega projects. Along with this, due to the extremely polluting nature of the coal industries, Singrauli also had the infamous tag of being one of the most critically polluted areas in India ¹, taking its toll on the residents. The pollution became so critical that the Ministry of Environment and Forests was forced to put a moratorium on any new industrial unit here (later lifted).² Associated with this drastic and rapid transformation, are many social and economic strains and stresses, and some of these have resulted in shady activities, violence and more in the past. The present times have seen an increase in these tensions for various reasons, briefly explained in the next section.

On the evening of 13th of December, 2013, Delhi based rights and social support groups – PAIRVI and Delhi Forum got the information from their contacts in the area that, on that day police have attacked and fired upon a demonstration by a group of people who were protesting the alleged custodial torture and death of one of their young family members. It was also reported that another young person died in the police firing and three others including two school children received bullet wounds. Widespread violence in the district headquarters town of Waidhan was also reported. This information was confirmed in some news reports. It was also reported that the local district administration is using heavy-handed and threatening ways, including intimidation by police forces, to suppress the anger and outburst of emotions resulting out of these incidents.

Given the already troubled and stressed nature of the area and the sensitivity of such events to the long suffering local population, these Delhi-based groups felt that these events could snowball and lead to more violence and there is a need to find out the details of these untoward happenings, bring them to the public domain and help restore normalcy. Srijan Lokhit Samity, who also alerted these Delhi based groups about the developments, was requested to facilitate the working of an independent fact finding committee.

The two Delhi based organizations consulted a few other groups in Delhi and then approached a retired justice of the Rajasthan High Court, Justice (retd) Pana Chand Jain,

who graciously agreed to lead the FF mission, considering the seriousness of the events. Some other people were also approached by the two groups, and finally a team led by Justice Jain was constituted by December 22. The team left for Singrauli on December 24, and spent 25th and 26th of December speaking to a range of stake holders, eye witnesses and locals.



Members of the FF Team listening to family members of Akhilesh and recording their testimonies. Justice (retd) Jain is on the left.

The other members were senior activist Ms Ajitha George from Jharkhand Mines Area Coordination Committee (JMAAC), Mr Soumya Dutta – the National Convenor of Bharat Jan Vigyan Jatha (BJVJ) and convenor of Climate and Energy Group of Beyond Copenhagen collective (BCPH), Mr Sanjeev Kumar – Coordinator of Delhi Forum and Mr Ajay Kumar Jha – Director of PAIRVI (Public Advocacy Initiatives for Rights and Values in India). This team left for Singrauli on the morning of 24th of December, 2013. Ms Aradhana Bhargava, an Advocate based in Madhya Pradesh, also joined the Fact Finding team on 25th December - as a member, in Waidhan itself. This six member FF team met a wide range of local people over two full days, and also held discussions with the administration, the lawyers, some media persons who were witness to the events and others who could have been useful in giving the picture.

Brief Introduction to Singrauli and its Transformation

Geography

As mentioned in the previous section, Singrauli is a large geographic area presently divided between the two Indian States of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, spread over Sonebhadra, Sidhi and newly formed Singrauli districts. Coal was discovered in Singrauli around 1840⁴, and ever since that time, its ‘development’ has been linked to this black mineral. This area has also been identified several decades back – by the Geological Survey of India – to be one of the richest coal-bearing areas in India⁵.

The following description is from Wikipedia⁶--

Singrauli	Country  <i>India</i> State <i>Madhya Pradesh</i> District <i>Singrauli</i>
 Singrauli Location in Madhya Pradesh, India – extreme right of the right side ‘bulge’ Coordinates:  24.202°N 82.666°E Coordinates:  24.202°N 82.666°E	Area(coal bearing) • Total 2,200 km² (800 sq mi)
	Languages <i>Hindi, Bagheli, Bhojpuri, English</i>

*“The area in the eastern part of the state of MADHYA Pradesh and the adjoining southern part of Renukoot district in the state of UP is collectively known as Singrauli. Singrauli is emerging as India’s Energy capital, the place earlier known as Shringavali, named after the sage Shringi, was **once upon a time covered with dense and unnavigable forests and inhabited by wild animals.** The place was considered so treacherous that it was used by the Kings of Rewa State, who ruled the area till 1947, as an open air prison for detaining errant civilians and officers.*

Just two generations ago, small holders were tending their parcels of land here, and the original inhabitants were gathering honey and herbs in the forest. In the late fifties, a large scale dam banked up the water of the River Rihand. The dam and its reservoir known as GovindVallabh Pant Sagar, was inaugurated by Pt. Jawahar Lal Nehru in 1962. Later, rich coal deposits spread over an area of 2200 km² in the state of M.P. (eastern part of Sidhi District) and U.P. (southern part of Sonebhadra District) were discovered close to the artificial lake that could be used to generate electricity.^[1]

On 24 May 2008, Madhya Pradesh government has declared Singrauli as its 50th district by separating from Sidhi with 3 tehsils viz. Singrauli, Chitrangi and Deosar. On 1 April 2012 two new tehsils are added viz. Mada and Sarai.”

The Singrauli Coalfield is located between latitudes 24^o12' N and 23^o 47' N. It is spread over nearly 2,200 square kilometres (850 sq mi) but only a small part of the coalfield, around 220 square kilometres (85 sq mi), has been identified as promising by the Geological Survey of India. The north-eastern part of the coalfield sits on a plateau with an altitude of 500m above mean sea level, well above the lower plains of 280m altitude.

Social and Economic condition and multiple transformations: a saga of repeated displacements and deprivations

Singrauli area has a large percentage of Adivaasi (tribal / indigenous people) population, consisting of Baigas, Gondhs, and others. The economic condition of adivaasi's – almost everywhere in India – is at the bottom. And this being a state which itself is placed very low on the economic and social development indicators – Madhya Pradesh sits at the 20th place in terms of Human Development Index (at a pathetic 0.375 compared to the best states' figures of .075 and even far below the national average of 0.467) amongst the 23 Indian States which are listed in the **2011 India National Human Development Report** – the adivaasi and other poor people are perilously close to destitution level (unless access to undisturbed forests and other natural resources are ensured).

In such an area, a large number of people – both adivaasi and non-adivaasi – got displaced when the Rihand dam on the Rihand River created the huge Govind Ballabh Pant Sagar reservoir in the 1950s. Many villages, farmlands and homes got submerged, and the displaced people were pushed off to the nearby areas – often without much compensation or any rehabilitation. Large amounts of forest lands also got alienated from these people. It was said at that time that this reservoir will provide irrigation water to a large area in the vicinity – transforming the local economy and the fortune of farmers, one of the “temples of modern India” in the language of then Prime Minister of India - Jawaharlal Nehru. When extensive and rich deposits of coal were discovered in the area, not far from the reservoir and new coal mines were started by the Northern Coalfields Limited (NCL) – a subsidiary of the state owned Coal India Limited (CIL), many of these already displaced people were uprooted from their places of settlements – for a second time. The extent of forest land taken and destroyed - for these mines and thermal power plants, and thus pushing the forest dependent people further into poverty – has kept on increasing ever since. By a rough estimate, this forest land (including revenue forest land) diversion for coal projects

since 1980 has reached almost 6,000 Hectares, including 'in principle approval' for diversion. This continuing and massive loss of forest lands, acquisition of farm lands at low compensations and the adverse impact on farming from massive pollution from coal plants, have quickly dried up the many nature dependent livelihoods that existed, and pushed local people towards scavenging, pilferage and even petty thefts.



The massive 'scars' of coal mines causing deforestation and huge pollution of the waters of the Rihand dam reservoir. The large coal-based TPPs (Anpara, Vindhya,...) are also consuming massive amounts of water and often discharging polluting waste into this, and this is visible in this Google image.

In the late 1970s, when a wave of coal mining and thermal power plants began in the area, starting with the NTPC owned Rihand and Singrauli coal based power stations, many of these once displaced local people were displaced again from whatever little natural resources they still had access to for life and livelihoods. Getting access to cheap power and abundant water from the Rihand dam's reservoir, other mega industries like aluminium and cement plants also established their operations here, capturing more of the land and waters – which was originally meant for farming. **Thus, a natural resource dependent, sustainable large community was reduced to poverty and dependence on a few petty works coming out of the 'new industrialisation'.** Along with the displacements, the large number of coal mines and coal power plants also contributed to the massive pollution of the water sources, of the air and of agricultural lands – thus dealing a fatal blow to many natural eco-systems which sustained local populations. From a pristine forested area supporting a dignified life for both adivaasi and non-adivaasi people, Singrauli became 'One of the most polluted industrial areas' with a CEPI of 81.73 (sitting high in the list of critically polluted industrial areas, by CPCB, based on CEPI (Comprehensive Environmental Pollution Index).

In spite of these double displacements and deprivations of their sources of life and livelihoods, many local people tried to manage their lives with whatever sources of income

they could find from nature and from the occasional petty jobs in these new industries. As this phase of coal mining and power plants was driven by state owned (public sector) corporations, the interface between them and the local people was not brutal, though often tense. Often some of the families whose land was taken, were compensated with a job in the plant or mine (though these never exceeded a small fraction of the total number of physically displaced, not to talk of those impacted health and livelihood wise) by these public sector units, along with the little monetary compensations. Many educated and enterprising youth of the area also got into petty supply and services businesses for these companies. A third category of sources of income for many of the poorest locals was 'scavenging' bits and pieces of coal left in the mining area, picking up small pieces of 'scrap' metal, and also 'stealing' a few junked and discarded items from these industrial plants which often lay on the peripheries of the plant boundaries. Incidents of pilferage of vehicle fuels etc. also became a source of earning – not unusual in these kind of mixed (better paid and cared for industrial workers, local petty business people and suppliers and the impoverished and displaced locals) populations.

In the new century, after the 'liberalization' of the power sector – especially after the 2003 Electricity Act - the scenario in Singrauli changed again for the worse. Several mega coal power plants either started working or construction started, with most of these being in the private sector (as clearly seen in Annexure 4 – those projects / companies starting 2007 onwards are in the mega private sector). The governments – both central and state - played the role of facilitators to these mega projects, with help in (often brutally forceful) land acquisition, getting clearances, providing infrastructural facilities for setting these plants etc., as a "shining India" embarked on the path of a rapid and ruthless industrialisation (a list of major coal mines and coal power plants in Singrauli area is given in Annexure 4 - from Wikipedia). The practices of the public sector coal mines and power companies – of trying to providing some jobs (even if low paid ones) to those whose land has been acquired, got thrown out of the window. The coercive measures to force people out of their homes and lands increased, as did the violence against protesters. Also hit were the labour practices, as the private companies brought in labour from other states, mostly to avoid demands for adhering to proper working conditions and wages – which the local labour force often raised. These led to further deprivations and marginalisation of the displaced locals.

As a result of this second transformation (coming into the third phase of this grotesque 'development') in the ground situation in Singrauli, many poorer people were made literally paupers ('Bhikharis') and were left with no other option but to make a living out of either begging or 'scavenging' small amounts of left over coal or other scrap – legally cases of 'stealing' by a pushed-to-the-brink people. Thus, it is a common feature in this (and in many other similar areas with massive industrialisation and displacement of locals) area, and often the companies looked at this as a safety valve to contain built-up anger and frustration of the deprived people. Along with these, there are number of cases of bigger players in the theft of major scraps, coal etc – often by organized groups and in all likelihood – in connivance of police and officials.

Investigating the Present Case – Custodial Torture, Death, Police Firing

The genesis of the present case is supposedly some similar incidents of theft of diesel from company vehicles, by one of the accused, Vijay Shah. At least that is what the police and the district administration presented. The facts on the ground do not indicate this to be the primary reason. It is very hard to believe that in such a scenario of wide-spread petty thefts - a few petty diesel theft cases by a person (Vijay Shah in this case) or two, will invite a targeted manhunt for Vijay by the Superintendent of Police himself. It is also beyond reasonable logic that these theft cases pushed the police to pick up Vijay's relatives Akhilesh (against whom the police had no case) and Sanjay, and subject them to extreme tortures, as a result of which – allegedly – Akhilesh died. Sanjay is in a very bad shape (picture below), but was able to give statements about the direct and personal involvement of the SP and the station house officer in his beating /torture.

To find out the chain of events, the factors leading to these unfortunate incidents and arrive at some reasonable conclusions – the fact finding team went to all kinds of 'stake-holders' in Singrauli, met the family and friends of the diseased – Akhilesh and Naqeeb, talked to local reporters and many lawyers (both of whom witnessed the December 13 incidents (from different vantage points). It also visited and talked to the people with bullet injuries, locals who were around on that day and of course, the district magistrate/ collector. The FF team also inspected the sites of the incidents – the well where Akhilesh's body was found and the houses nearby, the street on which police firing took place, the district hospital where police and administration went lathi-charging, the Muslim localities where the police went on a rampage on the evening of December 13. Several activists and concerned citizens also deposed before the FF team. What is placed below, is a quickly put down version of the garnered knowledge and understanding - from all these efforts, by the collective efforts, and after due verification by best efforts.



Sanjay Shah, a cousin of the 'theft accused' who was brutally beaten by the police.

The severity and brutality of police (and administrative) actions indicate a much bigger plot, and this needs to be investigated by a competent agency. Something which is also not very clear is the deep involvement of the district administration in collaborating with the corporations there in Singrauli, in taking unprecedented repressive actions, often on complaints of these corporate officials.



1. The father Bharat Lal Shah (centre) and relative Manrakhah Shah (right) – of the diseased Akhilesh - giving statements /testimonies about the events. A senior local journalist (left) is also present here.



2. Naqeeb's maternal uncle got beaten by the police, for trying to take him to hospital after he got hit by police bullet.



3. Police lathi charging the protesting people inside the district hospital (photo from local media)




4. People giving testimonies about the events at Akhilesh's house.



5. Naqeeb's friends, family and acquaintances– in the Muslim dominated areas - giving statements/ testimonies to the FF team.



6. The place on the main road in Waidhan where police firing took place. Several people who got bullet injuries – were spread widely on this road.



7. Seemingly, Police firing was not concentrated only towards the protesting 'mob', many bystanders spread around also got injured. This person got injured in the firing in his ears and was standing on opposite side of the 'mob'.



8. The "prime accused" of diesel theft – Vijay Shah. The accusation was/is of theft of diesel from company vehicles. It's hard to believe that this is such a serious and

major crime to engage the entire police force of the district, including the SP in person!



9. The well where Akhilesh's dead body was found on 13th December, after the police hinted the previous night that Akhilesh 'might have fallen in the well'. This led to the protest demonstration by his relatives and friends, on which the police opened fire. The well is located so close to the house where Akhilesh was visiting, that the commotion of police chasing, and someone falling in the well – would be easily heard by the family there. Thus the police version clearly seems fabricated.

Meetings with Affected Families

4.1 Meeting with the family and neighbours of the deceased Mr. Akhilesh Shah

The fact finding team met with families of deceased Akhilesh Shah and recorded their statements. The statements of Mr. Bharat Lal Shah (father of the deceased), Mrs. Lilavati (mother of the deceased), Mr. Naresh Shah (uncle of the deceased) and Mr. Manrakhn Shah (uncle of the deceased) were recorded as below:

4.1.1 Mr. Bharat Lal Shah (works as typist in the court campus), father of the deceased Mr. Akhilesh Kumar Shah deposed that on the night of the 5th, Akhilesh went to the house of his maternal uncle Mr. Shiv Sagar Shah (works at NCL) at Amjhar. When he did not come back on evening of the 6th December 2013, Mr. Bharat Lal Shah enquired about his son, and got to know that SHO Mr. R S Rajput who came looking for Vijay Krishna Shah and Mr. Sanjay Krishna Shah (sons of Mr. Shiv Sagar Shah alleged to have been involved in stealing with diesel from NCL) on the night of the 5th took away Akhilesh along with him on the instructions of the SP, Mr. Jaydevan A. Akhilesh went out of the house to give police team the keys of the new Tata Safari, which they were trying to confiscate and lift with a crane (Hydra).

4.1.2 Mr. Bharat Lal Shah, after knowing this called the SP from his mobile phone (9826861168) at 07.07 pm enquiring about his son. He was told by the SP that Akhilesh will be released when they will produce Mr. Vijay Krishna Shah and Sanjay Krishna Shah (sons of Mr. Shiv Sagar Shah and maternal cousins of Akhilesh) before the police.

4.1.3 On 7th December a delegation including Mr. Ram Nivas Shah (Distt. President, BJP), Mr. Naresh Shah (Vice Chair, Singrauli Development Authority), and Mr. Bharat Lal Shah, met the SP at his office at 11.30 asking for the whereabouts of Mr. Akhilesh Shah. The SP talked to Waidhan Thana and told them that they have only confiscated the Safari and denied having any knowledge about illegal arrest and confinement of Mr. Akhilesh Shah. He also said that they will find Akhilesh by the evening.

4.1.4 On 7th itself Mr. Bharat Lal Shah went to file an FIR about the unlawful arrest and detention of Akhilesh by the Police with TI Mr. R S Rajput. The TI saw the complaint and threatened that "if you want to file an FIR, then I will have to arrest you forthwith." He also suggested Mr. Bharat Lal Shah to file a missing persons report instead. Mr. Bharat Lal Shah was alone and he got terrified.

4.1.5 On 8th at 10.00 am Mr. Bharat Lal Shah filed a missing persons report as suggested by the TI. He was not given a receipt. The TI assured that his son will be found in couple of days.

4.1.6 On 9th December Mr. Ram Niwas Shah spoke to IG Rewa range about Akhilesh. Soon after that the SP called them and told them to file a missing persons report. He also said that Vijay and Sanjay have abducted Akhilesh and that he will be found in couple of days.

4.1.7 On 9th Mr. Bharat Lal Shah along with his wife Mrs. Lilavati met the SP and prayed release their son. SP said to Lilavati that Mr. Bharat Lal Shah knows whereabouts of his son, and if they ask for his son any more he will Mr. Bharat Lal Shah behind the bars. He said that they should keep looking for

him and police is also looking for him, and that he will be found in couple of days. He left in his vehicle soon after.

4.1.8 On 11th Mr. Bharat Lal Shah, Mr. Naresh Shah and Mr. Ram Niwas Shah faxed a memorandum to the CM, Chief Secretary, IG Rewa range, DGP, Collector and SP, asking to look into the matter of Akhilesh.

4.1.9 On 11th the TI met Mr. Naresh Shah at Dr. T Singh's Pathology Lab and said that if Akhilesh is not found, he will resign from his 31 year old service.

4.1.10 On 11th Akhilesh's mother Mrs. Lilavati received a phone call on number 8602078002 at around 3.00 pm, and heard a very faint "hello...hello." She suspected that the Akhilesh was on the phone and said "Akhilesh...Akhilesh" but the phone was disconnected.

4.1.11 A call was returned on the number from which the call was made by Mr. Bharat Lal Shah, however, there was no response from the other side. Later on they received a call from the same number asking for the details of the consumer and saying that the call was from Tata Indicom and that the number was about to be disconnected, but since they have the details of the consumer now, the services will continue.

4.1.12 On 12th a memorandum was faxed to the SDM, SP, IG Rewa Range saying that if Akhilesh was not produced by 10. Am on 13th, people and family members of Akhilesh will ghearo thana. (Annexure...)

4.1.13 On 13th December, at around 8.00 am Mr. Bharat Lal Shah came to know that the dead body of Akhilesh has been found in well in Amjhar. His body bore marks to beating and signs of intravenous injection on his wrist.

4.1.14 On the discovery of the dead body of Akhilesh, people started assembling in groups and it was expected that people will protest against the torture and inhuman behaviour of the police.

4.1.15 Mr. Manrakhan Shah and Mr. Bharat Lal Shah met the Collector and Tehsildar Mr. Milind Dhoke and requested for action against the SP. Collector assured that the things will be taken care of but first they should cooperate with administration to bring law and order to normalcy, which they agreed to do.

4.1.16 On 11th morning Mr. Naresh Shah received one call from the SP and 7-8 calls from the TI asking him to produce Mr. Sanjay Krishna Shah for questioning. Mr. Naresh Shah asked Mr. Shiv Sagar Shah, father of Mr. Sanjay Krishna Shah to bring Mr. Sanjay at his Hotel Sagar International. Mr. Sanjay Shah was handed over to a team comprising TI, Mr. Sunil, ASI, and the driver. TI said that the SP was waiting to question Sanjay and that they will release Sanjay after the SP meets him. Mr. Naresh Shah went to Thana after an hour along with Shiv Govind Shah (Dainik Bhaskar). He and Mr. Lala (brother in law of Sanjay) saw Sanjay being beaten and hanged upside down. They met the SP and the TI asking them to release Sanjay. SP was not wearing his shirt and his appearance suggested that he was coming after beating Sanjay. The SP said that Sanjay is not giving information, he will be questioned further (but will not be subjected to torture) and will be released next morning.

4.1.17 on 11th Mr. Naresh again went to *thana* at around 11 pm to meet the TI, failing to do so, he spoke to the TI on the phone who said that Sanjay will be released next morning as said by the SP.

4.1.18 On 12th the TI kept saying that they will release Sanjay once SP comes to thana till afternoon. Sanjay was handed over to his father at his home late in the evening by Mr. Sunil, ASI who took a receipt from his father Mr. Shiv Sagar Shah. His father was reluctant to receive Sanjay who was visibly in a very poor condition due to beating by the Police and was unable to talk and walk.

4.1.19 The team who went to hand over Sanjay to his family also said that they should also look for Akhilesh around in wells and drains as he might have fallen into one.

4.1.20 On 13th at around 3.00 am the condition of Sanjay deteriorated and his family admitted him at the Nehru Shatabdi Chikitsalaya Jayant. By 7.00 am the family also came to know about discovery of the dead body of Akhilesh.

4.1.21 On 14th Mr. Naresh Shah after seeing precarious condition of Mr. Sanjay Shah, sat on a dharna at Nehru Shatabdi Chikitsalaya Jayant, asking for the presence of the IG and the Commissioner. He insisted that he will only accept postmortem of Akhilesh once the statement of Sanjay was recorded in the presence of the IG and the Commissioner. Both IG and Commissioner came within half an hour. Statement of Sanjay was recorded and videographed. In his statement, Sanjay said that the SP and the TI asked him to accept that Akhilesh was with him, he jumped from the vehicle to flee and fell in the well. Sanjay said that he would not accept it as Akhilesh was not with him and rather he was abducted by the Police. Sanjay also added that he was beaten by the TI and the SP when he refused to accept that Akhilesh was with him.

4.1.22 The postmortem of Akhilesh was conducted by four doctors at the NSC and the report said that his death was caused due to puncture of the small intestine due to injury by any hard and blunt object. It also said that the deceased died 2-5 days before the postmortem. (PM Report attached as Annexure)

4.1.23 On 15th Mr. Naresh Shah, Mr. Jagannath Singh, Mr. Bharat Lal Shah met senior officials at Surya Bhawan asking for action against the SP and get MLC of Sanjay done. MLC was done by four doctors of the Nehru Shatabdi Chikitsalaya. They also suggested to shift him to Varanasi after which Sanjay was sent to Varanasi for treatment. Reportedly his family brought him back from Varanasi on 24th as they could not afford the treatment any more but he continues to be critical.

4.1.24 On 16th Mr. Naresh Shah received phone calls from the TI saying that he did not do anything, and had to obey the orders of the SP, and that it was the SP who beat Akhilesh and Sanjay. He also received call from the SP asking him to facilitate a compromise in the case of Sanjay Shah.

4.1.25 On 16th the TI was suspended and the SP was transferred to Jabalpur as SP railways.

4.1.26 On 18th Mr. Naresh Shah was asked by the new SP Mr. Mithilesh Shukla to come to the place where the dead body of Akhilesh was found, to help the forensic team which had come from Rewa. Mr. Naresh went and saw the TIs Manish Tripathi, Santosh Tiwary, Shankhdhar Trivedy doing measurements at the spot. Mobile phone of Akhilesh was found beside the well.

4.2 Meeting with family and neighbours of the deceased in police firing Mr. Naqeeb Ahmad Siddiqui

The fact finding team also met with family of Mr. Naqeeb Ahmad Siddiqui who was shot dead in the police firing in Waidhan and recorded their statements. The persons who recorded their statements included Mr. Laif Ahmad Khan (father), Mr. Shamim Khan alias Loli (maternal uncle), and Mr. Aqeeb Khan (brother) along with other eye witnesses. The following construction of events was created based on their statements

4.2.1 Naqeeb Ahmed Siddiqui (age 22 years) and his father Mr. Laif Ahmed Khan have a shop of spare parts of Mahindra and Mahindra in taali in Waidhan. On 13th Dec. on discovery of the dead body of Akhilesh Shah, people assembled at various places in Belonji and Waidhan to protest against the custodial torture resulting in death of Akhilesh Shah. Sensing a trouble the administration asked the shopkeepers in taali to shut down their shops and go home.

4.2.2 Mr. Shamim Khan alias Loli, (maternal uncle, mama of Naqeeb) and Naqeeb shut down their shop and were going to offer jumme ki namaaz at masjid at around 12.00 pm (Friday).

4.2.3 The mob of people from Belonji was also proceeding towards the *thana* shouting slogans against the SP and protesting the death of Akhilesh Shah. The Collector was camping at the PWD Guest house and Hawk Force was summoned. 25-30 hawk personnel were stationed near the secondary school below the peepal tree. There were other battalions of Hawk Force stationed at various points on the road from Stadium to secondary school.

4.2.4 There was a crowd of 25-30 curious on-lookers on the street, which was joined by children coming after their school was over. Another group of curious onlookers going for namaaz also assembled near the Masjid.

4.2.5 The Police alleged that the mob torched the car of Collector, Mr. Naresh Shah and others including one opposite district hospital.

4.2.6 Reportedly, immediately following that (while the mob coming from Belonji was still approx. 400 metres away from the spot), the police started firing all of a sudden without any warning and without any provocation. A bullet pierced Naqeeb's jaws and went through his neck. Four other including two children coming from the school were also injured. 2-3 dogs also fell to bullet shots, as alleged.

4.2.7 The District and Sessions Court is within visible distance from the place of firing (80-100 metres). Many advocates and members of the Bar Association and Judges witnessed the unprovoked firing, and the Court premise was closed on the order of the Judges. On the same day, Bar Association also passed a Resolution condemning the police torture and firing and asking for action against the SP. (Resolution attached as Annexure)

4.2.8 Naqeeb's maternal uncle Mr. Shamim Khan reported that when he tried to take Naqeeb to the district hospital (in front of the place of occurrence), the police beat him brutally. However, he succeeded in taking Naqeeb to hospital. His father and brothers also assembled at the hospital. A police team led by the collector attacked them with batons. They went inside the female ward/pregnancy ward to save themselves but were followed by the police, which continued to beat

them insanely. Many patients got so terrified that they fled from the hospital. Doctors at the hospital said that the “collector has gone mad” and ran for their safety.

4.2.9 Naqeeb’s postmortem was done on the 13th. The post-mortem established gun shot as cause of death.

4.2.10 In the evening of 13th Cr. P.C. Section 144 (curfew) was imposed in three thanas including Waidhan and Belonji.

4.2.11 After curfew was imposed, police making a round of Jilani muhalla (muslim neighbourhood where Naqeeb’s family resided) reportedly broke several cars (Maruti Van of Rajiullah Beg, and Abdul Rasheed) and motorcycles (Hamid Raza s/o Usuf, and Shekh Abid) parked. They also broke sewing machine of Mr. Hakim, which was the only means of his livelihood. They also beat and hurdled filthy abuses on women and children.

4.2.11 Later Naqeeb’s family received a cheque of Rs. 3,00,000 through Patwari. Families of other children who were injured received an ex gratia payment of Rs. 25,000 each.

4.2.12 Naqeeb’s family also gave a memorandum to higher officials asking for action against the SP. (Annexure)

4.3 Meeting with District officials

The fact finding Committee met the District Collector Mr. M Selvendram at 11.25 at the Collectorate on 26th December, who said that the incident was unfortunate and happened as they did not have adequate Police force as majority of them were sent to Nigra, to maintain peace and order in the wake of an industrial dispute there. He said that he had only 25-30 armed constables at his disposal on the 13th. He denied having any knowledge of Akhilesh being picked up by the police, and said that had it been the case, the CCTVs in the thanas would have proved this. According to him, and as per his information, Akhilesh fell into the well while fleeing from Police on the night of 5th December and died from drowning. According to the District Collector the sequence of events were as under:

4.3.1 On the night of 5th a police team led by the TI, R S Rajput went to the house of Vijay Krishna Shah, looking for him as he was reportedly involved in stealing diesel from the NCL compound. When they could not find Vijay Shah, they tried to abduct his Tata Safari (new and yet to get the registration Plate), which was parked nearby. Akhilesh and Sanjay Krishna Shah, came out to give the keys of the Tata Safari. On seeing them, Police team went after them as the SP told them to apprehend (“Pakdo Saale Ko”) both of them. However, both of them fled.

4.3.2 The District Collector said that the SP Jaydevan A. was a bright young officer who was very strict against scrap and diesel thefts, however, he was very rude in dealing with the public.

4.3.3 Family members of Akhilesh alleged that Akhilesh was taken to the thana by RS Rajput, where he was tortured and died as a result of that, Collector said that CCTV footage of all thanas have been preserved and none of them suggest that Akhilesh was brought there. He also added that it is quite unlikely that the police could have hidden Akhilesh from 5th to 12th.

4.3.4 On 13th, the administration suspected mobilization and protests, and there was shortage of staff, as most of the armed police had been sent to Nigra to deal with and resolve an industrial dispute. There were only 20-25 armed police.

4.3.5 The administration suspected that if the crowd was not controlled, the situation could have become very difficult, as Waidhan- Belonji road had cloth shops which could have been easy target of the mob. Also, the area had a mosque and a Muslim neighbourhood and the issue could have been very easily transformed into a hindu-muslim issue. Therefore, the administration advised and announced on the PA to all shops to be closed and prevent using the main road.

4.3.6 Despite all instructions the crowds assembled at many points on the road and situation looked threatening. The mob torched few vehicles including that of the Collector, and Mr. Naresh Shah, which was parked at the PWD Guest house. However, reportedly, the vehicles were set ablaze in a manner, which suggested that it was not done by the mob and rather done by seasoned criminals/professionals or people involved in diesel thefts.

4.3.7 The Collector tried to speak to the family members of the Akhilesh and convinced them to come towards the Collectorate where the IG was also expected so that a discussion could have been possible. The Collector also offered to line attach the TI, which family members of Akhilesh agreed. The mob also started coming back towards the Collectorate, however, it again moved towards the Thana, and tried to torch *thana* (police station) and vehicles standing there. The mob also included a large number of students from the Polytechnic and other colleges.

4.3.8 The police party being small in numbers were charged from the front as well as from the back and the mob resorted to not only setting ablaze the vehicles but also arson.

4.3.9 The SP said that many warnings were issued to the mob and firing in the air was also resorted to however, the mob kept pushing forth. Suspecting that the mob might attack mosque or the market, which could have made the situation more difficult, Tehsildar ordered firing. He was reportedly authorized by the Collector to order fire. Shots were fired aiming at the legs (which is a usual practice), but Naqeeb tried to duck the shot and hence was shot in the neck. Other four including two children received injuries in their legs. The Collector could not say how many rounds were fired.

4.3.10 A mob had also gathered at the hospital and a vehicle was torched. Police suspected ruckus and had to lathi charge to defuse the mob in which family members of Naqeeb also received injuries.

4.3.11 However, even after the incident a car was torched near jilani muhalla, and therefore, to control the situation going out of hand curfew was imposed.

4.3.12 The Collector also said that the Muslim community provided full cooperation with the administration in keeping situation from becoming more tense and it was due to their cooperation that Post-mortem of Naqeeb was conducted on 13th itself, his burial took place on 15th (on their request) as they awaited arrival of some family members.

4.3.13 The Collector also said that he spoke to the Secretary, Home and requested him to appoint a judicial enquiry. He also said that administration is trying to get a job for the member of the family of the deceased, Akhilesh and Naqeeb. They have also offered all help for the treatment of Sanjay Krishna Shah.

Circumstantial evidence and visit to places of occurrence

The fact finding team visited the places of occurrence viz. place of the police firing in Waidhan market, district hospital, and well where the body of Akhilesh Shah was discovered

5.1 Location of police firing: The place of police firing is the heart of the small town of Waidhan (district headquarters town of Singrauli district) and its busiest street. The street is bordered by important administrative buildings, district hospital, high school, Sessions Court, mosque etc. Just ahead of these buildings is the cloth market which is the main business hub of the district town. The mob was reportedly at least 400 metres away towards the right of the place of firing when the firing took place. The curious onlookers (25-30) and children coming back from school did not warrant any serious action. The masjid/ mosque is almost 100 metres from where Naqeeb was shot. The firing was done without any warning and provocation. The injuries received by Naqeeb and other children suggested that the fire was not done (in air or on the leg) to intimidate to defuse the mob (which was not riotous) but targeted innocent men and children. From the circumstances, the firing seemed extremely inessential and unprovoked. People who witnessed the firing alleged that the firing was resorted to warn people of strict action by the police should they engage in protests and rioting.

5.2 District hospital: The district hospital is just opposite the place and hardly 30 metres away from the place of firing. When Naqeeb was taken to the District hospital, a small crowd of his relatives gathered there. The team led by Collector lathi charged family members of Naqeeb when they were waiting for car to take him to Nehru Shatabdi Chikitsalaya (Centenary Hospital) or heritage hospital. There was no crowd other than few family members, which could have threatened any breach of LandO. Police did not stop even when the family members ran into pregnancy ward and continued beating them. Reportedly many of the admitted patients also fled away from the hospital to escape from lathi charge.

5.3 The well where dead-body of Akhilesh was discovered : The well is hardly 50 metres away from the house of the deceased's relatives. The well is in an area, which is partially enclosed by an under construction house (which has no doors) on the street leading to the house of the deceased. It can be accessed either through the house or through a small gate besides it which is poorly secured. The well was half fenced and accidental drowning did not seem possible. Well also had iron rods/stairs and anybody falling into well could have come out with little difficulty. There are many houses close to the well and any person falling in the well could have called/shouted for help. The grass was uprooted at places making it difficult to discover any footmarks that might have been caused. Also, all the commotion of someone fleeing on being chased by the police, the police shouting to stop or get him, the person falling in the well... would have surely been heard by the family members. Thus, the police story clearly seems to be fabricated.

Conclusion

On the appreciation of evidence recorded by the Committee, which is corroborated by news published in various newspapers and further corroborated by the evidence of victims and the various circumstantial evidence produced, the Committee is of the opinion that there is a *prima facie* case against the police authorities in the matter of death of Akhilesh Kumar Shah in custodial violence including torture and death in lock up and custodial violence and torture and illegal confinement of Sanjay Kumar Shah. Further it is a case of death of Naqeeb Ahmed Siddiqui in an unprovoked police firing. It is clear from the evidence so far adduced before the Committee that there was no FIR against either Akhilesh or Sanjay and it is clearly a case of illegal confinement without any authority of law. It is not disputed that custodial death is perhaps is one of the worst crime in a civil society governed by law. The rights inherent in Article 21 and 22(1) of the Constitution require to be zealously and scrupulously protected. The expression life or personal liberty in Article 21 includes the right to live with human dignity. Thus it includes within itself a guarantee against torture and assault by the State or its functionaries. Torture involves not only physical sufferings but also mental agony. It is naked violation of human dignity and destructive of human personality. Third degree methods adopted by the police are totally in-permissible. Police is, no doubt, under a legal duty and has legitimate right to arrest a criminal and to interrogate him during the investigation of an offence but the arrest or the detention should be lawful and in accordance with procedure established by law. The law does not permit use of third degree methods of torture of an accused in custody during interrogation and investigation with a view to solve the case.

Custodial violence and abuse of police power is not only peculiar in our country but it is wide spread. It has been the concern of international community because the problem is universal and the challenge is global. The Universal Declaration of Human Rights (1948), which marked the emergence of worldwide trend of protection and guarantee of certain basic human rights, stipulates in Article 5 that “no one shall be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”. Despite pious declaration the crime continues unabated and is widely prevalent in the area of Singrauli.

Article 22 of the Constitution of India guarantees protection against arrest and detention in certain cases and declares that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed of the grounds of such arrest and he will not be denied the right to consult and defend himself by a legal practitioner of his choice. Clause (2) of Article 22 directs that person arrested and detained in custody shall be produced before the nearest Magistrate within a period of 24 hours of such arrest. Article 20(3) of the Constitution lay down that a person accused of an offence shall not be compelled to be a witness against himself. These safeguards are provided by the Constitution to a person with a view to protect his liberty against any unjustified assault by the police.

There are other number of provisions in the Code of Criminal Procedure 1973 to protect personal liberty, dignity and basic human rights of the citizens. Section 41 Cr.P.C. confers power on any police officer to arrest a person under the circumstances specified therein without any order or a warrant of arrest from a Magistrate. Section 46 provides method and manner of arrest. Under Section 49, the police is not permitted to use more restraint than is necessary to prevent the escape of the person. Section 50 enjoins every police officer to arrest any person without warrant to communicate to him the full particular of the offence for which he is arrested and the grounds of such arrest. The police officer is further enjoined to inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and he may arrange the sureties in the event of his arrest for a non-bailable offence. Section 56 contains a mandatory provision requiring the police officer making an arrest without warrant to produce the arrested person before a Magistrate without unnecessarily delay and Section 57 echoes clause (2) of Article 22 of the Constitution of India. There are other provisions also under the provisions of Criminal Procedure Code 1973 like Section 53, 54 and 167 which are aimed at affording procedural safeguards to a person arrested by the police. Whenever a person dies in custody of police Section 176 of Cr.P.C. requires the Magistrate to hold an inquiry into the cause of death.

There is third report of the National Police Commission in India which expressed its deep concern with custodial violence and lock-up deaths. It has made some useful suggestions. The recommendations of the Police Commissioner reflect the constitutional concomitants of the fundamental rights to personal liberty and freedom. The Hon'ble Supreme Court in D.K. Basu Vs. State of W.B. 1997 (1) SCC 416 has issued several directions to be followed in all cases of arrest and detention. If the detention of Akhilesh and Sanjay be examined in the light of constitutional protection and the other protections laid down laid down in the Criminal Procedure Code, recommendation made by the National Police Commission of India and the Hon'ble Supreme Court we may observe that there is complete violation of the said provisions of law. It is true that we have not heard the police authorities in our inquiry however the Collector Singrauli was kind enough to give us an opportunity to meet and discuss the issue. We are making reference to it as to show that we had tried our best to hear the other side also and since we have not heard the other side and further we may say that we have not collected all possible evidence in support of the case of custodial violence as such we have expressed that our finding is based on prima facie evidence.

In the light of the aforesaid discussions and the allegations made against the police authorities about custodial violence and death, illegal detention etc. we may observe that following offences may be said to have been committed by the authorities concerned:-

- a. Offence under Section 166A IPC for not recording information given under Section 154(1) of the Code of Criminal Procedure 1973.

- b. Offence under Section 331 IPC for causing grievous hurt to extort confession or any information, when death resulted from injury and offence under Section 330/331 of IPC for causing grievous hurt to extort confession or any information.
- c. Offence under Section 348 for wrongful confinement to extort confession or information.
- d. Offence under Section 201 IPC for cause disappearance of evidence, or giving false information to screen offender.
- e. It is a case of criminal conspiracy and committing offence collectively for achieving common object for which the police authorities are required to be held liable for prosecution and punishment.

Naqeeb Ahmed Siddiqui died in unprovoked police firing and four others receive gunshot injuries. The firing took place near the District and Sessions Court. Many Advocates, Member of Bar and Judicial Officers holding the Courts witnessed the unprovoked firing. The Bar Association passed a resolution condemning the police torture and firing and asked action to be taken against police authorities.

After curfew was imposed the police making round in the area threatened the persons residing in the colony. They without any reason or rhyme broke cars motor cycles and other valuable articles including sewing machine of Mr. Hakim which was the only means of his livelihood. They assaulted not only the men but women and children and showered filthy abuses. Thus the police committed various offences under various provisions of IPC.

It is a case of unprovoked police firing. In our meeting with the Collector, on being asked as to who passed the order under Section 144 Cr.P.C. the Collector frankly disclosed that he did not pass the order, however, he instructed the Tehsildar to pass the order.

The general principle relating to exercise of powers under Section 144 Cr.P.C. are that the Magistrate must be satisfied that action under this section is necessary in order to effect an immediate prevention or speedy remedy in relation to mischief aimed at i.e. danger to life or safety or disturbance of public order. His decision on this point is the foundation of his jurisdiction to make an order. It is imperative on the part of the Magistrate to record an order under this section stating the material facts and his findings. In the instant case there appears to be no order in writing either passed by the Collector or by the Tehsildar. It is also doubtful whether the Tehsildar has been empowered by the State Govt. to pass an order under Section 144 Cr.P.C. However the law is very clear that an order under Section 144 Cr.P.C. though may be passed by an Executive Magistrate, he exercises quasi juridical power in doing so. The order should be reasoned one and must be passed after judicial inquiry. The Executive Magistrate must be a Magistrate who has been specifically empowered by the

State Govt. If the order is made by a Magistrate who is not specifically empowered the order would be void under Section 461(j) of the Code of Civil Procedure. It is also very clear that the Collector or a Magistrate cannot delegate his authority to anybody as the condition precedent for the exercise of power under Section 144 Cr.P.C. is that Magistrate personally must be satisfied that action is necessary to prevent law and order or otherwise it is likely to endanger the human life or safety. Further from the appreciation of evidence our prima facie finding is that there were no circumstances on account of which the Magistrate was required to pass order under Section 144 Cr.P.C. There was no urgency of any nature as contemplated in the section. The firing was aimed at a minor boy of 14 years coming from the school and going to offer Namaj in a Masjid and other persons who were not part of the crowd which gathered at the other side of the scene.

It was disclosed to us that compensation has been paid to the parents of deceased Nageeb Ahmed Siddiqui and the other persons who received injuries. The amount so offered is a meagre one. It is well settled principle of law that punishment for the offence must be left to the criminal courts in which the offender is to be prosecuted which the State in law is duty to do.

The award of compensation in public law jurisdiction is like civil suit for damages which is lawfully available to the victim or the heirs of the deceased with respect to the same matter for the tortuous act committed by the functionaries of the State. The relief to redress wrong for the establishing reason of the fundamental rights of the citizens under public law jurisdiction is thus in addition to the traditional remedies and not in derogation of them. It is now well settled propositions in most of the jurisdictions that monetary or pecuniary jurisdiction is an appropriate and needed and effective and sometimes perhaps the only suitable remedy for redressal of the established infringement of the fundamental right to life of a citizen by the public servant and the State is vicariously liable for their acts. The claim of the citizen is based on the principle of strictly liability to which the defence of sovereign immunity is not available and the citizen must receive the amount of compensation from the State, which shall have the right to be indemnified by the wrong doers.

Recommendations

The Govt. has appointed a retired District Judge as a one man Commission to inquire into the matter. The Committee is of the firm opinion that such type of inquiry against big police officers will be an eye-wash and as such the Committee suggests that if at all the Commission of inquiry is to be set up it should be headed by either a sitting judge of the High Court or a retired judge of the High Court.

Thus to sum-up in the facts in circumstances of the matter we recommend as under:-

- A. The State should direct an appropriate prosecuting agency preferably the CBI to investigate the matter and file appropriate proceedings for prosecuting the wrong doers for various offences referred to above or any other offences for which the wrong doers may be found to be guilty by the prosecuting agency. Special Court may be constituted for prosecuting them and inquiry be directed to be completed within the period of three months.
- B. In addition to the setting up of the prosecuting agency, judicial inquiry be instituted which should be headed by either a sitting judge of the High Court or a retired judge of the High Court in consultation with the civil societies.
- C. The State Govt. should revise the amount of compensation on the basis of compensation awarded by the High Courts and the Supreme Court in such matters or the judicial committee may be empowered to recommend for the payment of the award of compensation in case the victims or the LRs of the deceased are not satisfied they reserve their right to agitate the matter regarding compensation for the breach of fundamental right or human right in the High Court of MP under Article 226 of the Constitution of India.
- D. Appropriate disciplinary action may be taken as per the recommendation of the judicial inquiry against wrong doers which includes the District Magistrate, SP, officers of the Thana, persons responsible for giving arbitrary and illegal firing order and the persons who fired the shot.
- E. Civil Societies agitating the matter may be awarded cost of litigation as their assistance is the matter of amicus curial.

Annexures

Annexure: 1

TOR of the Fact Finding Committee

An Independent Fact Finding Committee was constituted collectively by several civil society organizations concerned over the events that took place at Singrauli in the early part of December 2013. The Committee is headed by Justice (Retd.) P C Jain and its other members are -- Mr. Soumya Dutta, National Convener, Bharat Jan Vigyan Jatha, Mr. Sanjeev Kumar, Coordinator - Delhi Forum, Ms. Aradhna Bhargav, Advocate, Ms. Ajita George, Johar, Jharkhand, Mr. Ajay K Jha, Director - PAIRVI, Delhi.

The mandate of the fact finding Committee was to investigate the chain of events that led to the police firing, any illegalities and irregularities committed, and violations of the human rights committed by the police and suggest appropriate action. The independent fact finding committee spoke to a large section of the stakeholders, eye witnesses, and relatives and authorities and tried to establish the facts and sequence of events.

The TOR given to the Committee was as follows:

1. The fact finding committee will speak to kith and kin of the family of the deceased persons, neighbours, independent witnesses, district officials, officials of the relevant Institutions including Bar Association, District Hospital, media, and political activists.
2. The fact finding committee will appreciate all evidences available including news clippings, video footage, official documents, oral and written submissions and affidavits and record the statements of persons aggrieved and independent witnesses.
3. The Committee will (based on the evidence adduced) independently construct the sequence of events and will investigate
 - (i) what human rights violations have been committed
 - (ii) what relief should be provided to the kin of the deceased and other victims
 - (iii) whether any offences have been committed by the Police and the district administration
 - (iv) whether there is a need for further investigation by an independent agency
4. The Committee should refrain from giving any assurance or legal help to the victims. However, the members in their personal capacity may offer legal or other help to the victims or their families.
5. The Committee Shall submit a report to the State Government, Home Minister, State Human Rights Commission, and/or any other agency who might have been entrusted to investigate in the matter or which might have a stake in the matter including the

families of the victims, and the families of the victims will be open to use the report in whatever manner they deem fit to pursue justice. The report shall be submitted within three months from the time of the constitution of the Committee.

6. The Committee may provide oral or written submission to any Committee/Commission or any other judicial or quasi-judicial body set for investigation in the matter.

Annexure: 2

Brief Introduction of the fact Finding team

Justice Pana Chand Jain: Justice PC Jain is retired from Japiur High Court. He is also associated with a number of charitable and civil society organizations. He has also served as Jury member of the Permamnent Tribunal on Land Rights (Malaysia) and chaired the People's tribunal on Climate Change. He has participated in several international and national environmental justice conferences, including UN climate change conferences, and presented legal and juridical viewpoints on these issues.

Mr. Soumya Dutta: Soumya Dutta is convener of Bharat Jan Vigyan Jatha. He has written and published on a wide range of scientific and environmental issues, both in India and abroad. He has conducted a large no of workshops on these areas and contributed significantly to raise scientific knowledge, understanding and temper of teachers, students and general people. He is also associated with many people's movements and many national and international organizations. He has authored many publications and papers on climate change, energy, nuclear energy and other topics related to science, lectured on these issues in many Universities in India and abroad, and made large number of presentations in many international and national conferences.

Ms. Aradhna Bhargav: Mrs. Bhargav is an advocate and practices in Jabalpur High Court. She is associated with many litigation for rights of land, farmers and masses.

Ms. Ajita George: Mrs. Ajita George is a senior social and gender activist and works with a Non Government Organizations JOHAR, Jharkhand.

Mr. Sanjeev Kumar: Sanjeev Kumar works with Delhi Forum. Delhi Forum is based in Delhi and works for strengthening people's movements against violation of rights and justice. He has participated in several such missions, particularly on Dalit rights violations and similar.

Mr. Ajay K Jha: Mr Ajay Jha works with Public Advocacy Initiatives for Rights and Values in India (PAIRVI). PAIRVI is based in Delhi and works with small grassroots organizations and community based organizations on issues of development and rights. He has participated in many international and national conferences and meetings – on environmental justice and law. He has also conducted /organized many workshops on human rights in different states of India.

Annexure 3

Coal based Industries in Singrauli (from Wikipedia)

All major companies operating in Singrauli are giants of Indian energy industry. The operations of companies include mining of coal to power generation. In recent past, several private companies have also joined the league of companies operating in Singrauli. It is expected by 2017, that Singrauli would feed around 35,000 MW of electrical power to the grid alone.

Major companies operating or coming up at Singrauli are:

NAME OF INDUSTRY	TYPE OF INDUSTRY	OPERATOR	ESTABLISHMENT DATE	DISTRICT	STATE	CAPACITY	REMARK
<i>Singrauli Super Thermal Power Station (SSTPS)</i>	Thermal Power (electricity)	NTPC	1977	<i>Sonebhadra district</i>	<i>Uttar Pradesh</i>	5 x 200 MW + 2 x 500 MW=2000 MW	With international assistance of IDA and KFW
<i>Vindhyachal Thermal Power Station (VTPS)</i>	Thermal Power (electricity)	NTPC	1982	<i>Singrauli District</i>	<i>Madhya Pradesh</i>	1260 MW (6X210 MW) under Stage-I, 1000 MW (2X500 MW) of Stage-II and 1000 MW (2X500 MW) under Stage-III. Total=3260 and 1000MW of Stage-IV is under construction.	With international assistance of USSR-stage I, World bank under time slice loan stage II
<i>Rihand Thermal Power Station (RTPS)</i>	Thermal Power (electricity)	NTPC	1977	<i>Sonebhadra district</i>	<i>Uttar Pradesh</i>	1000 MW (2x500 MW each) in Stage-I and 1000 MW (2x500 MW each) in Stage-II Total= 2000MW and 1000MW of stage-III has been commissioned recently.	With international assistance of United Kingdom
<i>Northern Coalfields Limited</i>	Coal mining	<i>Coal India Limited</i>	1984	<i>Singrauli District</i>	<i>Madhya Pradesh</i>	coal supplies made it possible to produce about 13295 MW of electricity from pithead power plants of NTPC,UPRVUNL and Renupower division of M/s. Hindalco Industries	Thickest coal seam of India-131 metres (Jhingurda seam)

NAME OF INDUSTRY	TYPE OF INDUSTRY	OPERATOR	ESTABLISHMENT DATE	DISTRICT	STATE	CAPACITY	REMARK
<i>Sasan Ultra Mega Power Project</i>	<i>Thermal Power Plant (electricity)</i>	<i>Reliance Power</i>	<i>2007 (bidding)</i>	<i>Singrauli District</i>	<i>Madhya Pradesh</i>	<i>3,960 MW</i>	<i>under construction</i>
<i>Chitrangi Power Project</i>	<i>Thermal Power Plant (electricity)</i>	<i>Reliance Power</i>	<i>2007 (bidding)</i>	<i>Singrauli District</i>	<i>Madhya Pradesh</i>	<i>3,960 MW</i>	<i>under construction(Put on hold due to CAG Report)</i>
<i>Muher and MuherAmlori extension</i>	<i>Coal mining</i>	<i>Reliance Power</i>	<i>2007(bidding)</i>	<i>Singrauli District</i>	<i>Madhya Pradesh</i>	<i>coal reserves of these mines are around 720 MT with a production level of 25 mtpa</i>	<i>---</i>
<i>Mahan Super Thermal Power Project</i>	<i>Thermal Power plant (electricity)</i>	<i>Essar Group</i>	<i>2007(bidding)</i>	<i>Singrauli District</i>	<i>Madhya Pradesh</i>	<i>2x 600 MW = 1200MW</i>	<i>unit I commissioned, unit II in under construction</i>
<i>Mahan Captive Thermal Power Plant</i>	<i>Thermal Power plant(electricity)</i>	<i>Hindalco Industries</i>	<i>2007(bidding)</i>	<i>Singrauli District</i>	<i>Madhya Pradesh</i>	<i>900-MW 150x6</i>	<i>Out of 6 Units, I,II and III Commissioned by BHEL</i>
<i>Mahan coal Limited</i>	<i>Coal mining</i>	<i>joint venture ofEssar andHindalco</i>	<i>2007(bidding)</i>	<i>Singrauli District</i>	<i>Madhya Pradesh</i>	<i>-</i>	<i>Essar will take 60% of the coal output and Hindalco will take the remaining 40%</i>
<i>Mahan Aluminium Limited</i>	<i>Aluminium smelter plant</i>	<i>Hindalco Industries</i>	<i>2007(bidding)</i>	<i>Singrauli District</i>	<i>Madhya Pradesh</i>	<i>359-ktpa aluminum smelter</i>	<i>Production started</i>
<i>JaypeeNigrie Super Thermal</i>	<i>Thermal Power plant (electricity)</i>	<i>Jaypee Group</i>	<i>2007(bidding)</i>	<i>Singrauli District</i>	<i>Madhya Pradesh</i>	<i>2 x 660 MW= 1320 MW</i>	<i>Under Erection</i>

NAME OF INDUSTRY	TYPE OF INDUSTRY	OPERATOR	ESTABLISHMENT DATE	DISTRICT	STATE	CAPACITY	REMARK
<i>Power Project</i>							
<i>M.P. Jaypee Minerals</i>	<i>Coal mining</i>	<i>joint venture of M.P. govt. and Jaypee Group</i>	<i>2007(bidding)</i>	<i>Singrauli District</i>	<i>Madhya Pradesh</i>	<i>2 million tonnes</i>	<i>---</i>
<i>DB Power M.P.Limited</i>	<i>Thermal Power plant (electricity)</i>	<i>DainikBhaskar</i>	<i>---</i>	<i>Singrauli District</i>	<i>Madhya Pradesh</i>	<i>1320 MW</i>	<i>Underconstruction</i>
<i>VindhyaChal Pooling sub-station</i>	<i>Power transmission</i>	<i>Powergrid</i>	<i>---</i>	<i>Singrauli District</i>	<i>Madhya Pradesh</i>	<i>from SasanUMPP(2 No 765 KV S/C Sasan - Satna Transmission lines) and VindhyaChal Stage-IV (400 KV D/C (Quad)VindhyaChal - VindhyaChal Pooling line), 2 No 765 KV S/C from VindhyaChal Pooling to Satna Sub-Station, a 765/400 KV Pooling Sub-Station near VindhyaChal Stage-IV (1000 MW), Rihand Stage-III (1000 MW) as well as Aryan Coal Benefication Pvt Ltd (1200MW)Generation Projects</i>	<i>---</i>
<i>Amelia coal block</i>	<i>Coal mining</i>	<i>Joint Venture Company of Sainik mines and M.P.State Mining Corporation Ltd.</i>	<i>---</i>	<i>Singrauli District</i>	<i>Madhya Pradesh</i>	<i>-----</i>	<i>---</i>

Annexure 4:**Hindi rendition of the report of the Committee by Justice Pana Chand Jain****जाँच कमेटी की तथ्यात्मक रिपोर्ट**

प्रकरण : अवैध गिरफ्तारी व पुलिस अभिरक्षा में बंदी अखिलेश शाह की प्रताड़ना व क्रूरता पूर्ण अत्याचार के परिणाम स्वरूप मौत, पुलिस द्वारा संजय शाह की गैर कानूनी गिरफ्तारी व पुलिस अभिरक्षा में नारकीय यातना दिया जाना। कोई उचित परिस्थिति न होते हुये भी असक्षम अधिकारी द्वारा गोली चलाने के आदेश के फलस्वरूप नकीब की मृत्यु और छात्र सुरेन्द्र शाह, विनोद, अमरेश कुमार व राजेश शाह की गोलियों से घायल होने की घटना। उसी क्षेत्र में (सिंगरोली) में औद्योगिक घरानों द्वारा श्रमिकों के शोषण और अवैध गिरफ्तारी की घटनायें।

प्रसंग : कई सिविल सोसाइटीज व मानव अधिकारों के लिये संघर्ष करने वाली संस्थाओं द्वारा देश की अन्य सिविल सोसाइटीज जो मानव अधिकारों के लिये देश में कार्यरत हैं, सहायता की मांग करने पर घटना की जांच करने हेतु जांच कमेटी का गठन किया जाना व आवश्यक कार्यवाही हेतु जांच के परिणाम व सुझावों को राज्य सरकार को प्रस्तुत करना। यह कमेटी निम्नलिखित व्यक्तियों की गठित की गई है :-

1. जस्टिस पानाचंद जैन, पूर्व न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट
2. श्री सौम्यादत्ता, नेशनल कन्वीनर भारत जन विज्ञान संस्था
3. श्री अजय के. झा, पैरवी
4. श्री संजीव कुमार दिल्ली फोरम
5. अजीता जार्ज, भोपाल
6. जोहर, झारखण्ड
7. अवधेश कुमार, सिंगरोली (सहयोगी)

घटना क्रम : सिविल सोसाइटीज के व्यक्तियों ने तथा मानव अधिकारों की रक्षा में काम करने वालों ने सिंगरोली क्षेत्र से कई ई-मेल भेजे, जिनमें घटनाओं का उल्लेख है और पुलिस जुल्मों व अत्याचार के बाबत जांच करने की मांग की गई है ताकि मानव अधिकारों को संरक्षण मिल सके और पुलिस के जुल्मों का अन्त हो।

घटना क्रम को स्पष्ट करने के बाबत जांच कमेटी कुछ ई-मेल का उल्लेख करना उचित समझती है और उन्हें तथा अन्य तत्संबंधित ई-मेल को रिपोर्ट के साथ संयोजित करती है।

पहला ई-मेल है दिनांक 13.12.2013 का जिसे अवधेश कुमार ने भेजा है। यह ई-मेल निम्नलिखित रूप में है :-

“सिंगरौली में 5 दिसम्बर को पुलिस ने अखिलेश नाम व्यक्ति (27 वर्षीय) को यह कह कर पकड़ लायी तुम्हारा भाई कहां है व चोरी में संलग्न रहता है इसलिए तुम्हें भी पूछताछ के लिए वैठन थाने ला जा रहे हैं। इसके बाद घरवाले लगातार अखिलेश के बारे में पुलिस से जानकारी ले रहे थे बाद में पुलिस वालों ने कहा कि वो भग गया है। पुलिसवालों ने दो दिन बाद फिर से जवाब दिया कि हमने उसको छोड़ दिया है वो अपने अपने आप भाग गया है घरवालों ने उसको ढूंढना शुरू किया तो उसकी लाश आज प्रातः दिनांक 13/12/2013 को अमझर बस्ती के एक कुएं में मिली। यह बात गांवों वालों ने आस-पास लाश की बदबू के कारण जाना। यह बात लोगों को समझने में देर नहीं लगी की लडके पुलिस हिरासत में मारा गया है घरवालों का आरोप है कि SP अजय देवन ने स्वयं उस लडके को इतना मारा कि वो मर गया और अपने आप को बचाने के लिए उसकी लाश को कुएं में डाल दिया। इसको देख के लोगों के बीच आक्रोश और गुस्सा भड़क उठा और लोगों की भीड़ SP के कार्यालय के आस पास इक्कठा होने लगी और मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। लोगों की भीड़ मांग कर की “अजय देवन पर धारा 302 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाये। जनता में पुलिस प्रशासन के विरुद्ध इतना गुस्सा था कि वो लगातार शासन प्रशासन के विरुद्ध जाम लगाकर बैठ गयी तभी किसी ने पुलिस और कलेक्टर की गाड़ियों को आग लगा दी। इस पर पुलिस ने पहले लाठी चार्ज अश्रु गैस के गोले और बाद में फायरिंग शुरू कर दी जिसमें एक राहगीर की मौत हो गयी और पांच लोग घायल हो गए। बताया जाता है इसमें दो छात्र भी शामिल हैं। सुबह 9 बजे से तीन बजे तक यह स्थिति लगातार ऐसी ही चलती रही। 12 बजे दोपहर से 3 बजे तक स्थिति न काबू में देख प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्र के वैठन, अमलोरी, और मोरवा में करफ्यू लगा दिया है। तीन चार घंटे के बाद 7 बजे के बाद स्थिति फिर बिगड़ गयी। बताया जाता है कि गोली चालन से मृत्यु से आक्रोशित लोगों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की गाडी में आग लगा दी। सिंगरौली जिले के आस पास सतना, रीवा, सीधी, सहडोल में भारी मात्रा में फोर्स बुला ले गयी है। रीवा आई.जी. और संभागी आयुक्त पहुंच कर अपनी लगातार अपनी बैठक जारी रखें हैं

तथा दौरा कर रहे हैं। स्थिति गंभीर और तनावपूर्ण बनी हुई है। लोगों का मानना है कि शासन प्रशासन निजी कंपनी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही प्रयासरत है जबकि इन कम्पनियों ने लोगों से झूठे वादे करके जमीनें छीनीं उनको उनके हुनर व रोजगार से वंचित किया है पर्यावरण को नष्ट होने से उनकी जीविका का हरण हो गया ऐसी तमाम बातों के लिए जब पीड़ित लोग आवाज उठाते हैं तो प्रशासन दमन पे उतारू हो जाता है। चुनाव के वक्त आचार संहिता के नाम पर प्रशासन ने ऐसे सभी लोगों पर कड़ी कार्यवाही कि जिन्होंने कंपनी को वायदे पुरा करने के लिए सक्रियता दिखायी। यही कारण है कि इस घटना पे जनता का आक्रोश फट पडा। सभी लोग चाहते है कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो तथा इस अवसर पर मानव अधिकार पर काम करने वाले लोगों की टीम का दौरा करने का अनुरोध किया है। ”

दूसरा ई-मेल दिनांक 20.09.2013 का है जिसे एथिले ने भेजा है। वह निम्नलिखित है :-

“Date: 20 September 2013 17:22

Subject: Press Release: Illegal Arrests in Singrauli: Reliance Resorts To Human Rights Abuses

Press Statement

Illegal Arrests in Singrauli (Madhya Pradesh):

Under The Scanner of CBI for Irregularities, Reliance in Connivance with the Local Administration Resorts To Human Rights Abuses.

Singrauli: September 20, 2013: Srijan Lokhit Samiti condemns the arrest of the local leader Sati Prasad Razak from Siddhi Khurdha village who heads Sasan Ultra Mega Power Vistaphit Avam Mazdoor Sangh (Union Sasan Ultra Mega Power Affected and Labourers) who was arrested on September 18 night by police for planning a mass protest and demonstration against Reliance power plant, which was scheduled for 20th of September 2013. Late night at almost 10 p.m. police forcibly dragged him out of his house and arrested him without any warrant.

Sati Prasad was working at the Sasan Umpu as a contract labour along with many from the village, who also happened to be the project affected

community. Recently, all local labour has been removed from their daily wage labour work at the Sasan UMPP and labour from other states has been brought for the same work. Sati Prasad along with other project affected people had been demanding for permanent jobs at the Project but instead of providing them with permanent jobs, they had been snatched of their daily wage contractual jobs as well. Sati Prasad who belongs to village Siddhi Khurdh along with other two affected people from the village Siddhi Khala, had been raising voice against this and had been planning a protest.

"This is an attempt to suppress the voices of the local communities. Reliance cannot use suppression as a tactic for long. They have to address the pertinent issues raised by the people, about jobs, compensation and health impacts. It's a shame that the local administration is hand in glove with the company", Awadhesh Kumar, President of Srijan Lokhit Samiti said.

The lenders for the project are a consortium of almost 14 banks led by State Bank of India, the country's largest bank. The lending was done on a project finance basis and with an estimated project cost of around Rs. 20,000 crores (US\$ 4 billion). The international funding institutions that have provided funds for the project are Bank of China, China Development Bank, Export-Import Bank of China, Export-Import Bank of the United States and Standard Chartered. The transmission and distribution lines for the project are being funded by the World Bank.

Sasan Ultra Mega Power Project (UMPP) is an under construction 3,960 MW pit-head coal-based power plant. Power generated from the project would be sold to 14 procurers in seven states, in the country (Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttarakhand)

In the past also, Sati Prasad has repeatedly raised the voice against the high handedness of plant officials and had submitted a letter to District Magistrate on 12/09/2013 stating that a mass protest against the management of Sasan UMPP will be carried out on 19/09/2013, if their demands will not be fulfilled. Their primary demands include:

- * All the project affected people should be given identity cards for which the Reliance Company had completed the work of taking photographs and details back in 2010.
- * Secondly, that all affected people who had been working at contractual

posts should be provided permanent jobs and that even if the contractual job is over, the onus of providing jobs to affected people should be on the company.

- * Thirdly, the boundary wall of the Sasan project is being built around the road built under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana,- and till the people are not adequately compensated for the road, the boundary wall should not be constructed.*
- * Lastly, the affected people who were working as contractual labour have been paid less wages and also their services have been terminated in 2010, their entire amount due should be paid to them.*

On 19th of September, in the morning police, led by Sub Divisional Magistrate (SDM) Shri Nandlal Samrath), 'barricaded the main plant gate of Sasan JMPP, as an agitated group of villagers marched towards the main gate. He urged the villagers to return back as they could be arrested under section 144 of Indian Penal Code. Section 144 of the Indian Penal Code states, "Whoever, being armed with any deadly weapon, or with anything which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, is a member of an unlawful assembly, shall, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both." None of the villagers possessed any weapon and even if Section 141 of the Indian Penal Code was imposed no such prior announcement was made. On 19th two other people who had been vocal against the atrocities of the company and were a part of the union'and'instrumental in getting people together for the protest march.

Sati Prasad along with the other two people arrested are in Waidhan police thana and have not been released and the police is refusing to give any information. When some of the people went to inquire at the Waidhan police station where they have been held the only information given was that they will be released only on bail. The police is still refusing to inform about the charges under which they have been held.

Srijan Lokhit Samiti condemns this highhandedness of the administration and the nexus of the company and the administration. The Samiti demands the immediate release of the arrested and, demands that the -administration should assist the local community in realizing their rightful demands.

Contact: Awadheshbhai : +91-9425013524<tel:%2B91--9425013524> Email: awadhesh.sls@gmail.com; <mailto:awadhesh.sls@gmail.com>>

जांच कार्यवाही का कथानक तीन व्यक्तियों के आगे-पीछे घूम रहा है। ये तीन व्यक्ति हैं, एक अखिलेश शाह आत्मज भरतलाल शाह निवासी ग्राम विलौंजी, तेलियान थाना बैढन तह. व जिला संगरोली (म0प्र0), दूसरा विजय कृष्ण शाह व तीसरा संजय कृष्ण शाह आत्मज शिवसागर शाह निवासी अमझर। शिवसागर, अखिलेश के मामा हैं। घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 5.12.2013 को रात्रि लगभग 12 बजे अखिलेश को पुलिस अधीक्षक सिंगरोली श्री जयदेवन व नगर निरीक्षण बैठन आर.एस. राजपूत अन्य पुलिस कर्मियों के सहयोग से उसके मामा के घर से उठा लाई, जब अखिलेश उसके मामा के पुत्र विजय कृष्ण शाह एवं कृष्ण शाह से हफता वसूली न मिलने पर व उनके घर पर न होने पर उनकी नई टाटा सफारी को उठाकर ले जाने का प्रयार करते देखकर उन्हें चाबी देने गया था। टाटा सफारी को पुलिस वाले क्रेन से उठाना चाहते थे; नई गाडी थी, उसे नुकसान नहीं हो, इस इरादे से अखिलेश उन्हें चाबी देना चाहते थे। वस्तुतः पुलिस कृष्ण शाह व संजय कृष्ण शाह को उठाकर ले जाना चाहती थी। वे नहीं मिले। इस कारण पुलिस अखिलेश शाह को गिरफ्तार कर ले गये व गाड़ी भी ले गये। शिवसागर ने इसकी सूचना भरतलाल शाह को दी। भरतलाल ने थाने में शिकायत की पुलिस अधीक्षक व टी.आई. ने कहा विजय कृष्ण व संजय कृष्ण को पेश कर दो, अखिलेश को छोड़ देंगे। अखिलेश कुमार शाह को सुरक्षित छोड़ने के आश्वासन पर संजय कृष्ण को पुलिस को दिनांक 11.12.2013 को समर्पित कर दिया। अखिलेश को पुलिस ने नहीं छोड़ा। ग्रमवासियों में और समस्त क्षेत्र में पुलिस द्वारा अखिलेश को पुलिस द्वारा बिना किसी आधार के उठाकर थाने ले जाकर बंद करने के कारण घोर असंतोष व भय उत्पन्न था। कोई सुनने वाला नहीं था। उस क्षेत्र में पुलिस का जुल्म छाया हुआ था। दिनांक 12.12.2013 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ग्रमवासियों ने सूचना दी कि अखिलेश को यदि पुलिस थाना बैठन द्वारा रिहा नहीं किया गया तो ग्रामवासी थाने के समक्ष धरना देंगे प्रदर्शन करेंगे।

पुलिस ने भरतलाल शाह द्वारा उसके पुत्र अखिलेश के बाबत दिनांक 6.12.2013 को जानकारी प्राप्त करने तथा विजय कृष्ण शाह व संजय कृष्ण शाह के बाबत जिन्हें तलाश करने पुलिस आई थी जानकारी चाहने पर, एस.एच.ओ. श्री आर.एस. राजपूत से पूछने पर बताया कि संजय व विजय डीजल की चोरी में लिप्त हैं और वे अखिलेश शाह को एस.पी. श्री जयदेवन के निर्देशन पर थाने लेकर गये थे। इस क्रम में दिनांक 7.12.2013 को भरतशाह ने अपने मोबाइल फोन (9826861168) पर 07.07 शाम को बात की, जिस पर एस.पी. ने कहा था कि अखिलेश को उसी समय छोड़ा जावेगा जब वह विजय कृष्ण शाह व संजय कृष्ण को पुलिस के सुपुर्द कर देंगे। दिनांक 07.12.2013 को ही एक डेलीगेशन जिसमें श्री राम निवास शाह (डिस्ट्रिक्ट प्रेसीडेण्ट, बीजेपी) व श्री नरेश शाह (वाइस चेयरमेन, सिंगरोली डेवेलपमेण्ट ऑथोरिटी) व भरतलाल शाह, एस.पी. से मिले थे और उन्होंने अखिलेश शाह के छोड़ने के बाद पूछा था इस पर एस.पी. ने बतलाया था कि

उन्होंने केवल सफारी कार को जब्त किया है किन्तु अखिलेश को गिरफ्तार नहीं किया है और न वह थाने में बंदी हैं और वे शाम तक अखिलेश के बाबत सही जानकारी दे देंगे। दिनांक 7.12.2013 को भरतलाल शाह थाने पर एफ.आई.आर. दायर करने गया कि अखिलेश को पुलिस ने बिना किसी अपराध के हिरासत में लिया हुआ है और गिरफ्तारी अवैध है, इस पर श्री आर.एस. राजपूत टी.आई. ने एफ.आर. पढकर धमकी भरे लहजे में कहा कि यदि "तुम एफ.आई.आर. दायर करने की कहते हो तो मैं तुम्हें तत्काल गिरफ्तार करूंगा"। उसने भरतलाल शाह को फिर सुझाव दिया कि यदि वे चाहें तो गुमशुदा की रिपोर्ट कर सकते हैं। दिनांक 8.12.2013 को प्रातः 10 बजे भरतलाल शाह ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करादी। इसकी कोई रसीद मांगने पर भी उसे नहीं दी गई; किन्तु टी.आई. ने कहा कि एक दो दिन में उसका लड़का उसे मिल जावेगा। दिनांक 9.12.2013 को श्री राम निवास शाह ने आई.जी. कीवा रेन्ज से बात की। एस.पी. ने आई.जी. के कहने पर सलाह दी कि गुमशुदा की रिपोर्ट कर दें और कहा कि विजय व संजय ने अखिलेश का अपहरण कर लिया है और दो चार दिन में तलाश लेगें। दिनांक 9.12.2013 को ही भरत शाह व उसकी पत्नि लीलावती एस.पी. से मिले और उनसे अनुनय विनय किया कि उनके लडके को छोड़ दो। एस.पी. ने कहा कि भरतलाल जानता है उनका लड़का कहां है।

दिनांक 11.12.2013 को प्रातः नरेश कुमार शाह के पास एक कॉल एस.पी. का आया और 7-8 कॉल टी.आई. के आये, जिसके द्वारा उन्होंने संजय को पुलिस को सुपुर्द पूछताछ करने हेतु पेश करने को कहा। इस पर श्री नरेश कुमार शाह ने शिवसागर पिता संजय शाह से कहा कि वे संजय शाह को उसके हॉटल सागर इन्टरनेशनल पर लेकर आवें। वहां श्री नरेश कुमार शाह ने संजय शाह को पुलिस की एक टीम जिसमें टी.आई., सुनील व एक ड्राइवर व एक ए.एस.आई. थे, के सुपुर्द कर दिया। टी.आई. ने कहा एस.पी. सा0 संजय से पूछताछ करने के हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूछताछ के बाद संजय को छोड़ देंगे। एक घण्टे बाद श्री नरेश शाह, श्री शिव गोपाल शाह (प्रतिनिधि दैनिक भास्कर) के साथ थाने गये। थाने में वे तथा संजय के साले लाला ने अपनी आखों से आश्चर्यचकित होकर संजय को छत के कडे से सिर के बल लटके हुए देखा जहां उसकी पिटाई की जा रही थी। वे एस.पी. सा0 व टी.आई. से मिले और संजय को जिसे उन्होंने उनके विश्वास पर सुपुर्द करवाया था, छोड़ने को कहा। यहां यह लिखना समीचीन होगा कि एस.पी. नंगे बदन थे और उनके चेहरों के भावों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे पिटाई करके आ रहे हों। एस.पी. सा0 ने कहा अभी संजय से पूछताछ चल रही है, वह जानकारी नहीं दे रहा है और उसे दूसरे दिन प्रातः तक छोड़ दिया जावेगा। उसे वे कोई यातना नहीं देंगे। दिनांक 11.12.2013 को ही श्री नरेश शाह पुनः एस.पी. सा0 से रात्रि को 11 बजे थाने में मिलने गये; किन्तु एस.पी. सा0 नहीं मिले। न मिलने पर फोन पर टी.आई. से बात की उसने कहा कि एस.पी. सा0 के कथानुसार संजय को प्रातः छोड़ देंगे दिनांक 12.12.2013 को मिलने पर टी.आई. ने श्री नरेश शाह को कहा कि एस.पी. सा0 के आने

के बाद अपरान्ह बाद छोड़ देंगे। संजय शाह को उसके पिता को उसके घर श्री सुनील, ए.एस.आई. ने सुपुर्द कर उनके (श्री शिवसागर से) रसीद भी ली। शिव सागर ने रसीद देने से प्रथम तो इन्कार किया, क्योंकि संजय शाह की दशा बहुत खराब थी वह पीड़ा से कराह रहा था, चलने में भी असमर्थ था और न वह सही रूप से खड़ा हो पा रहा था न बोल ही पा रहा था, प्रत्यक्ष था उसकी थाने में पुलिस द्वारा बर्बरता के साथ पिटाई की गई थी वह तो नारकीय पीड़ा में जी मात्र रहा था। जो टीम संजय को लेकर आई थी उसने अखिलेश के बाबत यह सुझाव दिया कि वे अखिलेश को कुएँ अथवा नालियों में देखले कहीं वह वहाँ गिर नहीं गया हो। घर वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसे वहाँ से नेहरू चिकित्सालय, वाणारसी रेफर किया गया जहाँ उसकी चिकित्सा हुई है।

दिनांक 13.12.2013 को ग्राम अमझर के एक कुएँ में भरत शाह के पुत्र अखिलेश कुमार शाह का शव बरामद हुआ। इस घटना से कि पुलिस द्वारा अखिलेश शाह को बिना किसी कारण, बिना कोई केस के उसके विरुद्ध रजिस्टर कराये अनाधिकृत रूप से पुलिस द्वारा मामा के घर से जहाँ वह गया हुआ था उठाकर ले जाकर थाने में हिरासत में गैर कानून तौर पर रखा गया और पुलिस कस्टडी (अभिरक्षा) में उसकी सनसनी खेज तरीके से मृत्यु हुई है, जनता में जिला मुख्यालय सिंगरोली व आस पास के क्षेत्र में भारी आक्रोश था। आक्रोश दिनांक 12.12.2013 से संजय कृष्ण शाह को थाने में मारपीट के फलस्वरूप व नारकीय वेदना देने और अत्यन्त गंभीर हालत में पुलिस द्वारा उसके पिता शिव सागर को सौपने के बाद से ही उत्पन्न हो चुका था। अखिलेश के शव को मिलने की घटना में इस आक्रोश की आग में घी डालने का काम किया।

यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि अखिलेश के घर वाले लगातार अखिलेश के बारे में पुलिस से जानकारी ले रहे थे। बाद में पुलिस वालों ने कहा कि वह भाग गया है। इसके बाद में पुलिस वालों ने कहा उसे छोड़ दिया है और वह भाग गया है। पुलिस ने संजय को घर वालों को सुपुर्द करने पर कुएँ की ओर इशारा भी किया था। घर वालों के ढूँढने पर बस्ती में एक कुएँ में लाश मिली/बदबू के कारण वे लाश के पास पहुंचे। गांव वालों को समझने में देर नहीं लगी। पुलिस हिरासत में अखिलेश की मृत्यु हुई है और पुलिस द्वारा ही लाश को कुएँ में डाल दिया गया है। संजय भी थाने में पुलिस की मारपीट के कारण, नारकीय पीड़ा सह रहा है। दोनों ही घटनायें, पुलिस के अत्याचार की कहानी कह रही है। दोनों ही मामलों का अनाधिकृत हिरासत (पुलिस अभिरक्षा) से संबंध है और दोनों ही घटनायें थाने में हुई हैं और दोनों घटना क्रमों का एक दूसरे से सीधा संबंध है दोनों ही पुलिस द्वारा दी गई यातनाओं के मामले हैं। जहाँ तक संजय के भाई का प्रश्न है उसके विरुद्ध 10 लीटर डीजल की चोरी का आरोप है। संजय ने पूछताछ में स्पष्ट किया वह शान्तिप्रय व्यक्ति है, उसके विरुद्ध डीजल चोरी का केस पुलिस द्वारा झूठा बनाया गया है। पुलिस जुल्म कर रही है और दोनों भाईयों से बलपूर्वक दोष स्वीकृति कराना चाहती है।

दिनांक 13.12.2013 को अमझर बस्ती के कुएं में लाश मिलने पर उसे देखकर जनता के बीच आक्रोश और गुस्सा भड़कना स्वभाविक था। दिनांक 12.12.2013 की घटना पहले ही जनता के आक्रोश को गर्मा चुकी थी।

सिंगरौली का यह क्षेत्र बिजली उत्पादन का केन्द्र है। कोयले की खानों के कारण यहां बड़े-बड़े उद्योग घरानों ने बिजली उत्पादन के हेतु अपने अपने उद्योग लगाये हैं और वे सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर बिजली उत्पादन कर रहे हैं और कुछ में उत्पादन प्रारम्भ कभी भी हो सकता है। ये बहुत बड़े उद्योग हैं यहां पर बड़ी-बड़ी मशीनें काम करती हैं। डीजल की खपत बहुत बड़ी है। तारों की बिजली संचालन में काफी बड़ी भूमिका है। बहुत स्केब मेटेरियल यहां निकलता है। यहां जिनसे भी बातचीत की वे आरोप लगाते हैं कि उद्योग व पुलिस की सांठ गांठ है और दोनों ही जनता व श्रमिकों के दमन में संलग्न हैं। यहां श्रम कानूनों की हत्या हो रही है। श्रमिकों को उनके श्रम के अनुसार वेतन नहीं दिया जाता। स्किल्ड श्रमिक को संभवतः न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। 8 घंटे के स्थान पर 12 घंटे काम कराया जाता है। वेतन प्रतिदिन के आधार पर है। कान्ट्रैक्ट लेबर एबोलीशन एक्ट, वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेण्ट ऑफ वेजेज एक्ट, माइग्रेण्ट लेबर एक्ट, बिल्डिंग कन्सक्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि सभी की खुलकर अवज्ञा की जा रही है। चूंकि इन आरोपों का हमारी जांच से कोई संबंध नहीं है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारा ध्यान सितम्बर 2013 की एक घटना जो लोकल श्रमिक लीडर सती प्रसाद रजाक, जो सिद्धि खुर्धा गांव का है, उसकी अवैध गिरफ्तारी की ओर आकर्षित किया है।

उपरोक्त घटना का संबंध मानवीय अधिकारों के हनन तथा पुलिस के जुल्मों की ओर इशारा करता है। सती प्रसाद को पूछताछ के नाम पर यातनायें दी गईं। श्रमिकों का आक्रोश बढ़ा। लोगों का मानना है कि शासन प्रशासन निजी कम्पनी के लक्ष्य को पूरा कराने के लिए प्रयासरत हैं जबकि इन कम्पनीज ने लोगों से झूठे वायदे किये हैं उनकी जमीनें छीनी व उन्हें हुनर व रोजगार से वंचित किया। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, जिसका सीधा संबंध उनकी जीविका से था। लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और प्रशासन दमन पर उतारू हो गया। अखिलेश की पुलिस कस्टेडी में मृत्यु के परिणामस्वरूप और संजय के साथ पुलिस कस्टेडी में मारपीट व उसको दी गई नारकीय वेदना ने एक साथ मिल जनता के आक्रोश को उबाल दे दिया और सिविल सोसाइटी से इन सभी मामलों को मानवीय अधिकार के साथ जोड़कर जांच करने का आग्रह किया, इसलिये इस प्रसंग को जोड़ा गया है किन्तु हमारी जांच कार्यवाही सती प्रसाद उसके द्वारा उठाई गई मांगों के बाबत नहीं है। संजय व अखिलेश की घटनाओं और पुलिस के विरुद्ध आक्रोश को समझने के लिये सती प्रसाद की घटना प्रासंगिक थी इसलिये इसका उल्लेख करना आवश्यक था। उस क्षेत्र की जनता का और ग्रामवासियों का आक्रोश ने दिनांक 13.12.2013 की घटना को जन्म दिया।

एक ओर अखिलेश की लाश गांव वालों के सामने थी। लोग समझ चुके थे अखिलेश की मौत पुलिस हिरासत में हुई है, उसके घरवालों का आरोप था एस.पी. अजय देवन ने उसे इतना मारा की उसकी मृत्यु हो गई और सबूत मिटाने के हेतु लाश को कुएं में डाल दिया। इस प्रकार भीड़ का गुस्सा भड़क उठा था और लोगों की भीड़ एस.पी. कार्यालय के आस पास इकट्ठी होने लगी और मुख्य सड़क पर जाम लग गया। जनता में भी पुलिस प्रशासन के विरुद्ध इतना गुस्सा था कि वे शासन प्रशासन के विरुद्ध जाम लगाकर बैठ गये।

पुलिस द्वारा गोली काण्ड व गोली चलाने का औचित्य

दिनांक 12.12.2013 को ग्रामवासियों द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिंगरोली को अपने हस्ताक्षरों की एक अर्जी अथवा सूचना दी कि यदि दिनांक 13.12.2013 के सुबह तक अखिलेश कुमार शाह को पुलिस थाना बैठन द्वारा नहीं छोड़ा गया तो हम ग्रामवासी थाना बैठन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक सिंगरोली कलेक्टर सिंगरोली व पुलिस महानिरीक्षक रीवा को भेजी गई।

दिनांक 13.12.2013 को अखिलेश शाह का शव कुएं में मिला। संजय शाह को प्राण घातक चोट पहुंचाकर मरणासन अवस्था में उसके पिता को सौंपा गया। जनता में आक्रोश व गुस्से की आग पहले ही भड़की हुई थी। जनता व ग्रामवासी सड़क पर आ गये और पुलिस के विरुद्ध मुकदमा दर्ज रजिस्टर करने की मांग करने लगे। इससे उपजे असन्तोष को दबाने के लिये स्थानीय शासन ने गोली चलाई जिसमें मोहम्मद नकीब सिद्धकी की मृत्यु हो गई। (दिनांक 17.12.2013 को जिला अधिवक्ता संघ बैठन द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर)। अदालतें गोली काण्ड के स्थान के पास में था जहां कोर्ट कार्यशील थी। इससे पूर्व दिनांक 13.12.2013 को ही जिला अधिवक्ता संघ ने माननीय राज्यपाल महोदय को प्रतिवेदन भेजा था। इसमें घटना को इस प्रकार व्यक्त किया है :-

“विनम्र निवेदन है कि ग्राम बिलौजी तेलियान, जो कि जिला मुख्यालय वैढन के समीप में स्थित है के निवासी भरतलाल शाह के पुत्र अखिलेश शाह को वैढन पुलिस उसके मामा के घर ग्राम अमझर से पांच-छः दिन पूर्व ले आई थी और इस बीच उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली और आज दिनांक 13.12.2013 को सुबह अचानक कुछ लोगों के बताने पर उसकी लाश संदिग्ध अवस्था में ग्राम अमझर के एक कूप में पायी गयी। यह कूप खेत के बीच में है। जानकारी होने पर मृतक के परिवार वालों तथा जनमानश में इस घटना को लेकर अनेक तरह की संकाये व्यक्त की जा रही है ऐसी स्थिति में अखिलेश शाह को पुलिस द्वारा ले जाया जाना और पांच-छः दिनों के बाद अचानक लाश का कूपों में मिलना तमाम संदेहों को जन्म दे रहा है। परिवार जन तथा आम जनता द्वारा उक्त घटना का विरोध किये जाने पर

यहां मुख्यालय में फायरिंग की जा रही है तथा आंसू गैस छोड़ी जा रही है जिससे अनेको लोग हताहत हो गये हैं तथा युवक का शव अभी तक कुये में ही पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में इस घटना की सी.बी.आई. द्वारा जांच कराया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

अस्तु अधिवक्ता संघ बैठन जिला सिंगरौली महामहिम से उक्त घटना की सी.बी.आई. द्वारा जांच कराये जाने का आदेश दिये जाने की महती अनुकम्पा प्रदान किये जाने हेतु सादर अनुरोध करता है।”

भरत लाल शाह ने दिनांक 25.12.2013 के माननीय मुख्यमंत्री को लिखे गये प्रतिवेदन में इस घटना को इस प्रकार लिखा है। इसके कुछ अंश इस प्रकार हैं :-

“.....अखिलेश कुमार दिनांक 13.12.2013 को सुबह 10 बजे तक पुलिस थाना वैठन द्वारा रिहा न किये जाने पर ग्राम वासियों द्वारा पुलिस थाना वैठन के समक्ष घटना एवं प्रदर्शन करने की सूचना दी गई थी। संजय कृष्ण शाह को दिनांक 12.12.2013 को ही पुलिस थाना वैठन अतिशय यातना देकर उसे घायल अवस्था में उसके घर पुलिस थाना वैठन द्वारा छोड़ दिया गया था तब से नेहरू चिकित्सालय जयन्त में भर्ती कराया था जहां से रेफर कर दिये जाने पर अब उसकी चिकित्सा वाराणसी में कराई जा रही है। दिनांक 13.12.2013 को ग्राम अमझर के एक कुये में प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह का शव बरामद हुआ। पुलिस हिरासत में प्रार्थी के पुत्र ककी मृत्यु होने पर जिला मुख्यालय सिंगरौली व उसके आस पास उत्पन्न जन आक्रोश को दबाने तथा अपराध को छिपाने के आशय से कलेक्टर सिंगरौली द्वारा स्वयं पुलिस बल का नेतृत्व करते हुए जिला मुख्यालय के कई स्थानों पर हल्का बल प्रयोग करने के स्थान पर गोली चलवाई गई जिससे नकीब अहमद की जुम्मे की नवाज अदा करने के लिए मस्जिद की ओर जाते समय गोली लगने से मृत्यु हो गई और दर्जनों छात्रों को परीक्षा देकर विद्यालय से निकलते ही गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो चुके हैं जिनका इलाज चल रहा है। मृतक नकीब अहमद को जिला चिकित्सालय वैठन ले जाने पर उनके परिजनों एवं चिकित्सालय के अन्य मरीजों को भी कलेक्टर सिंगरौली की अगुवाई में पुलिस बल द्वारा लाठियों से पिटाई की गई जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुये।”

लईफ अहमद सिद्दीकी जो मृतक नकीब अहमद ने अपने प्रतिवेदन में जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को लिखे हैं वह निम्नलिखित है। इसके कुछ अंश इस प्रकार हैं :-

“03. उधर दिनांक- 5.12.2013 को पुलिस द्वारा मात्र 10 लीटर डीजल चोरी के आरोप में उठाये गये अखिलेश साहू की लाश जब कुएं में मिली जिससे शरीर में

गंभीर चोटों के निशान मौजूद थे। लाश को देखते ही मृतक के परिजन व गांव वाले बौखला गये और पुलिसिया जुल्म के खिलाफ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री जयदेवन ए० तथा अन्य पुलिस वाले जिन्होंने मृतक को उठाया था, उनके खिलाफ धारा 302 व 307 आई०पी०सी० के तहत केश कायम करने की मांग को लेकर दिनांक- 13.12.2013 को ही चक्का जाम कर दिया गया।

04. दिनांक- 13.12.2013 को एस०पी० श्री जयदेवन ए० व अन्य पुलिस बल अपने खिलाफ हो रहे आंदोलन को दबाने की गरज से जिला कलेक्टर की स्वीकृत के ही एस०पी० द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से एलाउंस भी कराया जाने लगा कि सभी लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर देवें और घर चले जायें।

05. पुलिस के एनाउंस तथा धारा 144 लगने के बाद निरअपराध व निर्दोष मृतक नकीब अहमद सिद्धिकी भी ग्राम बिलौंजी स्थित अपने मोटर पार्ट्स की दुकान को बंद कर जुमे की नमाज पढ़ने के इरादे से बैठन जामा मस्जिद आ रहा था। दिनांक- 13.12.2013 को समय 12:30 बजे जैसे ही हायर सेकेण्ड्री स्कूल (बालक) बैठन के पास पहुंचा था जहां किसी तरह का न तो आंदोलन था और न ही प्रदर्शन, पुलिस बल द्वारा बिना किसी वजह से मृतक नकीब अहमद सिद्धिकी को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। नकीब अहमद को पुलिस ने गोली उसे सिर पर मारी जो गोली मृतक नकीब अहमद के मुंह के जबड़े को चीरती हुये उसक गर्दन को पार करती हुई बाहर निकल गयी जिसकी वजस से घटना स्थल पर ही नकीब अहमद की मृत्यु हो गयी जो 22 साल की उम्र का एक होनहार पढ़ा-लिखा शरीफ लड़का था, पुलिस अन्याय का शिकार हो गया।

06. दिनांक- 13.12.2013 को पुलिस की गोली का शिकार होने तथा घटना स्थल पर ही मृतक नकीब अहमद की मृत्यु को देखकर जब कुछ देर पर खडे उसके परिजन उसे अस्पताल ले जाने हेतु मृतक को उठाने लगे तब पुलिस बल द्वारा उनके साथ भी गंभीर मारपीट किया गया जिनके चोटों के निशान आज भी गवाह हैं, फिर भी मृतक के परिजनों द्वारा मृतक को तत्काल अस्पताल बैठन ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया।

07. उपरोक्तानुसार पुलिस बल को ओर से किये गये जुल्म से पेट नहीं भरा तब पुलिस बल की ओर से अस्पताल में मौजूद उसके परिजनों के साथ-साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को भी अस्पताल में घुस कर गंभीर रूप से मारपीट किया गया।

08. उपरोक्तानुसार दिनांक- 13.12.2013 को ही पुलिस की ओर से किये गये जघन्य अपराध व उसके जुल्मों को छुपाने की गरज से शाम 6:30 बजे कर्फ्यू भी लगा दिया गया और पूरे बैढन, बिलौंजी के लोगों को घर में ही रहने और बाहर न निकलने की हिदायत दिये जाने के बाद पुलिस ने तीसरी बार पुनः लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया गया और घरों के बाहर खड़े दो पहिया एवं 4 पहिया वाहनों को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया जिनकी संख्या सैकड़ों में है।

09. दिनांक- 13.12.2013 के घटना के बाद पुलिस द्वारा यह प्रचारित कराया जाने लगा कि मृतक अखिलेश साहू जिसे पुलिस ने पूर्व में उठाया था की मृत्यु कुयें में गिरने से हुई है।

सभी व्यक्तियों ने पूछताछ में इसका उल्लेख किया है पुलिस ने अकारण ही गोली चलाई। गोली भी बिना किसी कारण के, जिसकी आज्ञा किसने दी यह भी सही रूप से कहीं नहीं आया है। कलेक्टर सा० से जांच कमेटी ने यह प्रश्न उठाया गया था “क्या आपने गोली चलाने की आज्ञा दी थी”। उनका उत्तर था तहसीलदार ने पुलिस को गोली चलाने की आज्ञा मेरे कहने से दी थी। यह कितना उचित आदेश था इसकी व्याख्या अन्य स्थान पर करेंगे।

जब उस स्थान को पहिचान करने का प्रयत्न करे जहां गोली मृतक नकीब अहमद को लगी थी। यह स्थान भीड़ से 400 मीटर दूर साक्षीगण ने बताया है। भीड़ जो बिलौंजी से थानों की ओर आ रही थी। कलेक्टर सा० पी.डब्ल्यू.डी गेस्ट हाउस में केम्प पर रहे थे। हॉक फोर्स की बेटेलियन के 25-30 आदमी से सेकेण्डरी स्कूल के पास पीपल के पेड नीचे थे। बेटेलियन के कुछ लोग सड़क पर स्टेडियम व स्कूल के बीच कई जगह थे। एक स्थान पर स्ट्रीट पर 25-30 तमाशबीन खड़े थे स्कूल की ओर से आने वाले विद्यार्थी इनमें मिल गये। कुछ व्यक्तियों का एक ग्रुप जो नवाज अदा करने मस्जिद में जा रहा था दिनांक 13.12.2013 का दिन शुक्रवार का था। नकीब अहमद व उसके पिता लतीफ अहमद की स्पेयर पार्ट्स की दुकान बैढन में है। वे दुकान बंद कर नवाज के लिए मस्जिद की ओर जा रहे थे। उस समय पुलिस की गोली नकीब की गर्दन को भेदती हुई गर्दन के बाहर निकल गई। चार लडके जो स्कूल से आ रहे थे वे भी पुलिस की गोलियों से घायल हो गये। कुत्तों की मौत भी पुलिस की गोलियों से हुई। मस्जिद गोली लगने के स्थान से 100 मीटर की दूरी पर है।

डिस्ट्रिक्ट एवं सैशन्स कोटा फायरिंग की जगह से 80-100 मीटर की दूरी पर है। न्यायाधीशगण, व वकीलों ने अकारण हुई फायरिंग के दृश्य को आंखों से देखा है और प्रस्ताव भी बार ने परित किया है, प्रतिवेदन भी किया है। हमने कई वकीलों ने पूछताछ की है और उन्होंने हमें रिजोल्यूशन व प्रतिवेदन की कॉपी दी है जिनका रेफरेंस ऊपर दिया गया है।

नकीब के मामा भी शमीम ने बताया कि जब वह नकीब को लेकर अस्पताल जा रहे थे जो घटना स्थल के पास ही है तो पुलिस ने उन्हें व अन्य लोगों को बरबरता के साथ पीटा; किन्तु फिर भी वह किसी प्रकार से गोली लगे हुए नकीब को हॉस्पिटल में लेकर गया। नकीब के पिता व भाई भी वहां थे। पुलिस टीम में जिनका नेतृत्व स्वयं कलेक्टर साह कर रहे थे उन्होंने उन पर डंडे बरसाये। वे किसी तरह पीटते बचते जनाना वार्ड में पहुंचे; किन्तु वहां भी पुलिस उनका पीछा करते पहुंच गई और उग्र होकर निर्ममता से पीटती रही। मरीजों में खलवली मच गई भाग दौड़ शुरू हो गई। लोगों का कहना था “कलेक्टर पागल हो गये हैं”।

दिनांक 13.12.2013 को संध्या को 144 सीपीसी के तहत कर्फ्यू लगाया गया। यह कर्फ्यू तीन थाना क्षेत्र में लगाया गया था। कर्फ्यू लगने के बाद पुलिस की टुकड़ी गश्त पर नकीब के मोहल्ले में गई थी, जहां पुलिस ने भरपूर गुण्डागर्दी की। कई कारों को तोड़ दिया जिनमें रजीउल्ला बेग व अब्दुल रशीद की कारें भी थीं। हमीदरजा की मोटर साइकिल को भी तोड़ा जो वहां पार्क की हुई थी। एक गरीब (हाकीम) की सिलाई मशीन भी तोड़ दी। मस्जिद की दीवार पर लाठियां बरसाईं। महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी भी की। नकीब के मकान पर कमेटी के सदस्यों के समक्ष कई लोगों ने इस घटना का यह वर्णन किया है।

फायरिंग के घटना स्थल, व जिन्हें गोली लगी है उनके अनुसार भीड़ 400 मीटर पर थी। मस्जिद 100 मीटर की दूर पर थी (अभिभाषक परिषद भी 80 से 100 मीटर की दूरी पर है)। भीड़ का कोई आदमी घायल नहीं हुआ है। फायरिंग दूसरी ओर हुई है जिधर से बच्चे आ रहे थे नकीब भी उन लोगों में शामिल था। ये सब किसी भी प्रकार भीड़ के भाग नहीं थे। असहाय व निरीह बच्चों पर गोलियां चलाई गई, न कि भीड़ को तितर बितर करने के लिये, अंधाधुंध गोलियां चलाई, कुत्ते मरे हैं, वे तो भीड़ का भाग नहीं थे, स्पष्ट है विवेकहीन होकर गोलियां चलाई गई थी। घटना की ओर देखेंगे तो गोली चलाने का वहां कोई औचित्य ही नहीं था। अस्पताल में कोई भीड़ नहीं थी।

घटना से पूर्व कुछ कारें जलाई जाना कहा गया है; इनमें मृतक अथवा गोली से मरने वाले लडके नकीब, अन्य घायलों का कोई सीधा संबंध नहीं है। कई लोगों ने यह कहा है पुलिस के साथ मिले हुए लोगों ने ही कारों को जलाया था।

दिनांक 14.12.2013 को नरेश शाह ने संजय शाह की अति गंभीर हालत को देखकर धरने पर बैठने का संकल्प लिया वे नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में धरने पर बैठ गये। उन्होंने मांग रखी कि आई.जी. व कमिश्नर स्वयं संजय शाह को देखे और वे अखिलेश का पोस्टमार्टम उसी समय लेने देंगे जब संजय का बयान उनकी आई.जी. व कमिश्नर की उपस्थिति में रेकार्ड किया जावे। वे दोनों अधिकारी एक घण्टे में आ गये। संजय का वीडियो स्टेटमेंट रेकार्ड हुआ। नरेश शाह ने स्पष्ट किया कि एस.पी. व टी.आई.

ने उससे कहा था कि वह यह बयान दे कि अखिलेश उसके साथ था और वह गाडी से कूद कर भागा व कुएं में गिर गया। शाह का कहना कि संजय ने ऐसा कहने से मना कर दिया, क्योंकि अखिलेश उसके साथ नहीं था उसका तो पुलिस ने अपहरण किया था। संजय ने कहा कि टी.आई. व एस.पी. ने उसे बहुत मारा है, क्योंकि उसने यह मानने से मना कर दिया था कि उसके साथ अखिलेश था।

जांच कमेटी ने उपरोक्त घटनाक्रमों का जो वर्णन किया है वह तथ्यात्मक विवरण जांच कमेटी को प्राप्त सिविल सोसाइटी व मानवाधिकार गुपों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जो सिंगरोली क्षेत्र से ई-मेल के रूप में है तथा जांच कार्यवाही के दौरान कमेटी को दिये गये पत्रों, रिपोर्ट्स, प्रतिवेदनों, अखबारों के विवरण आदि पर निर्भर है। उनका विवरण इस प्रकार है :-

ई-मेल :-

1. दिनांक 20.9.2013 को जिसे मि० जो ऐथिली प्रेस रिलीज के रूप में है जिसकी कॉपी श्री अवधेश भाई को भेजी गई थी इसका संबंध सती प्रसाद रजाक के साथ हुए पुलिस के बरबरता पूर्ण व्यवहार से है।
2. यह ई-मेल सिंगरोली ने श्री अवधेश कुमार ने श्री अजय झा व श्री सौम्या दत्ता को भेजा है। सिंगरोली में हिंसा और बेवस जनता का आक्रोश इसका संदर्भ है।
3. दिनांक 8.12.2013 को भरतलाल शाह का प्रार्थना पत्र जो श्रीनगर निरीक्षक महोदय को दिया।
4. दिनांक 7.12.2013 का प्रतिवेदन जो नगर निरीक्षक थाना बैठन को भरतलाल शाह ने प्रस्तुत किया है।
5. दिनांक 12.12.2013 का प्रतिवेदन (नोटिस) जो ग्रामवासियों ने उपखण्ड मजि० महोदय को भेजा था।
6. दिनांक 13.12.2013 का प्रतिवेदन जो महामना गवर्नर महोदय को जिला अधिवक्ता संघ बैठन ने भेजा था।
7. दिनांक 17.12.2013 का प्रतिवेदन जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अधिवक्ता संघ ने भेजा है।
8. दिनांक 24.12.2013 का प्रतिवेदन जो लईफ अहमद सिद्दीकी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है।
9. दिनांक 18.12.2013 का प्रतिवेदन जो नगर निरीक्षक को लईफ अहमद ने लिखा है।
10. दिनांक 8.12.2013 का पत्र जो भरतलाल शाह ने श्रीमान नगर निरीक्षक महोदय को अखिलेश का तलाश करने को लिखा है।

11. दिनांक 25.12.2013 का पत्र जो भरतलाल शाह व श्रीमती लीलावती ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है।
12. अखबार की कटिंग "बैठन काण्ड की सीबीबाई जांच हो"
13. दैनिक हीरावती न्यूज टाइम्स की कटिंग "24 घंटे बाद निकाला गया अखिलेश का शव।

जांच कार्यवाही के समय कमेटी ने कई व्यक्तियों के बयान सुने, कुछ लिखे गये, रेकार्डिंग कमरे में किये, पत्रकारों को सुना, टीवी कॉन्फ्रेंस की, अस्पताल गये वहां घायलों से बातचीत की। घटना स्थल को देखा। नकीब, अखिलेश शाह व संजय शाह के घर गये वहां भी पूछताछ की।

जिन जिन गवाहों के बयान कमेटी लिख सकी अथवा रेकार्ड कर सकी उनके बयानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

गवाह : लतीफ अहमद खान, शमीम खान, अकीब खान आदि

इन सभी ने कहा कि अखिलेश शाह की मृत्यु के समाचार के बाद बेलोंजी व वैढन क्षेत्र में भीड़ इकट्ठी हो रही थी ताकि वे हवालात में अखिलेश की मृत्यु उसके साथ मारपीट के कारण हुई, इस पर प्रोटेस्ट कर सकें ताकि उसके परिवार को न्याय मिल सके और दोषियों को सजा हो। लतीफ खॉ व उसके लड़के नवीब खॉ की स्पेयर पार्ट्स की दुकान ताली, वैढन में है। प्रशासन ने यह भांप कर कि कुछ गड़बड़ हो सकती है इस आशंका को लेकर लोगों से कहा कि वे अपनी अपनी दुकान बंद कर दें और घर चले जावें। नकीब व उसके मामा शमीम खॉ दुकान बंद कर जाना चाहते थे, उन्होंने यह सोचकर कि नमाज अदा करने का समय है (उस दिन शुक्रवार का दिन था), इसलिये मस्जिद की ओर बढ़ गये। उस समय 12 बजे थे। बेलोंजी की ओर से थाने की ओर कुछ लोग आ रहे थे वे नारा लगा रहे थे कि एस.पी. व पुलिस को सजा दो वे दोषी हैं कलेक्टर सा0 पी.डब्ल्यू. डी. गेस्ट हाउस में मुकाम कर रहे थे। पुलिस की टुकड़ी में 25-30 व्यक्ति सेकण्डरी स्कूल के पास पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे थे। इसी प्रकार 25-30 (तीन वितबम) व पुलिस की टुकड़ी, दूसरी जगहों पर भी स्टेडियम से सेकण्डरी स्कूल के बीच में बिखरी हुई थी। सड़क पर 25-30 की भीड़ थी, इसमें स्कूल के बच्चे आकर मिल रहे थे। एक गुप मस्जिद में नवाज अदा करने हेतु जा रहा था वे मस्जिद के पास थे। जहाँ भीड़ इकट्ठी थी वह स्थान यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर था। सभी गवाहों ने इस बात को कहा कि बिना किसी चेतावनी के व बिना किसी बात के अकारण ही पुलिस ने फायरिंग प्रारम्भ कर दी। भीड़ काफी दूर थी; किन्तु नियंत्रित थी कहीं भी कोई उग्रता के लक्षण नहीं थे। बिना किसी प्रोवोकेशन के और बिना सूचना व चेतावनी के फायरिंग किये जाने से नकीब को गोली लगी जो उसकी गर्दन को पा करती निकल गई। कई लड़कों को चोटें आईं। तीन अन्य के गोली लगी जिनके गोली लगी उनके नाम हैं - अमरेश कुमार, राजेश, सुरेन्द्र शाह

व विनोद। शमीम खाँ अपने भानजे को अस्पताल की ओर उठाकर ले गये। अस्पताल पास ही थी। उनका पीछा पुलिस टुकड़ी ने किया इसका नेतृत्व स्वयं कलेक्टर सा० कर रहे थे। इन पर डण्डे बरसाये गये। शमीम खाँ को भी कई चोटें आईं। शमीम की चोटें हमने भी देखीं हैं जब हम नकीब के घर गये थे। अस्पताल के अन्दर तक पुलिस टुकड़ी ने जो लट्ठ व डण्डों से लेस थे, भीड़ का शमीम का जो नकीब को ले जा रहा था पीछा किया। लोग कह रहे थे कलेक्टर पागल हो गया है। अस्पताल के मरीजों में भगदड़ मच गई थी।

घटना स्थल ही पर नकीब की मृत्यु हो गई। दिनांक 13.12.2013 को नकीब का पोस्टमार्टम हुआ। उसे गोली लगने से मरना बताया गया। गोलियां इस प्रकार चलाई गई कि किसी को भी किसी जगह लग सकती थी। किसी के पैर के नीचे के भाग में चलते समय लगी। कई गोलियों से कुत्तों तक मर गये।

गवाहों ने बताया कि भीड़ की तरफ कोई घटना नहीं हुई। भीड़ तो संयत थी गोली चलाने की आज्ञा किसने दी यह कोई भी नहीं बता पाया (जब हम कलेक्टर सा० से मिले तो उन्होंने कहा था कि गोली उनके हुकम से तहसीलदार (नायब तहसीलदार ऑफिशियेट कर रहे थे) ने चलाई थी।

संध्या को कर्फ्यू के समय पुलिस की ज्यादाती चालू रही। कई लोगों की कारें व एक मोटरसाइकिल भी टूटी। कार जिनकी टूटी वे थे हमीजुल्ला बेग व अकुल रसीद, हकीम की सिलाई मशीन तोड़ दी गई जो उसकी जीविका का आधार थी। औरतों को भद्दी गालियां तक दी गई। पुलिस का आतंक व्याप्त हो गया था।

गवाह अहमद सिद्दिकी ने मुख्यमंत्री जी को जो प्रतिवेदन भेजा था उसकी प्रतिलिपि दी उसमें लिखा था कि पुलिस द्वारा घरों से निकलने की मना करने के बाद; लोगों पर लाठी चार्ज किया और घरों के बाहर खड़े दो पुलिस एवं पहिया वाहनों को तोड़कर क्षतिग्रस्त किया उसने लिखा है 13.12.2013 को घोर पुलिसिया अन्याय व अत्याचार तथा पुलिस की गोली से मारे गये वेगुनाह व निर्दोष की हत्या की सीबीआई जांच हो पुलिस एस.पी. जयदेवन एवं अन्य पुलिस वालों के विरुद्ध 302 व 307 आईपीसी का मुकदमा दर्ज रजिस्टर हो व नकीब के व अन्य लोगों को मुआवजा दिया जावे। इस गवाह ने अपने कथन की पुष्टि की है।

भरतलाल शाह व श्रीमती लीलावती ने पूरी घटना हमारे सामने अभिव्यक्त की और जो प्रतिवेदन उसने भेजे हैं उनकी पुष्टि की उन्होंने पुष्टि की कि अखिलेश की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई थी। पुलिस ही ने लाश को कुएं में फेंका था और पुलिस टीम जब संजय को लेकर आई थी तो उन्होंने अखिलेश के बाबत सुझाव दिया था कि उसे कुएं व नालियों में देखलें कहीं व वहां गिर नहीं गया हो। भरतलाल ने यह भी बतलाया कि उसने दिनांक 7.12.2013 को उसके मोबाइल 9826861168 पर 7.07 शाम को एस.पी. सा० ने बात की थी

और उन्होंने कहा था उसे उसी समय छोड़ा जावेगा जब वह विजयकृष्ण शाह व संजय कृष्ण शाह को पुलिस के सुपुर्द करदें। भरतलाल शाह ने 7.12.2013 को डेलीगेशन में नरेश शाह का साथ एस.पी. से मिलने जाने की पुष्टि की है। इस प्रकार भरतलाल शाह ने कमेटी के समक्ष उन सब तथ्यों की पुष्टि की, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया था।

श्रीमती लीलावती अखिलेश की मां है उन्होंने कहा उनसे अखिलेश ने फोन नं० 8602078002 पर 11.12.2013 को बआत की थी; किन्तु "हलो" "हलो" ही सुन पाई आवाज में दम नहीं था बाद में फोन कट गया। भरतलाल शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह एफआईआर लिखाने गया था; किन्तु उसे धमकी दी गई कि उसने एफआईआर लिखने को कहा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जावेगा। उसे कहा गया कि यदि वह चाहे तो अखिलेश के गुमशुदा की तलाश करने के हेतु एफआईआर लिखा सकता है और उसने तदनुसार लिखाई।

संजय के घरवालों ने पुलिस द्वारा अखिलेश को उठाकर ले जाने की बात की और कार को ले जाने का उल्लेख किया।

अस्पताल में कमेटी ने अमरेश शाह आयु (20 वर्ष), सुरेन्द्र कुमार (16 वर्ष) व राजेश (14 वर्ष) व विनोद शाह से मिले। उनसे पूछताछ की। एक आईसीयू में था तथा 2 वार्ड में थे। अमरेश के तीन गोली लगी थी। किसी एक को गोली लगी उसका कान फट गया। इन सभी ने गोली काण्ड का विवरण दिया। इनमें से किसी का कोई संबंध भीड़ से अथवा अखिलेश व संजय से नहीं था। ये लोग किसी भी प्रकार आन्दोलन में नहीं थे न आगजनी की घटना में थे। जिधर ये थे वहां भीड़ नहीं थी भीड़ दूसरी ओर थी।

कमेटी ने कई चश्मदीद गवाहों से भी वार्ता की, पूछताछ की उनमें कुछ के नाम हैं अवनीश कुमार एडवोकेट, वीरेन्द्र द्विवेदी, मनसरन शाह।

श्री नरेश शाह, सिंगरोली डेवेलपमेण्ट ऑथोरिटी के वाइस प्रेसीडेण्ट हैं। वे बीजेपी के नेता हैं उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री है जो राज्य में बीजेपी की सरकार है। वे कमेटी के साथ रहे और उन्होंने पूरा सहयोग दिया। नरेश शाह ने पूरी स्टोरी का समर्थन किया है उन्होंने कहा दिनांक 11.12.2013 को उनके पास एस.पी. सा० का फोन आया व 7-8 फोन टीआई के आये उन्होंने संजय शाह को पूछताछ के लिये पुलिस के पास भेजने को कहा। नरेश का कहना है कि उसने पुलिस पर विश्वास कर शिवसागर शाह से उसे पुलिस के सुपुर्द करने को कहा और शिव सागर ने उसके विश्वास कर की उसे कोई नुकसान नहीं होगा उसने पुलिस के टीम के सुपुर्द नरेश शाह के हॉटल सागर इन्टरनेशनल पर कर दिया। पुलिस टीम में टी.आई., सुनील ए.एस.आई. व ड्राइवर थे। टी.आई. ने विश्वास दिया था कि एस.पी. साहब द्वारा पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया जावेगा। नरेश ने बताया कि एक घण्टे के बाद वे थाने गये उनके साथ दैनिक

भास्कर के गोविन्द शाह थे। नरेश का कहना कि वे व संजय के भाई लाल ने संजय को छत से उलटा लटके हुये और उसकी पिटाई होते हुए देखी। एस.पी. कमीज भी नहीं पहने थे, उनकी दशा बतलाती थी कि वे संजय को पीटते हुए आये हैं। संजय को छुड़ाने वे कई बार गये किन्तु उसे नहीं छोड़ा। उसे दिनांक 12.12.2013 को छोड़ा गया जब वह मरणासन स्थिति में था। गवाह नरेश शाह को पीडा थी और अफसोस था कि उसने क्यों संजय को पुलिस के सुपुर्द कहा था। उसकी दशा देखकर वे रो उठे। दिनांक 14.12.2013 को वे धरने पर बैठे थे और उन्हीं ने संजय शाह का बयान का वीडियो रेकार्डिंग आई.जी. और कमिश्नर की उपस्थिति में करवाया था। बयान में संजय शाह ने बताया था कि एस.पी. व टी.आई. ने उसे मजबूर किया था कि वह यह बयान दे कि अखिलेश उसके साथ था वह गाड़ी से कूदकर भागा व कुयें में गिर गया जो बयान देने से उसने मना किया था। नरेश शाह ने यह भी कहा था कि उसने दिनांक 16.12.2013 को टी.आई. का फोन आया था कि वह वेकसूर है उसने तो एस.पी. के इशारे पर अखिलेश व संजय की मारपीट की है।

जाँच कमेटी ने संजय को उसके घर जाकर देखा वह वस्तुतः बहुत पीडा में था और उसकी दशा देखी नहीं जाती थी। उसकी गर्दन टूटी हुई प्रतीत होती थी। जांच कमेटी ने कलेक्टर सा० से संजय के सरकारी खर्चे पर इलाज कराने की व्यवस्था का भी आग्रह किया था।

हमने उस स्थान का निरीक्षण भी किया जहां कुआ है। वह फेन्सिंग से घिरा है भागकर वहां तक जाना संभव नहीं है। दौड़ते हुए संजय उसमें गिर सकता है यह समझ में नहीं आया।

सरकारी पक्ष:

कमेटी के सदस्य कलेक्टर साहब से भी मिले। उनसे काफी समय तक बातचीत हुई। समिति के सदस्यों ने उन्हें समय देने के हेतु आभार अभिव्यक्त किया। उनसे काफी वार्ता विस्तार के साथ हुई। हम वार्ता के कुछ अंश ही यहां उल्लेख करना चाहते हैं उसमें उनका सरकारी पक्ष था। उनका कथन था भीड़ उग्र हो चुकी थी। कलेक्टर व अन्य की गाड़ियां जला रहे थे और अन्देशा था कि थाने को भीड़ आग लगा देगी। गंभीर स्थिति से निपटने के लिए उनके पास पुलिस फोर्स पूरी नहीं थी। इस कारण गोली चलाई गई। उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि उनके पास सबूत हैं जो वे समय पर प्रस्तुत करेंगे। अखिलेश के संबंध में उन्होंने बताया उसक मृत्यु कुएं में डूबने से हुई है। संजय के प्रकरण पर वे मौन रहे। चूंकि अगजनी की घटनायें हो रही थीं इसलिए डर था कि कहीं दुकानों व मस्जिद में आग नहीं लगा दें इसलिए उन्होंने दुकानें बंद कराने की सलाह दी थी।

कलेक्टर साहब ने एस.पी. का बचाव किया। वे प्रशासनिक कारणों से खुलकर बात करने में संकोच कर रहे थे; किन्तु कमेटी के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। उन्होंने

पूरा सहयोग दिया और हमारे सुझावों को किसी सीमा तक अमल में लाने का विश्वास भी दिलाया। वे अच्छे इन्सान नजर आये; किन्तु कुछ विशिष्ट करने में उनकी विवशतायें प्रतिलक्षित हो रही थी। उन्होंने सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाने के प्रसंग को गोली काण्ड का कारण बताया। हमने उन्हें यह समझाने का प्रयत्न भी किया कि हमारी जांच में हमने सभी से पूछा कि वाहनों को आग किसने लगाई तो सभी का स्पष्ट बयान था कि जनता, स्टूडेण्ट्स और मस्जिद में नवाज पढ़ने जाने के लिये जो व्यक्ति वहां इकट्ठे हुये थे उनमें कोई व्यक्ति आगजनी में शामिल नहीं था।

लोगों का कहना था ये सब लोग जो वाहनों को आग लगा रहे थे वे व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति थे जो वहां देखे नहीं जाते तथा कोई दक्ष व्यक्ति थे। लोगों का कहना तो यहां तक था कि पुलिस स्वयं ने ये घटनायें अन्जाम दी हैं और आग लगाना अपने लिये डिफेन्स तैयार करने का प्रयास था।

गिरफ्तारी की वैधता

अखिलेश शाह व संजय शाह दोनों को बिना किसी कारण उनकी इच्छा के विरुद्ध थाने में रोक कर रखा गया है। हमने जो घटना कम बताया है, उसमें यह स्पष्ट प्रतिलक्षित हो रहा है कि अखिलेश के विरुद्ध कोई केस थाने में दर्ज रजिस्टर नहीं हुआ है। साक्षीगण के अनुसार अखिलेश को पुलिस उनके विरुद्ध कोई भी केस नहीं होते हुए भी इसलिये उठाकर ले गई कि वे अखिलेश के घर वालों से अपेक्षा करना चाहते थे कि संजय शाह व विजय कृष्ण शाह जो वे पुलिस के सुपुर्द करदें। पुलिस के पास अखिलेश की गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। पुलिस ने संजय कृष्ण शाह व विजय कृष्ण शाह के विरुद्ध भी वारंट नहीं था और इनमें से किसी को गिरफ्तार करने अथवा थाने पर रोके रखने का उचित कारण ही नहीं था और न ही कोई माकूल वजह ही पुलिस ने बतलाई। यह साक्षीगण से बाचतीत/पूछताछ से भी स्पष्ट हो चुकी है कि पुलिस वाले अर्थात् आर.एस. राजपूत टी. आई. (एस.एच.ओ.)। एस.पी. श्री जयदेवन के निर्देशन पर अखिलेश को उठाकर ले गई थी। वस्तुतः वे संजय शाह व विजय शाह को उठाकर लेने आये थे किन्तु उनके न मिलने पर अखिलेश को ही उठाकर ले गये और टाटा कार भी साथ में ले गये जिसे जब्त करने का कोई अधिकार नहीं था। थाने में अखिलेश को बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध बंदी बनाकर रखा और बंदी बनाने के 24 घण्टे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश भी नहीं किया और उसे इतनी यातनायें दी कि यातनाओं के कारण अखिलेश की मृत्यु हो गई और उसके शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस के विरुद्ध जबरदस्ती बंदी बनाकर रखने का आरोप है और यह बनेजवकपंद कमंजी का केस प्रतीत होता है।

जहां तक संजय शाह का केस है उसे थाने में उसकी इच्छा के विरुद्ध रोके रखा गया और पूछताछ करने के लिए जीपतक कमहत्तम तरीके अपनाये गये और उसकी चोटें स्पष्ट करती हैं कि यातनाओं से उसकी गर्दन तोड़ दी गई है, उसकी बोलने की शक्ति

समाप्त सी हो गई है उसका स्नायु तंत्र इतना टूट चुका है कि वह खड़ा नहीं हो सकता। उसे 2 दिन कस्टडी में रखा गया है और उसे 24 घण्टें में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया।

यह केस स्पष्ट करता है कि पुलिस की समस्त कार्यवाही का कानून से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कानूनों की सर्वथा पुलिस द्वारा अवहेलना की गई है। मानवाधिकारों का हनन हुआ है।

हमारे देश में संविधान ने इस देश के नागरिकों को मूल अधिकार दिए हैं और उनके अधिकारों की रक्षा का दायित्व राज्य को दिया है। अनुच्छेद 21 में स्पष्ट घोषणा है कि प्रत्येक मानव को गरिमा मय जीवन जीने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है। सरकारी तंत्र उसे सुरक्षा देगा और कोई अत्याचार नहीं करेगा, न उसे उत्पीड़ित करेगा और न कोई यातना देगा। यातना में शारीरिक व मानसिक वेदना शामिल हैं। पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री तरीकों की कोई अनुमति कानून नहीं देता। पुलिस की यह ड्यूटी अवश्य है कि वह अभियुक्त को गिरफ्तार करे, उससे पूछताछ करे, किन्तु गिरफ्तारी वैध और कानून प्रक्रिया के अनुरूप होनी चाहिए। अनुच्छेद 22 भी सुरक्षा कवच है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पूर्व उसे उन आधारों अथवा कारणों को बताना होगा, जिनके हेतु उसे बंदी बनाया गया है और उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना चाहिए। उसे कानून सलाह लेने की सुविधा दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति सुविधा को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में विशेष अपराधों में ही बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को दिया है। धारा 46 अभिव्यक्त करती है कि उसे कैसे गिरफ्तार किया जावे। धारा 49 में बतलाया है कि वह आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग गिरफ्तारी के डर से भागने पर भी पुलिस नहीं करेगी। पुलिस का एक यह भी दायित्व है कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बताये कि वह जमानत पर रिहा किया जा सकता है और जमानती केस है, ताकि जामिन को बुला सकता है। धारा 57 अनुच्छेद (2) के अधिकार को अधिक स्पष्ट करती है।

अब यदि हम अखिलेश व संजय की गिरफ्तारी अथवा उसके कानूनी डिटेन्शन की बात करें, तो यह सोचने में संकोच नहीं होगा कि उपरोक्त धाराओं तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराओं का यानि धारा 53, 54, एवं 167 का उल्लंघन हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय गिरफ्तारी करते समय पुलिस को क्या दायित्व निभाने चाहिए, उन्हें डी.के. संधु के केस में (1997ग1) एससीसी 416 में विस्तार से दिया है। इस निर्णय के निर्देश देश के सभी राज्यों की पुलिस के हेतु बाध्यकारी है। नेशनल पुलिस कमीशन ऑफ इण्डिया ने भी गाइड लाइन्स दी है। अखिलेश के केस में तथा संजय के केस में इनका उल्लंघन हुआ है।

अखिलेश के केस में पुलिस ने एफ.आई.आर. लिखने से मना किया है और पुलिस के विरुद्ध 166ए भारतीय दण्ड संहिता का केस बनता है। दोनों के मामलों में ऐसा मानने

का पर्याप्त सबूत है कि उनसे जुल्म स्वीकार करने हेतु अथवा झूठी गवाही देने के हेतु दबाव डालने के प्रयोजन से उत्पीड़ित किया गया था और उन्हें गलत रूप से गिरफ्तार किया है और इस हेतु उन्हें चोटें दी गई हैं। 330/331 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध आरोपित किया जा सकता है। अखिलेश की लाश को कुंआ में इसलिए फेंकना गवाह कहते हैं कि पुलिस ने सबूत मिटाने के लिए ऐसा किया है, जो धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध है। अखिलेश का केस यातना, उत्पीड़न व पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु का है, इसलिए 302/34 आई.पी.सी. का केस संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध बनता है। साक्ष्य स्पष्ट रूप से इस प्रसंग में एस.पी.सी. जय देवन व थानेदार राजपूत का नाम ले रहे हैं।

नकीब की मृत्यु बिना किसी विवेक व कोई उचित परिस्थिति न होते हुए भी फायरिंग में हुई है। फायरिंग का आदेश कलक्टर साहब ने न देकर, अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा दिया जाना, बतलाया गया है। कोई कहते हैं कि यह आदेश एस.पी. ने दिए हैं। फायरिंग में कई को चोटें आई हैं। घायलों में स्कूल से लौट रहा छात्र सुरेन्द्र कुमार शाह (16 वर्ष) आत्मज सुदामा प्रसाद है, जिसे गोली लगी है। एक अन्य पॉलोटेक्नीक का छात्र अमरेश कुमार भी है, उसके भी पीठ और हाथ में तीन जगह गोलियां लगी हैं। इसे आई. सी.यू. में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। एक अन्य छात्र राजेश शाह आत्मज श्री कैलाश शाह को भी गोली लगी थी। यह बिलौंची का निवासी है तथा अन्य कई लोग घायल हुए हैं। गोलीकाण्ड की घटना के समाचार पत्र दैनिक भास्कर, सिंगरोली 14.12.2013 में, सिंगरोली भास्कर 14.12.2013 व 15.12.2013 में अन्य पेपर्स में छपे हैं।

इन घटनाओं पर कानून कैसे लागू होता है, इसका उल्लेख उपर किया जा चुका है, किन्तु स्थिति को कानूनी दृष्टि से अच्छी तरह समझने के लिए अंग्रेजी में उसे उद्धृत किया गया है, जो इस प्रकार है :-

“On the appreciation of evidence recorded by the Committee, which is corroborated by news published in various news papers and further corroborated by the evidence of victims and the various circumstantial evidence produced, the Committee is of the opinion that there is prima facie case against the police authorities in the matter of death of Akhilesh Kumar Shah in custodial violence including torture and death in lock up and custodial violence and torture and illegal confinement of Sanjay Kumar Shah. Further it is a case of death of Naqeeb Ahmed Siddiqui in an unprovoked police firing. It is clear from the evidence so far adduced before us that there was no FIR against either Akhilesh or Sanjay and it is clearly a case of illegal confinement without any authority of law. It is not disputed that custodial death is perhaps is one of the worst crime in a civil society governed by law. The rights inherent in Article 21 and 22(1) of the Constitution require to be zealously and scrupulously protected. The expression life or personal liberty in Article 21 includes the right to live with human

dignity. Thus it includes within itself a guarantee against torture and assault by the State or its functionaries. Torture involves not only physical sufferings but also mental agony. It is a naked violation of human dignity and destructive of human personality. Third degree methods adopted by the police are totally in-permissible. Police is, no doubt, under a legal duty and has legitimate right to arrest a criminal and to interrogate him during the investigation of an offence but the arrest or the detention should be lawful and in accordance with procedure established by law. The law does not permit use of third degree methods of torture of an accused in custody during interrogation and investigation with a view to solve the crime.

Custodial violence and abuse of police power is not only peculiar in our country but it is wide spread. It has been the concern of international community because the problem is universal and the challenge is global. The universal declaration of Human Rights in 1948 which marked the emergence of worldwide trend of protection and guarantee of certain basic human rights, stipulates in Article 5 that "no one shall be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment". Despite pious declaration the crime continues un-availed and on the basis of several cases including the case of Sati Prasad we may observe it is widely prevalent in the area of Singroli.

Article 22 of the Constitution of India guarantees protection against arrest and detention in certain cases and declares that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed of the grounds of such arrest and he will not be denied the right to consult and defend himself by a legal practitioner of his choice. Clause (2) of Article 22 directs that person arrested and detained in custody shall be produced before the nearest Magistrate within a period of 24 hours of such arrest. Article 20(3) of the Constitution lays down that a person accused of an offence shall not be compelled to be a witness against himself. These safeguards are provided by the Constitution to a person with a view to protect his liberty against any unjustified assault by the police. There are other number of provisions in the Code of Criminal Procedure 1973 to protect personal liberty, dignity and basic human rights of the citizens. Section 41 Cr.P.C. confers power on any police officer to arrest a person under the circumstances specified therein without any order or a warrant of arrest from a Magistrate. Section 46 provides method and manner of arrest. Under Section 49, the police is not permitted to use more restraint than is necessary to prevent the escape of the person. Section 50 enjoins every police officer to arrest any person without warrant to communicate to him the full particular of the offence for which he is arrested and the grounds of such arrest. The police officer is further enjoined to inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and he may arrange the sureties in the event of his arrest for a non-bailable offence. Section 56 contains a mandatory provision requiring the police officer making an

arrest without warrant to produce the arrested person before a Magistrate without unnecessarily delay and Section 57 echoes clause (2) of Article 22 of the Constitution of India. There are other provisions also under the provisions of Criminal Procedure Code 1973 like Section 53, 54 and 167 which are aimed at affording procedural safeguards to a person arrested by the police. Whenever a person dies in custody of police Section 176 of Cr.P.C. requires the Magistrate to hold an inquiry into the cause of death. There is third report of the National Police Commission in India which expressed its deep concern with custodial violence and lock-up deaths. It has made some useful suggestions. The recommendations of the Police Commissioner reflect the constitutional concomitants of the fundamental rights to personal liberty and freedom. The Hon'ble Supreme Court in D.K. Basu Vs. State of W.B. 1997 (1) SCC 416 has issued several directions to be followed in all cases of arrest and detention. If the detention of Akhilesh and Sanjay be examined in the light of constitutional protection and the other protections laid down laid down in the Criminal Procedure Code, recommendation made by the National Police Commission of India and the Hon'ble Supreme Court we may observe that there is complete violation of the said provisions of law. It is true that we have not heard the police authorities in our inquiry however the Collector Singroli was kind enough to give us an opportunity to meet and discuss the issue. We are making reference to it as to show that we had tried our best to hear the other side also and since we have not heard the other side and further we may say that we have not collected all possible evidence in support of the case of custodial violence as such we have expressed that our finding is based on prima facie evidence.

In the light of the aforesaid discussions and the allegations made against the police authorities about custodial violence and death, illegal detention etc. we may observe that following offences may be said to have been committed by the authorities concerned:-

- f. Offence under Section 166A IPC for not recording information given under Section 154(1) of the Code of Criminal Procedure 1973.*
- g. Offence under Section 331 IPC for causing grievous hurt to extort confession or any information, when death resulted from injury and offence under Section 330/331 of IPC for causing grievous hurt to extort confession or any information.*
- h. Offence under Section 348 for wrongful confinement to extort confession or information.*
- i. Offence under Section 201 IPC for cause disappearance of evidence, or giving false information to screen offender.*

- j. *It is a case of criminal conspiracy and committing offence collectively for achieving common object for which the police authorities are required to be held liable for prosecution and punishment.*

Naqeeb Ahmed Siddiqui died in unprovoked police firing and four others receive gunshot injuries. The firing took place near the District and Sessions Court. Many Advocates, Member of Bar and Judicial Officers holding the Courts witnessed the unprovoked firing. The Bar Association passed a resolution condemning the police torture and firing and asked action to be taken against police authorities. After curfew was imposed the police making round in the area threatened the persons residing in the colony. They without any reason or rhyme broke cars motor cycles and other valuable articles including sewing machine of Mr. Hakim which was the only means of his livelihood. They assaulted not only the men but women and children and showered filthy abuses. Thus the police committed various offences under various provisions of IPC.

It is a case of unprovoked police firing. In our meeting with the Collector, on being asked as to who passed the order under Section 144 Cr.P.C. the Collector frankly disclosed that he did not pass the order, however, he instructed the Tehsildar to pass the order.

The general principle relating to exercise of powers under Section 144 Cr.P.C. are that the Magistrate must be satisfied that action under this section is necessary in order to effect an immediate prevention or speedy remedy in relation to mischief aimed at i.e. danger to life or safety or disturbance of public order. His decision on this point is the foundation of his jurisdiction to make an order. It is imperative on the part of the Magistrate to record an order under this section stating the material facts and his findings. In the instant case there appears to be no order in writing either passed by the Collector or by the Tehsildar. It is also doubtful whether the Tehsildar has been empowered by the State Govt. to pass an order under Section 144 Cr.P.C. However the law is very clear that an order under Section 144 Cr.P.C. though may be passed by an Executive Magistrate, he exercises quasi juridical power in doing so. The order should be reasoned one and must be passed after judicial inquiry. The Executive Magistrate must be a Magistrate who has been specifically empowered by the State Govt. If the order is made by a Magistrate who is not specifically empowered the order would be void under Section 461(j) of the Code of Civil Procedure. It is also very clear that the Collector or a Magistrate cannot delegate his authority to anybody as the condition precedent for the exercise of power under Section 144 Cr.P.C. is that Magistrate personally must be satisfied that action is necessary to prevent law and order or otherwise it is likely to endanger the human life or safety. Further from the appreciation of evidence our prima facie finding is that there were no circumstances

on account of which the Magistrate was required to pass order under Section 144 Cr.P.C. There was no urgency of any nature as contemplated in the section. The firing was aimed at a minor boy of 14 years coming from the school and going to offer Namaj in a Masjid and other persons who were not part of the crowd which gathered at the other side of the scene.

It was disclosed to us that compensation has been paid to the parents of deceased Naqeeb Ahmed Siddiqui and the other persons who received injuries. The amount so offered is a meager one. It is well settled principle of law that punishment for the offence must be left to the criminal courts in which the offender is to be prosecuted which the State in law is duty to do.

The award of compensation in public law jurisdiction is like civil suit for damages which is lawfully available to the victim or the heirs of the deceased with respect to the same matter for the torturous act committed by the functionaries of the State. The relief to redress wrong for the establishing reason of the fundamental rights of the citizens under public law jurisdiction is thus in addition to the traditional remedies and not in derogation of them. It is now well settled propositions in most of the jurisdictions that monetary or pecuniary jurisdiction is an appropriate and needed and effective and sometimes perhaps the only suitable remedy for redressal of the established infringement of the fundamental right to life of a citizen by the public servant and the State is vicariously liable for their acts. The claim of the citizen is based on the principle of strict liability to which the defence of sovereign immunity is not available and the citizen must receive the amount of compensation from the State, which shall have the right to be indemnified by the wrong doers.

The Govt. has appointed a retired District Judge as a one man Commission to inquire into the matter. The Committee is of the firm opinion that such type of inquiry against big police officers will be an eyewash and as such the Committee suggests that if at all the Commission of inquiry is to be set up it should be headed by either a sitting judge of the High Court or a retired judge of the High Court.

Thus to sum-up in the facts in circumstances of the matter we recommend as under:-

- F. The State should direct an appropriate prosecuting agency preferably the CBI to investigate the matter and file appropriate proceedings for prosecuting the wrong doers for various offences referred to above or any other offences for which the wrong doers may be found to be guilty by the prosecuting agency. Special Court may be constituted for prosecuting them and inquiry be directed to be completed within the period of three months.*

- G. *In addition to the setting up of the prosecuting agency, judicial inquiry be instituted which should be headed by either a sitting judge of the High Court or a retired judge of the High Court in consultation with the civil societies.*
- H. *The State Govt. should revise the amount of compensation on the basis of compensation awarded by the High Courts and the Supreme Court in such matters or the judicial committee may be empowered to recommend for the payment of the award of compensation in case the victims or the LRs of the deceased are not satisfied they reserve their right to agitate the matter regarding compensation for the breach of fundamental right or human right in the High Court of MP under Article 226 of the Constitution of India.*
- I. *Appropriate disciplinary action may be taken as per the recommendation of the judicial inquiry against wrong doers which includes the District Magistrate, SP, officers of the Thana, persons responsible for giving arbitrary and illegal firing order and the persons who fired the shot.*
- श्रु Civil Societies agitating the matter may be awarded cost of litigation as their assistance is the matter of amicus curial.

उपरोक्त कानूनी स्थिति को समझने के बाद कमेटी बचाव पक्ष को भी समझना चाहेगी। उनके अनुसार अखिलेश की मौत कुंआ में गिरने से हुई थी। अखिलेश का पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत छोटी आंत में छेद हो जाने से हुई थी, जो किसी ब्रन्ट व हार्ड हथियार से हुई थी और यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि उसकी मृत्यु लाश के बरामद होने के 2-5 दिन पहले हुई थी। स्पष्ट है मौत पानी में डूबने से नहीं हुई थी। लाश के पेट में पानी नहीं था, और उसका शरीर सफेद हो गया था। उसके शरीर की चोटें वर्णित की गई हैं।

इस प्रकार पुलिस का कथन कि अखिलेश कुंआ में दौड़ता हुआ, आकर गिर गया था और चोट गिरने से तत्काल पहले हुई थी, गलत है।

जांच कमेटी ने कुंआ का मौका देखा है। गवाहों के कथनानुसार भाग कर वहां तक जाना संभव नहीं दिखाई देता है। कुंआ की ओर बाड़ है, दौड़ने को स्थान नहीं है।

नकीब का पोस्ट मार्टम दिनांक 13.12.2013 को हुआ, जिसके अनुसार उसकी मौत गोली लगने से हुई थी।

संजय की चोटों की रिपोर्ट हमें नहीं मिल पाई। हम अस्पताल गये थे, किन्तु डॉक्टर उस समय नहीं मिले। संजय की चोटों का परीक्षण नेहरू शताब्दी चिकित्सालय के 4 डॉक्टर्स ने किया था। संजय की गम्भीर हालत को देखते हुए, उसे बनारस इलाज के लिए

भेजा गया। बाद में परिवार उसको वापिस लेकर आया था। कमेटी के सदस्य उसके घर मिले थे। वह बहुत पीड़ा में था। स्पष्ट बोल भी नहीं सकता था और उसकी हालत शोचनीय थी।

दिनांक 15.12.2013 को नरेश शाह, मि. जगन्नाथ सिंह व भरत शाह, सूर्य भवन में उच्च अधिकारियों से मिले थे और उन्होंने एस.पी. के विरुद्ध कार्यवाही को कहा था और उन्हीं के कारण संजय की एम.एल.सी. हुई थी।

इस प्रकार यदि हम गवाहों के बयानों, अखबार की खबरों, जो गवाहों के बयानों की सत्यता बताती हैं, और विभिन्न लोगों से बातचीत तथा ई-मेल का अध्ययन करें, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न व्यक्तियों ने जो अपने विचार रख कर, घटना क्रम का वर्णन किया है, जिनमें राजनेता, बार के अधिवक्ता और सिविल सोसाइटी के लोग थे, सभी के विचारों के साथ पुनः घटना क्रम को देखें, तो हम यह पायेंगे कि प्रत्यक्ष, केस पुलिस अभिरक्षा में बंदी की मृत्यु का उससे बाद नारकीय मारपीट, उत्पीड़न व यातनाओं से मरा पड़ा है। अखिलेश का कोई दोष नहीं होते हुए भी, उसे पुलिस उठाकर ले आती है। टी.आई व एस.पी. स्वयं मारपीट करने वालों में थे, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसे कुंआ में डाल दिया जाता है। संजय को नरेश के द्वारा बुलाया जाता है, उसे गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाता है, वह इन्कार करता है, तो उसके साथ मारपीट की जाती है, जिससे वह उत्पीड़ित होता है, उसे नारकीय पीड़ा व यातना दी जाती है, उसे मुर्दा सा बना कर घरवालों को सौंप दिया जाता है।

दूसरी ओर वे लोगे हैं जो किसी आन्दोलन में नहीं है। आन्दोलनकारी भीड़ का भाग नहीं है, उनमें कुछ तो छात्र हैं। एक लड़का मामा के साथ नमाज पढ़ने जमा रहा है, उन्हें गोली का शिकार बनाया जाता है। छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जहां वे पीड़ा से ग्रसित रहे हैं, किन्तु भगवान् की कृपा से वे बच सके हैं। पुलिस के जुल्मों से मोहल्ले के मोहल्ले परेशान हैं। उनकी सम्पत्ति सुरक्षित नहीं रही। अखिलेश के माता दर-दर की खाक छान रहे हैं, नजीब के माता-पिता भी अपने नसीम को कोस रहे हैं, उसका मामा अब भी पीड़ा झेल रहा है उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। घटना चक्र का खौफ लोगों के जहन में समा चुका है। इन्तजार कर रहे हैं, कब शान्ति वापिस आयेगी। प्रतिवेदनों के अम्बार लग चुके हैं। शासन मूक है।

हाँ, आंसू पोंछने के लिए न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और मामले की जांच एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश महोदय करेंगे, किन्तु अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। मृतकों के परिवार को तीन-तीन लाख रूपये दिए गए हैं जो राशि गांव वालों की राय में आज की भीषण आर्थिक कठिनाईयों में पर्याप्त नहीं है। एस.पी. का तबादला किया गया है और टी.आई. निलम्बित किया गया है।

समस्या बहुत विकराल है, इलाके में पुलिस का आतंक है और बड़ी-बड़ी कम्पनियों के मजदूरों का शोषण जारी है। यह वहां के लोगों की भावना है।

समिति सर्व सम्मति से उपरोक्त साक्षीगण व अन्य प्रकार की साक्ष्य से और परिस्थितियों के अध्ययन से प्रत्यक्षतः यह राय रखती है कि एस.पी. श्री जयदेवन व टी.आई. आर.एस. राजपूत दोषी प्रतीत होते हैं। कलक्टर की भूमिका भी संदेह से बाहर नहीं है क्योंकि कुछ गवाहों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गोलीकाण्ड के समय डण्डे बरसाने में वे भी व्यक्तिगत रूप से शामिल थे, यद्यपि उन्होंने इससे इन्कार किया है। इसी प्रकार तहसीलदार का गोली चलाने की आज्ञा देना भी जांच की अपेक्षा करता है। तहसीलदार की भूमिका कानूनानुसार दोष पूर्ण प्रतीत होती है। कई पुलिस अधिकारी हैं, उनके बावत भी उनकी भूमिका के अनुसार कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियां जांच कमेटी को यह सुझाव देती हैं कि :-

1. सम्पूर्ण घटना की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवारत अथवा निवर्तमान न्यायाधीश की एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जावे, अथवा ऐसी जांच कमेटी का गठन हो जिसके चेयर परसन उच्च न्यायलय के न्यायाधीश (वर्तमान् अथवा सेवानिवृत्त) हों और उसके दो अन्य सदस्य हों।
2. उक्त गठित कमेटी निम्न विषयों के मामलों की जांच करे :-
 - (i) क्या अखिलेश शाह का पुलिस द्वारा उठाकर ले जाना उचित व वैध था? क्या यह अवैध गिरफ्तारी थी?
 - (ii) क्या अखिलेश शाह को पुलिस अभिरक्षा में इतनी यातनाएं दी कि उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात् यह एक बनकवकंपस की घटना है?
 - (iii) क्या संजय शाह को पुलिस अभिरक्षा में त्वदहनिस बवदपिदमउमदज में रखकर यातनाएं दी गईं और बवदमि करने अथवा झूठी शहादत देने को बाध्य किया?
 - (iv) क्या पुलिस फायरिंग का आदेश देने के लिए शासन के पास पर्याप्त आधार थे और क्या आदेश सक्षम अधिकारी का था? यदि नहीं तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावे और सजा दी जावे?
 - (v) क्या एस.पी. जयदेवन व टी.आई. आर.एस. राजपूत, अखिलेश की मृत्यु व उनके साथ मारपीट करने व अत्याचार के लिए तथा संजय शाह के साथ मारपीट करने व नारकीय पीड़ा के लिए उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर, आई.पी.सी. की धाराओं के अपराध 302, 330, 201 व अन्य/34 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर, उन्हें दण्डित किया जावे?

- (vi) क्या अखिलेश व नकीब के परिजन उनकी मृत्यु के कारण राज्य सरकार से उचित मुआवजा 25 लाख रुपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा संजय शाह व अन्य जिन्हें गोली लगी है अथवा अन्य चोटें लगी हैं वे भी राज्य सरकार से उचित मुआवजे के अधिकारी हैं?
- (vii) क्या राज्य का प्रशासन घटनाओं पर नियंत्रण करने में असफल रहा है? यदि हां जो जांच कमेटी सुधार के हेतु क्या सुझाव देना चाहेगी?
- (viii) क्या संजय शाह सरकारी खर्च पर पूर्ण इलाज का अधिकारी है और यदि वह अपाहिज होता है तो क्या मुआवजे का अधिकारी है?

न्यायिक जांच कमेटी को अधिकार दिया जावे कि जांच के दौरान जिन व्यक्तियों के विरुद्ध दोष आरोपित किये जा सकते हैं उनके विरुद्ध न्यायिक जांच कमेटी किसी भी स्टेज पर कार्यवाही प्रारम्भ कर सकती है। जांच कमेटी 6 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और रिपोर्ट की सिफारिशों को एक माह में लागू किया जाए।

जांच कमेटी ने अपनी इस रिपोर्ट को जो आज प्रेस/जनता के समक्ष रखा है, उसे वह मध्यप्रदेश राज्य को शीघ्र ही प्रेषित कर उचित कार्यवाही की अपेक्षा करेगी। कमेटी स्पष्ट करती है उनकी यह रिपोर्ट उनकी प्राइमफेसी राय को अभिव्यक्त करती है, जिसका अभिप्राय है उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के हेतु इसे पर्याप्त सबूत के रूप में माना जा सकता है। जांच कमेटी की रिपोर्ट को किसी भी प्रकार सदस्यों की दुर्भावना से दूर माना जावे। साक्षीगण के कथन पर कमेटी ने अपनी राय दी है। दोषी व्यक्तियों को सजा देने का काम न्यायालय का है।

कमेटी नेहरू शताब्दी अस्पताल के अधिकारियों, कलेक्टर सा0, प्रेस, टीवी चैनल सभी के प्रति उनके सहयोग देने पर आभार अभिव्यक्त करती है। मृतक अखिलेश व नकीब के परिवार जनों के प्रति संवेदना प्रकट करती है।

जांच कमेटी के सदस्यों ने सर्व सम्मति से प्रस्तुत रिपोर्ट आज दिनांक 24.02.2014 को अपने हस्ताक्षरों से प्रकाशित की है।

(जस्टिस पानाचंद जैन) (सौम्या दत्ता) (अजय के. झा) (संजीव कुमार)

(अजीता जार्ज) (अराधना भार्गव)

Annexure 5

Affidavits/Memorandum given to the various authorities by family of the victims



प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय— पुलिस थाना बैढ़न द्वारा मारे गये बेगुनाह लोगों की सी0बी0आई0 जांच हेतु।

—00—

महोदय,

विषयांकित के संबंध में नीचे लिखे अनुसार पुलिस थाना बैढ़न, जिला सिंगरौली द्वारा दिनांक— 13.12.2013 को बेगुनाह एवं निर्दोष लोगों की पुलिस गोली से निर्मम हत्या किये जाने की सी0बी0आई0 से जांच कराये जाने हेतु।

01. मात्र 10 लीटर डीजल चोरी के आरोप में दिनांक— 05.12.2013 को ग्राम बिलौंजी निवासी अखिलेश साहू को पुलिस द्वारा उसके रिश्तेदार के घर ग्राम अमझर से उठाया गया।

02. दिनांक— 05.12.2013 के 3, 4 दिन बाद तक जब अखिलेश वापस नहीं आया तब परिजनों की ओर से अखिलेश साहू को वापस बुलाने की मांग की जाने लगी, जिस पर पुलिस थाना बैढ़न द्वारा उसके चचेरे भाई संजय साहू के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की गयी जिसे मरनासन्न हालत में एन0सी0एल0 के नेहरु अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में गंभीर हालत की वजह से उसे उ0प्र0 के वाराणसी अस्पताल में एसाज के लिये रेफर कर दिया गया है जो आज भी पुलिस द्वारा किये गये मारपीट की वजह से मरनासन्न हालत में है।

03. उधर दिनांक— 05.12.2013 को पुलिस द्वारा मात्र 10 लीटर डीजल चोरी के आरोप में उठाये गये अखिलेश साहू की लाश जब कुएं में मिली जिसके शरीर में गंभीर चोटों के निशान मौजूद थे। लाश को देखते ही मृतक के परिजन व गांव वाले बौखला गये और पुलिसिया जुल्म के खिलाफ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री जयदेवन ए0 तथा अन्य पुलिस वाले जिन्होंने मृतक को उठाया था, उनके खिलाफ धारा 302 व 307 आई0पी0सी0 के तहत केश कायम करने की मांग को लेकर दिनांक— 13.12.2013 को ही चक्का जाम कर दिया गया।

04. दिनांक— 13.12.2013 को एस0पी0 श्री जयदेवन ए0 व अन्य पुलिस बल अपने खिलाफ हो रहे आंदोलन को दबाने की गरज से बिला कलेक्टर के स्वीकृत के ही एस0पी0 द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से एलाउंस भी कराया जाने लगा कि सभी लोग अपनी-अपनी दुकानें बंद कर दें और घर चले जायें।

05. पुलिस के एलाउंस तथा धारा 144 लगने के बाद निरअपराध व निर्दोष मृतक नकीब अहमद सिद्धिकी भी ग्राम बिलौंजी स्थित अपने मोटर पार्ट्स की दुकान को बंद कर जुमे की नमाज पढ़ने के इरादे से बैढ़न जामा मस्जिद आ रहा था। दिनांक— 13.12.2013 को समय 12:30 बजे जैसे ही हायर सेकेण्ड्री स्कूल (बालक) बैढ़न के पास पहुंचा था जहां किसी तरह का न तो आंदोलन था और न ही प्रदर्शन, पुलिस बल द्वारा बिना किसी वजह से मृतक नकीब अहमद सिद्धिकी को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। नकीब अहमद को पुलिस ने गोली उसे सर पर मारी जो गोली मृतक नकीब अहमद के मुंह के जबड़े को चीरती हुये उसके गर्दन को पार करती हुई बाहर निकल गयी, जिसकी वजह से घटना स्थल पर ही नकीब अहमद की मृत्यु हो गयी जो 22 साल की उम्र का एक होनहार पढ़ा-लिखा शरीफ लड़का था, पुलिस अन्याय का शिकार हो गया।

06. दिनांक— 13.12.2013 को पुलिस की गोली का शिकार होने तथा घटना स्थल पर ही मृतक नकीब अहमद की मृत्यु होते देखकर जब कुछ देर पर खड़े उसके परिजन उसे अस्पताल ले जाने

कमशः—2

(2)

हेतु मृतक को उठाने लगे तब पुलिस बल द्वारा उनके साथ भी गंभीर मारपीट किया गया जिनके चोटों के निशान आज भी गवाह हैं, फिर भी मृतकके परिजनों द्वारा मृतक को तत्काल अस्पताल बैढ़न ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया।

07. उपरोक्तानुसार पुलिस बल की ओर से किये गये जुल्म से पेट नही भर तब पुलिस बल की ओर से अस्पताल मे मौजूद उसके परिजनों के साथ-साथ अस्पताल मे भर्ती मरीजों के परिजनों को भी अस्पताल मे घुस कर गंभीर रुप से मारपीट किया गया।

08. उपरोक्तानुसार दिनांक- 13.12.2013 को ही पुलिस की ओर से किये गये जघन्य अपराध व उसके जुल्मों को छुपाने की गरज से शाम 6:30 बजे कर्फ्यू भी लगा दिया गया और पूरे बैढ़न, बिलौंजी के लोगों को घर मे ही रहने और बाहर न निकलने की हिदायत दिये जाने के बाद पुलिस ने तीसरी बार पुनः लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया गया और घरों के बाहर खड़े दो पहिया एवं 4 पहिया वाहनों को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया जिनकी संख्या सैकड़ों मे है।

09. दिनांक- 13.12.2013 के घटना के बाद पुलिस द्वारा यह प्रचारित कराया जाने लगा कि मृतक अखिलेश साहू जिसे पुलिस ने पूर्व मे उठाया था की मृत्यु कुयें मे गिरने से हुई है।

अतः निवेदन है कि पुलिस द्वारा दिनांक- 13.12.2013 को किये गये घोर पुलिसिया अन्याय व अत्याचार तथा पुलिस गोली से मारे गये बेगुनाह व निर्दोष की हत्या किये जाने की सी0बी0आई0 जांच कराकर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री जयदेवन ए0 एवं अन्य पुलिस वालों के खिलाफ आई0पी0सी0 की धार 302 व 307 के का प्रकरण पंजीबद्ध कराये जाने एवं पुलिस गोली से मारे गये नकीब अहमद के परिवार को कम से कम 500000 /- (पांच लाख रुपये) का मुआवजा दिये जाने के साथ-साथ परिवार के एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी दिये जाने की कृपा की जाय।

दिनांक- 24.12.2013

प्रार्थी

लईफ अहमद सिद्धिकी
पिता मोहरम बक्स,
सा0 बैढ़न तह0 व जिला सिंगरौली
(म0प्र0)

सामान्य शिफ्ट लंबी रात में ऊपर उभरना चाहिए।

13.12.13

यदि शिफ्टमें, वृद्ध
कामगारों का काम है।

विषय :- पुराना शिफ्ट में शिफ्टिंग का काम
(वृद्ध कामगारों)

महेश्वर,

विद्यार्थियों को कि शिफ्टिंग का काम

13-12-13 को मॉर्निंग 2-3 घंटे का काम शुरू करा
आज शिफ्टिंग का काम शुरू करने का उद्देश्य
शिफ्टिंग करने में कमी 2 आ 3 घंटे का काम
पूरा करने का काम है (शिफ्टिंग) आज का 2 घंटे का
काम शिफ्टिंग के काम में शिफ्टिंग का काम
पूरा करने का काम है। शिफ्टिंग का काम
आज का काम है। शिफ्टिंग का काम

13/12/13 P.M.

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय, वैठन
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

Postmark: Waidhan S.O. 18/12/2013 11:56

From: LAIF AHMED, Waidhan S.O. PIN: 486886

FLAD Waidhan SO <486886>
A RI1095111613
Counter No:1.CP-Codes:PA
To:CPD OF POLICE, Waidhan
Waidhan S.O., PIN:486886
From: LAIF AHMED, Waidhan
Wt:20grams.
Post:25.00, 18/12/2013, 11:56
<<Have a nice day>>



From: LAIF AHMED, Waidhan S.O. PIN: 486886

FLAD Waidhan SO <486886>
A RI1095111441
Counter No:1.CP-Codes:PA
To:NAACP NIRIKSHAK, KOTWALI
Waidhan S.O., PIN:486886
From: LAIF AHMED, Waidhan
Wt:20grams.
Post:25.00, 18/12/2013, 11:56
<<Have a nice day>>



From: LAIF AHMED, Waidhan S.O. PIN: 462001

FLAD Waidhan SO <486886>
A RI1095111581
Counter No:1.CP-Codes:PA
To:CPD POLICE, BHOPAL
Bhopal S.P.O., PIN:462001
From: LAIF AHMED, Waidhan
Wt:20grams.
Post:25.00, 18/12/2013, 11:56
<<Have a nice day>>



From: LAIF AHMED, Waidhan S.O. PIN: 486001

FLAD Waidhan SO <486886>
A RI1095110421
Counter No:1.CP-Codes:PA
To:POLICE MAHANIRIKSHAK, BEMA
Bema S.O., PIN:486001
From: LAIF AHMED, Waidhan
Wt:20grams.
Post:25.00, 18/12/2013, 11:57
<<Have a nice day>>



नगर निरीक्षक महोदय
कोतवाली बैद्वन जिला सिंगरौली
म0प्र0

बिषय :-दिनांक 13-12-2013 को समय दोपहर 12:30 बजे जुमे की नमाज पढ़ने बैद्वन जामा मस्जिद जा रहे नकीव अहमद सिददीकी को पुलिस बल के द्वारा सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दिये जाने के बिरुद्ध सिंगरौली पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए तथा पुलिस बल के बिरुद्ध हत्या एवं मारपीट का अपराधिक मामला दर्ज किये जाने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट।

महोदय,

आपको सूचना देता हूँ कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन मुस्लिम सम्प्रदाय के द्वारा एक साथ बैद्वन के जामा मस्जिद मे एकत्र होकर जुमे की नमाज अदा की जाती है और दिनांक 13-12-2013 को भी शुक्रवार का दिन होने से नकीव अहमद सिददीकी जिसकी बैद्वन ताली मे मोटर पार्टस की दुकान है वह जुमे की नमाज अदा करने के लिए दोपहर लगभग 12:30 बजे अपनी दुकान बन्द करके मेन रोड बैद्वन पर पैदल ही ताली से चलकर बैद्वन जामा मस्जिद को आ रहा था और जब नकीव अहमद बैद्वन के हायर सेकेन्डरी स्कूल के सामने आया तभी बिलौजी की तरफ से कुछ लोगों की भीड़ हल्ला और पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए के बिरुद्ध नारेबाजी करती बैद्वन थाना की ओर जाने के लिए आ रही थी जिसे रोकने के लिए हायर सेकेन्डरी स्कूल बैद्वन के सामने लगभग 50 से भी ज्यादा शस्त्र पुलिस फोर्स खड़ी थी जिनके द्वारा पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए जो उस समय थाना बैद्वन मे मौजूद थे के निर्देश पर अचानक बिना कोई चेतावनी दिये अपनी बन्दूकों से फायरिंग करना शुरू कर दिया जिससे पुलिस के द्वारा चलायी गई एक गोली नकीव अहमद सिददीकी के मुँह मे आ लगी जो उसके गर्दन को चीरती हुई बाहर निकल गई जिससे नकीव अहमद सिददीकी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई इसके अलावा हायर सेकेन्डरी स्कूल के पास मौजूद 4-5 छात्र भी पुलिस की गोलियों से गम्भीर रूप से घायल हो गये।

इस घटना की जानकारी नकीव अहमद सिददीकी के परिजनों को होने पर उसके परिजन शमीम खान उर्फ लोली एवं अन्य लोग घटना स्थल पर गिरे हुए नकीव अहमद सिददीकी को जब उठाकर बैद्वन अस्पताल ले जाने लगे तो पुलिस बल के द्वारा उन्हें भी डन्डों से मारा गया जिससे उन्हें गम्भीर चोटें लगी लेकिन फिर भी इसकी अनदेखी कर नकीव अहमद को जब वे लोग उठाकर बैद्वन अस्पताल लाये तो पुलिस बल के द्वारा बैद्वन अस्पताल परिसर के अन्दर आकर मृतक नकीव अहमद के पिता लईफ अहमद, अकीव अहमद, नफीस अहमद, डा0 अशफाक अहमद व तुल्लन इत्यादि लोगों को घेरकर लाठियों से पीटना शुरू कर दिया जिससे सभी को गहरी चोटें लग गई। इस घटना के बाद बैद्वन शहर मे पुलिस के द्वारा कर्फ्यु लगा दिया गया जिस कारण इस घटना की तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाये और जब कर्फ्यु हटने के बाद दिनांक 16-12-2013 को मैं इस घटना की रिपोर्ट लिखाने पुलिस थाना बैद्वन गया तो पुलिस थाना के टी.आई राजपूत के द्वारा पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए के बिरुद्ध रिपोर्ट को देखते ही उसे लेने से इन्कार कर दिये और मुझे धमका कर थाना से भाग जाने को कहा गया, जिस कारण मैं यह लिखित रिपोर्ट डाक पत्र द्वारा आपको दे रहा हूँ।

अतः प्रार्थना है कि मेरी इस लिखित रिपोर्ट को प्रथम सूचना रिपोर्ट मानकर जयदेवन ए पुलिस अधीक्षक सिंगरौली एवं पुलिस बल के बिरुद्ध हत्या एवं मारपीट का अपराधिक मामला दर्ज कर जाँच कराये जाने का आदेश देने की महती कृपा हो।

दिनांक 18-12-2013

प्रार्थी

प्रतिलिपि

1-श्रीमान डी.जी.पी. भोपाल

2-पुलिस महानिरीक्षक रीवां

3-पुलिस अधीक्षक सिंगरौली
(वर्तमान)

लईफ अहमद पिता मर्हरम बख्त
निवासी बैद्वन थाना बैद्वन जिला
सिंगरौली म0प्र0

लईफ अहमद



कार्यालय जिला अधिवक्ता-संघ वैदण

जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

रमाशंकर शाह
अध्यक्ष

9926983407, 9424919689

बृजेंद्र देव पाण्डेय
उपाध्यक्ष

09425840903

कै. कै. सिंह
सचिव

9669018802

जगमोहन शाह
सह सचिव

9424945182

E: jagmohanshahadv@gmail.com

रामलखन सिंह वैश्य
कोषाध्यक्ष

अजयशंकर शाह

पत्रांक.....

OP/13

दिनांक.....

17/12/2013

प्रति,

श्री महान शिवराज सिंह जी चौहान

मुख्य मंत्री

मध्य प्रदेश शासन भोपाल ।

विषय:- वैदण मुख्यालय जिला-सिंगरौली (म.प्र.) में अखिलेश कुमार शहा पिता भरत लाल शहा की संदिग्ध परिस्थिति में कुरंग में लाशा मिलने के कारण शांतिपूर्ण प्रवृत्ति के दौरान गोली चलाये जाने से मृतक नकीब अहमद सिद्दीकी की मृत्यु एवं 3 अन्य व्यक्तियों/घायलों की सी.बी.आई द्वारा जांच कराए जाने वावत जापन ।

मान्यवर,

जिला अधिवक्ता संघ वैदण की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव के साथ मांग-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है:-

प्रस्ताव क्रमांक-1

स्थानीय वैदण के पुलिस अधिकारियों द्वारा दि. 13.12.13 के पूर्व अखिलेश कुमार शहा पिता श्री भरत लाल शहा ग्राम- बिलोजी को वैदण थाना लाया गया, जिसका शव कुरंग में फेंक देने व संजय शहा पिता शिव सागर शहा ग्राम-अम्बर को प्राणघातक चोटें पहुँचाकर मरणांतन्न अवस्था में उसके निवास पर फेंक देने तथा उससे उपजे जन असन्तोष को दबाने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें मोहम्मद नकीब सिद्दीकी पिता लईक सिद्दीकी उर्फ छोटे निवासी वैदण की मृत्यु हो गई। तथा जिला चिकित्सालय वैदण में घुसकर उनके परिजनों नफीस सिद्दीकी, अकीब सिद्दीकी एवं कमीम खान उर्फ लोली एवं लईक सिद्दीकी, हलीम मोहम्मद उर्फ दुल्लन तथा डा.0 अफाक अहमद सिद्दीकी एवं अन्य मरीजों के साथ मारपीट किये जाने, मृतक अखिलेश कुमार शहा के निवास व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैदण के समीप गोली चलाकर दर्जनों छात्रों को घायल कर देने की निष्पक्ष जांच केन्द्रीय अन्वेषण दलों से कराये जाने के लिए अधिवक्ता संघ वैदण विनम्र आग्रह करता है।

--24--



कार्यालय जिला अधिवक्ता-संघ वैदण जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

पत्रांक... 013 /12/11

दिनांक... 12/12/2013

रमाशंकर शाह

प्रस्ताव क्रमांक-02

9424945182

स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा अभिजातारकों के स्वस्थ प्रतिशाधि

के लिए फर्जी मुकदमों का कायमी कर निर्दोष लोगों को अभियोजित हे किये जाने का षडयंत्र किया जा रहा है, जिसकी जांच भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सुपुर्द किया जाय तथा स्थानीय पुलिस द्वारा जांच कार्यवाही रोकी जाय।

बृजेंद्र देव पाण्डेय
उपाध्यक्ष

09425840903

प्रस्ताव क्र-3

क. क. सिंह

मृतक अखिलेश कुमार शाह एवं मोहम्मद नकीब सिद्दीकी के परिजनों को दस-दस लाख रुपये एवं लाठी एवं गोली चार्ज से घपलों की उनके उपचार का सम्पूर्ण खर्च प्रशासन द्वारा वहन करने के साथ-साथ एक-एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति ^{रकशि} 00 दिया जाय। तथा दोनों मृतकों की पत्नियों को शांतकोय नौकरी दिलायी जाय।

9439018802

अन्तु उक्त तथ्यों के प्रकाशा में मांगपत्र प्रस्तुत कर विनय है कि शीघ्र कार्यवाही किया जाकर न्याय दिलाने का कृपा करें।

जगमोहन शाह
सह सचिव

9424945182

भूतदीय
अध्यक्ष

जिला-अधिवक्ता संघ वैदण

जिला-सिंगरौली १ म०प्र०

E : jgmohanshahadv@gmail.com

रामलखन सिंह वैश्य



कार्यालय जिला अधिवक्ता-संघ वैदण

जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

पत्रांक... न्यू/2013

दिनांक... 13. 12. 2013

रमाशंकर शाह

9926983407, 9424919689

बृजेंद्र देव पाण्डेय
उपाध्यक्ष

09425840903

के. के. सिंह
साथव

9669018802

जगमोहन शाह
सह सचिव9424945182
E : jagmohanshahadv@gmail.comरामलखन सिंह वैश्य
कोषाध्यक्षअमरकेश पाण्डेय
ग्रन्थपाल

09425391185

सेवा में,

महामहिम् राज्यपाल महोदय,
मध्य प्रदेश शासन,

विषय: - वैदण जिला सिंगरौली के मुख्यालय में कार्यरत टाईपिस्ट श्री भरतलाल शाह के पुत्र अखिलेश शाह का शव लगभग सप्ताह भर बाद ग्राम अमहर के एक कूप में संदिग्ध अवस्था में मिलने की बजह से उसकी सी. बी. आई. से जांच कराये जाने हेतु आवेदन पत्र।

मान्यवर,

विनम्र निवेदन है कि ग्राम बिलौजी तेलियान, जो कि जिला मुख्यालय वैदण के समीप में स्थित है के निवासी भरतलाल शाह के पुत्र अखिलेश शाह को वैदण पुलिस उसके मामा के घर ग्राम अमहर से पांच-छः दिन पूर्व ले आई थी और इस बीच उसकी कोई खोज उबर नहीं मिली और आज दिनांक 13. 12. 2013 को सुबह अचानक कुछ लोगों के बताने पर उसकी लाश संदिग्ध अवस्था में ग्राम अमहर के एक कूप में पायी गयी। यह कूप खेत के बीच में है। जानकारी होने पर मृतक के परिवार वालों तथा जनमानस में इस घटना को लेकर अनेक तरह की शंकाये व्यक्त की जा रही है ऐसी स्थिति में अखिलेश शाह को पुलिस द्वारा ले जाया जाना और पांच-छः दिनों के बाद अचानक लाश का कूप में मिलना तमाम संदेहों को जन्म दे रहा है। परिवार जन तथा आम जनता द्वारा उक्त घटना का विरोध किये जाने पर यहाँ मुख्यालय में फायरिंग की जा रही है तथा आँसू गैस छोड़ी जा रही है जिससे अनेकों लोग हताहत हो गये है तथा ^{युवक} का शव अभी तक कूपे में ही पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में इस घटना की सी. बी. आई. द्वारा जांच कराया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

अस्तु अधिवक्ता संघ वैदण जिला सिंगरौली महामहिम् से उक्त घटना की सी. बी. आई. द्वारा जांच कराये जाने का आदेश दिये जाने की महती अनुकम्पा प्रदान किये जाने हेतु सादर अनुरोध करता है।

स्थान- वैदण

दिनांक- 13. 12. 2013


जिला अधिवक्ता संघ वैदण
जिला सिंगरौली (म.प्र.)



पंजाब

श्रीमान कमिश्नर महोदय
रीवा संभाग - रीवा (झरणा)

विषय: — अज्ञात दर्ज विरत जाने एवं न्यायपूर्ण
आंच विरत जाने काबत।

महोदय,

निवेदन है कि प्राधी के अरिक्लेश शाह को दिनांक -
05.11.13 को रात्रि लगभग 12.00 बजे गजदेवन ए. डी.
किंगडोली एवं आर. एल राजपूत T. I. बैलन एवं कान्त
पुलिवरणी नाम - अमझर मामा शिवलागर के घर से
उठा का ले गए थे। जिसकी खोजबीन किए जाने पर
T. I. बैलन एवं डी. पी. किंगडोली के द्वारा कार-2 कब्जा
जाता है कि - विजय कृष्ण शाह एवं संजय कृष्ण शाह
सां अमझर को पैरा का दो तो अरिक्लेश शाह को छोड़
देते जो सही हालत में सुरक्षित है। फिर प्राधी एवं उसके
साथियों द्वारा मामा कलेक्टर किंगडोली को दिनांक-14/11/13
को वापस भी विदित गया था। उसी दिनांक
11/11/13 को प्राधी के लाले शिवलागर शाह के पुत्र
संजय शाह को T. I. बैलन को सुपुत्र विरत गया
जिसके भी T. I. बैलन एवं डी. पी. किंगडोली तथा कान्त
पुलिवरणी ने खूब प्रियर्ष का दिनांक 11/11/13
को घर में छोड़ दिए थे। तब ही संजय शाह ने एक-
चिठिकावली का भर्षा है जिसे खूब छोटे आर्ष है।

अतः निवेदन है कि पुलिस थरडो में
दुर्घ आरक्लेश शाह की मृत्यु एवं संजय शाह की विरत
का उचित काबूनी कार्रवाई एवं दोषियों को चंडित

Rec.
14/11/13
सुधीमणि रावत

श्री मान् कलेक्टर महादय,
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

विषय :- प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार की पुलिस थाना वैढन में पुलिस कस्टडी में हुई हत्य के कारण अखिलेश कुमार का शव परीक्षण एवं विडियो ग्राफी से कराए जाने के संबंध में।

मान्यवर,

निवेदन है कि प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह को दिनांक 05.12.2013 की रात्री में रात 12.00 बजे पुलिस थाना वैढन के टी0आई0 राजपुत एवं एस0पी0 ए0 जयदेवन एवं चार पुलिस कर्मी उठा कर थाने ले गये थे और आज तक थाने में ही रखे रहे अंततः आज पता चला की आज पुलिस वालो ने अखिलेश कुमार की हत्या कर ग्राम अमझर के कुए में फेक दिए है। अखिलेश कुमार शाह की मृत्यु पुलिस कस्टडी में पुलिस के द्वारा की गई हत्या से हुई है इस कारण उसका शव परीक्षण डाक्टरों की टीम के द्वारा विडियो ग्राफी से कराया जाना सही निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु न्यायोचित होगा।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि उक्त मृतक अखिलेश कुमार शाह के शव का पोस्ट मार्टम विडियो ग्राफी से डाक्टरों की टीम द्वारा कराए जाने की कृपा की जाय।

दिनांक - 13/12/2013

प्रार्थी

भरत लाल शाह पिता स्व0 विश्वनाथ
शाह निवासी ग्राम बिलौंजी तेलियान
थाना वैढन तहसील व जिला सिंगरौली
(म.प्र.)

dh

SV

दिनांक - 13/12/2013

भरत लाल शाह पिता स्व0 विश्वनाथ
शाह निवासी ग्राम बिलौंजी तेलियान
थाना वैढन तहसील व जिला सिंगरौली
(म.प्र.)

श्री मान् थाना प्रभारी अधिकारी
महोदय, थाना वैढन जिला
सिंगरौली (म.प्र.)

विषय :- प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार की पुलिस थाना वैढन में पुलिस कस्टडी में हुई हत्या की रिपोर्ट।

मान्यवर,

निवेदन है कि प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह को दिनांक 05.12.2013 की रात्री में रात 12.00 बजे पुलिस थाना वैढन के टी0आई0 राजपुत एवं एस0पी0 ए0 जयदेवन एवं चार पुलिस कर्मी उठा कर थाने ले गये थे और आज तक थाने में ही रखे रहे अंततः आज पता चला की आज पुलिस वालो ने अखिलेश कुमार की हत्या कर ग्राम अमैझर के कुए में फेक दिए है। अखिलेश कुमार शाह की मृत्यु पुलिस कस्टडी में पुलिस के द्वारा की गई हत्या से हुई है। पुलिस द्वारा की गई उक्त घटना एवं अपराध की समुचित विवेचना कर कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है।

अतः रिपोर्ट प्रस्तुत कर विनय है कि उक्त मृतक अखिलेश कुमार शाह की हत्या के मुख्य आरोपी वैढन थाने के टी0आई0 श्री राजपुत एवं सिंगरौली जिला के एस0पी0 ए0 जयदेवन के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर इनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही किए जाने की दया की जाय।

दिनांक - 13/12/2013

प्रार्थी

भरत लाल शाह पिता स्व0 विश्वनाथ
शाह निवासी ग्राम बिलौंजी तेलियान
थाना वैढन तहसील व जिला सिंगरौली
(म.प्र.)

प्रतिलिपि-

श्रीमान कलेक्टर महोदय सिंगरौली (म.प्र.)
श्रीमान पुलिस महा निरीक्षक महोदय रीवा (म.प्र.)
श्रीमान पुलिस महा निदेशक महोदय भोपाल (म.प्र.)
श्रीमान माननीय मुख्य मंत्री महोदय भोपाल (म.प्र.)
समस्त इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रभारी महोदय
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक - 13/12/2013

प्रार्थी

भरत लाल शाह पिता स्व0 विश्वनाथ
शाह निवासी ग्राम बिलौंजी तेलियान
थाना वैढन तहसील व जिला सिंगरौली
(म.प्र.)

::सूचनाकर्ता को दी जाने वाली::

थाना ~~बैरठ~~ जिला ~~बैरठ~~

गुम इंसान क्रमांक ~~—~~ 96/2013

दिनांक सूचना व समय 21/12/13

सूचनाकर्ता का नाम ~~—~~ भारतमाल सिंह

पिता/पति ~~—~~ श्री विवता प्रसाद सिंह

फोन नम्बर 9826861168

व्यवसाय ~~—~~ टाईपिस्ट

गुम इंसान का नाम ~~—~~ श्री विवता प्रसाद सिंह

पिता/पति ~~—~~ श्री सुताराम सिंह

उम्र 27 वर्ष

निवासी ~~—~~ बिराठ जिला बैरठ

~~—~~ बिराठ जिला बैरठ

07805-233233

9425655111



रिपोर्ट लिख करने
वाले के हस्ता
(पद व शीर्षक)

सूचना देने वाले
व पावती के हस्ता.
09/12

श्रीमान नगर निरीक्षक महोदय

पुलिस कोंतवाली वेद न जिला सिंगरौली म० प्र०

विषय :- प्रार्थी के पुत्र अरविलेश कुमार
शाह पिता भरत लाल शाह ग्राम
विलोनी वार्ड नं० 42 का तलाक
कराये जाने का वक्त

मानवक

निवेदन है कि प्रार्थी का पुत्र अरविलेश
कुमार शाह दिनांक 05/12/2012 को अपने मामा
शिव शागर पिता भुवर शाह स्था० अथकूर (अमलारी पारे०)
के घर गया था किंतु आत लक उनके घर से वापस
नही आया है, प्रार्थी ने काफी तलाक किया किंतु उसका
कही वक्त नही तलाक है। प्रार्थी एवं उसका कारा परकार
जम शीक हो गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर विनय है कि प्रार्थी
के पुत्र अरविलेश कुमार शाह को तलाक कराये
जाने की सहनी कृपा करे।
दिनांक 21/12/13

प्रार्थी

भरत लाल शाह पिता स्था०
विश्वनाथ नारायण शाह ग्राम
विलोनी वार्ड नं० 42 नगर

विभाग- अवर निरीक्षक सड़ोउम,
जीतपुरी वैदुन, जिला तिगलौजी मडुपु.

विषय- दिनांक 05-12-2013 के राती 12 बजे के लगभग से प्रार्थी के पुत्र
अखिलेश कुमार शाह पिता भरत लाल शाह साठ बिलौजी, जो
ग्राम अमझर/अमलोरी परियोजना अपने मामा शिव सागर शाह के
घर गया था, जहाँ से गायब हो जाने के संबंध में।


मान्यवर,

निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम बिलौजी तेलियान वार्ड नं. 42 थाना वैदुन
का निवासी है। प्रार्थी का पुत्र अखिलेश कुमार शाह ग्राम अमझर में अपने मामा
शिव सागर शाह के घर पर गया था, जहाँ पर पुलिस थाना वैदुन व विन्ध्यनगर
के पुलिस कर्मी हाटा सफारी गाड़ी लेने गये थे, और शिव सागर के बच्चे से
गाड़ी की चाबी मांग रहे थे, और बोले कि एस.पी. साहब ने गाड़ी मगवाया
है, चाबी दे दो, किन्तु गाड़ी की चाबी नहीं दिये, तब मेरा लड़का शिव सागर
के लड़कों से चाबी मांगकर पुलिस को देने गया, तो उस समय उपस्थित पुलिसकर्मी
ने कहा कि अभी चाबी देने आया है, इसी को ले चलो, तब से प्रार्थी का पुत्र
गायब है। प्रार्थी को कल दिनांक 06-12-2013 को शाय 6 बजे फोन पर ^{उक्त वधु के} बताया
कि अभी तक अखिलेश कुमार घर पर नहीं आये हैं, कल अपने मामा के यहाँ गये
हुए थे, तब मुझ प्रार्थी को जानकारी मिली। तो प्रार्थी ने पता ~~क~~ करना शुरू
किया तो उक्त बातों के बारे में पता चला। पता चलते ही प्रार्थी ने एस.पी.
साहब से कल दिनांक 06-12-2013 को समय 07.47 मिनट शाम को फोन पर
बात किया तो साहब ने कहा कि विजय कुमार को हाजिर कर दो और अपने पुत्र
को ले जाओ। तब प्रार्थी निश्चिन्त हो गया कि प्रार्थी का पुत्र पुलिस के पास
दिएफाजत में है। प्रार्थी आज दिनांक 07-12-2013 को श्रीमान एस.पी.साहब से
रामनिवास शाह, नरेश कुमार शाह एवं मैं स्वयं सबूत बात किये तो श्रीमान ने
बताया कि मेरे पुलिस कर्मी किसी को नहीं लाये हैं, मात्र गाड़ी लाये हैं, मैंने तो
शेते ही कह दिया था, कि विजय को हाजिर कर दोगे। इतना सुनते ही प्रार्थी
को चिन्ता हो गई कि अखिलेश कुमार गायब कहाँ हो गया, जिससे यह
रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा रहा है।

— शेष पेंज नं. 2 पर

अतः लिखित रिपोर्ट पेश कर विनय है कि प्रार्थी के पुत्र अश्विनी कुमार शाह पिता श्री भरत लाल शाह निवासी ग्राम बिलौजी तेलियान वार्ड नं. 42 नगर पालिक निगम सिंगरौली जिला सिंगरौली म०प्र० को तलाश कर दिये जाने की इया की जाय ।

दिनांक- 07-12-2013



प्रार्थी

भरत लाल शाह पिता स्व. विश्वनाथ प्रसाद शाह निवासी ग्राम बिलौजी तेलियान वार्ड नं. 42, नगर पालिक निगम सिंगरौली म०प्र०.

मध्यप्रदेश शासन
पुलिस विभाग
शव परीक्षण के लिये आवेदन

क्रमांक 1364
15.12.13

पता जिला तारीख 15.12.13

ति,

जिला चिकित्सा अधिकारी/सहायक चिकित्सा अधिकारी,
.....

आपके पास शव परीक्षा के लिये शव, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, भेजा जा रहा है. कृपया परीक्षा कर के मृत्यु के कारण के संबंध में अपना मत शीघ्रातिशीघ्र मेरे पास भिजवायें.

शव के साथ निम्नलिखित वस्तुएं भी परीक्षण के लिये भेजी जा रही हैं :-

वस्तुओं का विवरण :- ^{कुमार} शव के शरीर के अंगों का निरीक्षण करने के लिये शरीर को धोकर लेना तथा शरीर का शिकंसा खोलना. तासीर ठीक हो, कब्ज न हो, पेशाब न हो, शरीर का पीछा न हो, शरीर के अंगों का निरीक्षण करने के लिये शरीर को धोकर लेना. शरीर के अंगों का निरीक्षण करने के लिये शरीर को धोकर लेना. शरीर के अंगों का निरीक्षण करने के लिये शरीर को धोकर लेना.

.....
.....
15/12/13

.....
.....
15/12/13
.....
.....

.....
थानेदार 15/12/13

शव परीक्षा प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

Akhilash k. shah s/o Bharat Lal shah 27 y. (2)

नाम का शव उम्र
 जाति ग्राम
 पुलिस थाना को
 पुलिस थाना के
 पत्र क्रमांक तारीख
 के साथ, शव परीक्षा का जांच पत्र तारीख को
 बजे प्राप्त हुआ.

पहिचान और जाति चिन्ह :-

- (1) Bhagwan das shah
- (2) Haridharan shah
- (3) Dharmendra Krishan s/o Manojan das shah.

नीचे हस्ताक्षरकर्ता के मय तारीख को बजे पहली बार देखा था और उस समय वह था

(गरम था, ठंडा था या सूकड़ गया था, या जीवित था, या मृतक था और किस किस अंगों से थोड़ी (सड़ांध), सामान्य सड़ांध या बुरा सड़ांध आने लगी थी.)
 Decayed male body lying on table, eyes open, mouth open, tongue protruded, abdomen distended, peeling all skin all over body, rigor mortis is passed off from all parts of body. there is no any types of stains are found over body on compression of chest froth is not come out from nostril and mouth. Ext. genitalia are healthy & swollen due to putrefaction. rectum is not protruded, healthy & no injury. whole body is swollen due to putrefaction. both eye ball bulge out side. following Ext. injuries are detected :- 1) due to peeling all skin due to putrefaction exact Ext. injuries could not identified but on cutting longitudinally on both hands and legs and soles be found one subcutaneous collection of blood clots near measuring 1 x 1 inches size on R.D. upper arm in front side, in same manner second underneath skin ecchymosis found on left arm 3 inches above the elbow in front side measuring 2 x 1 inches. there two injury could be caused by hard & blunt objects and are antinomous in nature.
 Dark reddish discoloration of face & upper part of chest and mild reddish discoloration over arms & legs, thighs and scrotal region. nails are not ignored.

शव परीक्षा प्रतिवेदन

शव परीक्षा तारीख 14/12/13 को 11.30 am बजे मध्याह्न पूर्व/मध्याह्न पश्चात् आरंभ की गई.

तारीख 14/12/13

हस्ताक्षर

निरीक्षण

एक-बाहरी रूप

टीप.—सभी अंगों की स्थिति का निरीक्षण करें और यदि कोई बीमारी या चोट न पाई जाय तो स्वास्थ्य लिख दें.

1. शारीरिक हाल—तगड़ा, दुबला, विघटित आदि *Healthy.*
2. घाव कहां है, आकार स्वरूप *As describe page ②*
3. चोट कहां लगी है, आकार स्वरूप *Nil*
4. गर्दन पर गांठ के निशान, विच्छेदन आदि *Nil*

दो-कपाल और मेरूदण्ड

टीप.—जब तक मेरूदण्ड में कोई रोग या चोट के चिन्ह दिखाई न दें तब तक उसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है.

1. खोपड़ी, कपाल और कशेरुका का *Healthy*
2. सिल्लो *Healthy*
3. मस्तिष्क और मेरूदण्ड *Brain liquified*

तीन-वक्ष

1. परदा, पसली और कोमलस्व *Healthy.*
2. फुफ्फुस *Healthy.*
3. कंठ और श्वास नली *Healthy. on cut section there is no any type of froth seen.*
4. दाहिना फेफड़ा *Healthy. on cut section there is no oozing of froth seen.*
5. बायां फेफड़ा *Healthy.*
6. पेरिओन परकरसियम *Both chamber empty. and healthy.*
7. हृदय *Healthy.*
8. वृहद वाहिका *Healthy.*

1. परदा *Dilated and healthy.*
2. आंतों की झिल्ली *Healthy.*
3. मुंह तथा ग्रासनली, ग्रसनी *Healthy.*

Healthy and contains about 100ml dark fluid brown in colour.

4. पेट और उसके भीतर की वस्तुएं

5. छोटी आंत और उसके भीतर की वस्तुएं

6. बड़ी आंत और उसके भीतर की वस्तुएं

7. यकृत

8. प्लीहा

9. गुर्दा

10. मूत्राशय

11. भीतरी और बाहरी जननेन्द्रिय

a piece of measuring about 2 ft. x dark colored, patchy seems to be browned due to injury by some hard object, great small intestine is healthy and contain faecal matter.

Healthy and contain small amount of faecal matter.

Healthy.

Healthy.

Healthy.

Healthy and empty.

Healthy.

as described - पोशक और अस्थियां

1. चोट Nil.

2. बिमारी का विकृति Nil.

3. हड्डी का टूटना Nil.

4. हड्डी का सरकना Nil.

injury describe all are caused

चोट या बीमारी का ब्यरवार विकरण और उसकी अवधि और कारण के संबंध में मत

शरीर में फाइंड वस्तुओं (जैसे गोली आदि) को सूची और विकरण और उनके स्थानों में अभ्युक्त -
 removed from his body examined and paired, sealed and handed over to police. following cloths are needed for need full. 1) gray sock, 2) green white shirt 3) bluish inner 4) white banyan 5) black pant and 6) blue under wear.

शव के साथ शव के लिए लेजे गई वस्तुओं के संबंध में अभ्युक्ति -
 and sealed, paired, preserved in saturated salt solⁿ with the advice for chemical analysis to detect diatoms in the femur bone and other chemical examination required as per investigation of police. they are paired in separate bottles as follows
 1) pieces of heart, lung, liver, spleen & kidney 2) pieces of stomach, small intestine & their contents in saturated salt solⁿ.

आंत को सुरक्षित रखने के संबंध में और रसायन विश्लेषक, सीरम विज्ञानी या अन्य विशेषज्ञ द्वारा वस्तुओं की आगे जांच कराई जाने के संबंध में मत :-

In own Opinion cause of death of Akhlesh K. Sahu
सहज का कारण और उसका प्रकार (अव्यवस्था या हत्या) के सम्बन्ध में चिकित्सालय सहायक/सहायक सर्जन का मत
s/o Bharat Lal Sahu is shock produced by injury to small intestine. the injury is caused by hard and blunt object.

The duration of death is 2 to 5 days.

① Dist-Hospital Waidhan
Dist-Singrauli (M.P.)
Medical Officer

14/12/13

Dr. Balendrak. Shah

तारीख

② (हस्ताक्षरित) Dr. G.S. Saini

③ सहायक सर्जन/चिकित्सालय सहायक
Dr. B. Singh

Medical Officer
Dist-Hospital Waidhan
Dist-Singrauli (M.P.)

इसकी एक प्रति वस्तुएं भेजने वाले अधिकारी को तत्काल भेजी जायगी और दूसरी प्रति पुलिस अधीक्षक को अग्रेषित की जानी चाहिए.

तारीख

(हस्ताक्षरित)

सिविल सर्जन (स्थान)

सम्मननीय मुख्य मंत्री महोदय,
(म0प्र0) शासन भोपाल।

विषय :- प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह की पुलिस अधीक्षक सिंगरौली जयदेवन ए एवं नगर निरीक्षक वैढन आर0एस0 राजपूत द्वारा अन्य पुलिस कर्मियों के सहयोग से हत्या कारित कर शव कुये में फेक देने तथा उससे उपजे जन आक्रोश को दबाने एवं अपराध को छिपाने के आशय से कलेक्टर सिंगरौली एम0 सेलवेन्द्रन द्वारा स्वतः पुलिस बल का नेतृत्व करते हुए गोली चलाकर जुम्मे की नवाज के लिए जाने वाले नकीब अहमद की मृत्यु कारित करने और उनके परिजनो सहित अनेक छात्रों को गम्भीर रूप से घायल कर देने की घटना की जांच केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो से कराने हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

प्रार्थी का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :-

1. घटना का विवरण -- दिनांक 05.12.2013 को रात्री लगभग 12 बजे प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह उक्त दोनो पुलिस अधिकारी अन्य पुलिस कर्मियों के सहयोग से उसके मामा शिव सागर शाह साकिन अमझर के घर से तब उठा लाई थी जब उसके मामा के दो पुत्रों कमशः विजय कृष्ण शाह एवं संजय कृष्ण शाह से हप्ता वसूली न मिलने पर व उनके घर में न होने पर उनकी नई टाटा सफारी वाहन हाइड्रा से उठाता देख उन्हें चाभी देने गया था। प्रार्थी की शिकायत पर उक्त पुलिस अधीक्षक व टी0आई0 द्वारा कहा गया था कि विजय कृष्ण शाह एवं संजय कृष्ण शाह साकिन अमझर को पेश कर देने पर वह प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह को सुरक्षित छोड़ देंगे जिस पर दिनांक 11.12.2013 को टी0आई0 वैढन के समक्ष संजय कृष्ण शाह को समर्पित कर दिया गया और दिनांक 12.12.2013 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह को दिनांक 13.12.2013 को शुबह 10 बजे तक पुलिस थाना वैढन द्वारा रिहा न किए जाने पर ग्राम वासियों द्वारा पुलिस थाना वैढन के समक्ष घटना एवं प्रदर्शन करने की सूचना दी गई थी। संजय कृष्ण शाह को दिनांक 12.12.2013 को ही पुलिस थाना वैढन अतिशय यातना देकर उसे घायल अवस्था में उसके घर पुलिस थाना वैढन द्वारा छोड़ दिया गया था तब से नेहरू चिकित्सालय जयन्त में भर्ती कराया गया था जहां से रेफर कर दिये जाने पर अब उसकी चिकित्सा वाराणसी में कराई जा रही है। दिनांक 13.12.2013 को ग्राम अमझर के एक कुये में प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह का शव बरामद हुआ। पुलिस हिरासत में प्रार्थी के पुत्र की मृत्यु होने पर जिला मुख्यालय सिंगरौली व उसके आस-पास उत्पन्न जन आक्रोश को दबाने तथा अपराध को छिपाने के आशय से कलेक्टर सिंगरौली द्वारा स्वयं पुलिस बल

का नेतृत्व करते हुये जिला मुख्यालय के कई स्थानों पर हल्का बल प्रयोग करने के स्थान पर गोली चलवाई गई जिससे नकीब अहमद की जुम्मे की नवाज अदा करने के लिए मस्जिद की ओर जाते समय गोली लगने से मृत्यु हो गई और दर्जनों छात्रों को परीक्षा देकर विद्यालय से निकलते ही गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो चुके हैं जिनका इलाज चल रहा है। मृतक नकीब अहमद को जिला चिकित्सालय वैढन ले जाने पर उनके परिजनों एवं चिकित्सालय के अन्य मरीजों को भी कलेक्टर सिंगरौली की अगुवाई में पुलिस बल द्वारा लाठियों से पिटाई की गई जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुये।

2. घटना की साक्ष्य — (अ) प्रार्थी के पुत्र को दिनांक 05.12.2013 को अंतिम बार जिवित अवस्था में तब देखा गया था जब ग्राम अमझर से उसे टाटा सफारी वाहन के साथ उक्त पुलिस अधिकारी अपने साथ ले गये थे और उसके पश्चात् दिनांक 13.12.2013 को उसका शव ग्राम अमझर के एक कुप से बरामद हुआ था।

(ब) दिनांक 12.12.2013 को रात्रि में ग्राम अमझर में पुलिस कर्मियों के कई वाहन उस कुप की तरफ आते-जाते दिखाई दिए थे जहाँ से प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह का शव बरामद हुआ था।

(स) प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह का पोस्टमार्टम किए जाने से जो तथ्य ज्ञात हुए हैं उससे यह प्रमाणित होता है कि उसे बाध कर और उल्टा लटका कर उसे यातना दी गई थी और उसकी मृत्यु उसकी छोटी आत में उपगत की गई चोटो के कारण हुये आघात से हुई है।

(द) दिनांक 06.12.2013 को प्रार्थी द्वारा दूरभाष पर समय 7.47 पी0एम0 पर पुलिस अधीक्षक सिंगरौली जयदेवन ए0 से बात किये जाने पर उन्होंने अखिलेश कुमार शाह को पुलिस अभिरक्षा में होने की तथा उसके सुरक्षित होने की जानकारी दी गई थी जिसे मोबाईल काल डिटेल्स निकाले जाने पर प्रार्थी की मोबाईल नम्बर 09826861168 पर हुई वार्ता को प्रमाणित किया जा सकता है।

3. घटना की मजिस्ट्रीयल अथवा न्यायिक जांच :- अब तक इस तरह की जांच कराए जाने का जो इतिहास रहा है उससे भली-भाति प्रकट होता है कि घटना पर पर्दा डालने अथवा वास्तविक अपराधी को बचाये जाने के लिए ही इस तरह की जांच का उपयोग होता रहा है।

मान्यवर ? राज्य के एक नागरिक की राज्य के वारिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवैध धन वासूली के लिए हत्या कर दी जाय और राज्य उनके अपराध छुपाने के लिए सहयोग करे तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि वह अधिकारी भविष्य में भी राज्य के नेतृत्व की साख पर इससे भी गम्भीर चोट पहुचायेगे।

मान्यवर ? सिंगरौली के लोगे आपके नेतृत्व के प्रति अतिसय आस्था रखते रहे है आशा है कि आप उसे बनाए रखेगे और उक्त घटना की निष्पक्ष जांच के लिए मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रेषित करेगे जिससे हत्या जघन्य अपराधी को दण्डित करने में समुचित सहयोग प्रदान करेगे।

स्थान - वैढन

दिनांक - 25/12/2013

प्रार्थी



1- भरत लाल शाह तनय स्व0
विश्वनाथ शाह

2- श्रीमती लीलावती शाह पत्नी

भरत लाल शाह

घोनों - निवासी ग्राम बिलौजी
तेलियान थाना वैढन तह0 व
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

लीलावती

प्रतिलिपि -

1. मानवा अधिकार आयोग अध्यक्ष भोपाल।
2. मानवा अधिकार आयोग अध्यक्ष नई दिल्ली।

सम्मननीय मुख्य मंत्री महोदय,
(म0प्र0) शासन भोपाल।

विषय :- प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह की पुलिस अधीक्षक सिंगरौली जयदेवन ए एवं नगर निरीक्षक वैद्वन आर0एस0 राजपूत द्वारा अन्य पुलिस कर्मियों के सहयोग से हत्या कारित कर शव कुये में फेक देने तथा उससे उपजे जन आक्रोश को दबाने एवं अपराध को छिपाने के आशय से कलेक्टर सिंगरौली एम0 सेलवेन्द्रन द्वारा स्वतः पुलिस बल का नेतृत्व करते हुए गोली चलाकर जुम्मे की नवाज के लिए जाने वाले नकीब अहमद की मृत्यु कारित करने और उनके परिजनो सहित अनेक छात्रों को गम्भीर रूप से घायल कर देने की घटना की जांच केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो से कराने हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

प्रार्थी का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :-

1. घटना का विवरण -- दिनांक 05.12.2013 को रात्री लगभग 12 बजे प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह उक्त दोनो पुलिस अधिकारी अन्य पुलिस कर्मियों के सहयोग से उसके मामा शिव सागर शाह साकिन अमझर के घर से तब उठा लाई थी जब उसके मामा के दो पुत्रों कृष्ण शाह एवं संजय कृष्ण शाह से हप्ता वसूली न मिलने पर व उनके घर में न होने पर उनकी नई टाटा सफारी वाहन हाइड्रा से उठाता देख उन्हें चाभी देने गया था। प्रार्थी की शिकायत पर उक्त पुलिस अधीक्षक व टी0आई0 द्वारा कहा गया था कि विजय कृष्ण शाह एवं संजय कृष्ण शाह साकिन अमझर को पेश कर देने पर वह प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह को सुरक्षित छोड़ देंगे जिस पर दिनांक 11.12.2013 को टी0आई0 वैद्वन के समक्ष संजय कृष्ण शाह को समर्पित कर दिया गया और दिनांक 12.12.2013 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह को दिनांक 13.12.2013 को शुबह 10 बजे तक पुलिस थाना वैद्वन द्वारा रिहा न किए जाने पर ग्राम वासियों द्वारा पुलिस थाना वैद्वन के समक्ष घटना एवं प्रदर्शन करने की सूचना दी गई थी। संजय कृष्ण शाह को दिनांक 12.12.2013 को ही पुलिस थाना वैद्वन अतिशय यातना देकर उसे घायल अवस्था में उसके घर पुलिस थाना वैद्वन द्वारा छोड़ दिया गया था तब से नेहरू चिकित्सालय जयन्त में भर्ती कराया गया था जहां से रेफर कर दिये जाने पर अब उसकी चिकित्सा वाराणसी में कराई जा रही है। दिनांक 13.12.2013 को ग्राम अमझर के एक कुये में प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह का शव बरामद हुआ। पुलिस हिरासत में प्रार्थी के पुत्र की मृत्यु होने पर जिला मुख्यालय सिंगरौली व उसके आस-पास उत्पन्न जन आक्रोश को दबाने तथा अपराध को छिपाने के आशय से कलेक्टर सिंगरौली द्वारा स्वयं पुलिस बल

का नेतृत्व करते हुये जिला मुख्यालय के कई स्थानों पर हल्का बल प्रयोग करने के स्थान पर गोली चलवाई गई जिससे नकीब अहमद की जुम्मे की नवाज अदा करने के लिए मस्जिद की ओर जाते समय गोली लगने से मृत्यु हो गई और दर्जनों छात्रों को परीक्षा देकर विद्यालय से निकलते ही गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो चुके हैं जिनका इलाज चल रहा है। मृतक नकीब अहमद को जिला चिकित्सालय वैडन ले जाने पर उनके परिजनों एवं चिकित्सालय के अन्य मरीजों को भी कलेक्टर सिंगरौली की अगुवाई में पुलिस बल द्वारा लाठियों से पिटाई की गई जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुये।

2. घटना की साक्ष्य — (अ) प्रार्थी के पुत्र को दिनांक 05.12.2013 को अंतिम बार जिवित अवस्था में तब देखा गया था जब ग्राम अमझर से उसे टाटा सफारी वाहन के साथ उक्त पुलिस अधिकारी अपने साथ ले गये थे और उसके पश्चात् दिनांक 13.12.2013 को उसका शव ग्राम अमझर के एक कुप से बरामद हुआ था।

(ब) दिनांक 12.12.2013 को रात्रि में ग्राम अमझर में पुलिस कर्मियों के कई वाहन उस कुप की तरफ आते-जाते दिखाई दिए थे जहाँ से प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह का शव बरामद हुआ था।

(स) प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह का पोस्टमार्टम किए जाने से जो तथ्य ज्ञात हुए हैं उससे यह प्रमाणित होता है कि उसे बाध कर और उल्टा लटका कर उसे यातना दी गई थी और उसकी मृत्यु उसकी छोटी आत में उपगत की गई चोटों के कारण हुये आघात से हुई है।

(द) दिनांक 06.12.2013 को प्रार्थी द्वारा दूरभाष पर समय 7.47 पी0एम0 पर पुलिस अधीक्षक सिंगरौली जयदेवन ए0 से बात किये जाने पर उन्होने अखिलेश कुमार शाह को पुलिस अभिरक्षा में होने की तथा उसके सुरक्षित होने की जानकारी दी गई थी जिसे मोबाईल काल डिटेल्स निकाले जाने पर प्रार्थी की मोबाईल नम्बर 09826861168 पर हुई वार्ता को प्रमाणित किया जा सकता है।

3. घटना की मजिस्ट्रीयल अथवा न्यायिक जांच :- अब तक इस तरह की जांच कराए जाने का जो इतिहास रहा है उससे भली-भांति प्रकट होता है कि घटना पर पर्दा डालने अथवा वास्तविक अपराधी को बचाये जाने के लिए ही इस तरह की जांच का उपयोग होता रहा है।

मान्यवर ? राज्य के एक नागरिक की राज्य के वारिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवैध धन वासूली के लिए हत्या कर दी जाय और राज्य उनके अपराध छुपाने के लिए सहयोग करे तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि वह अधिकारी भविष्य में भी राज्य के नेतृत्व की साख पर इससे भी गम्भीर चोट पहुंचायेगे।

सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय (3)
(140990) शासन भोपाल।

मान्यवर ? सिंगरौली के लोगे आपके नेतृत्व के प्रति अतिसय आस्था रखते रहे है आशा है कि आप उसे बनाए रखेगे और उक्त घटना की निष्पक्ष जांच के लिए मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रेषित करेगे जिससे हत्या जघन्य अपराधी को दण्डित करने में समुचित सहयोग प्रदान करेगे।

स्थान - वैढन

दिनांक - 25/12/2013

प्रार्थी

1- भरत लाल शाह तनय स्व0
विश्वनाथ शाह

2- श्रीमती लीलावती शाह पत्नी
भरत लाल शाह

लीलावती

द्वानों - निवासी ग्राम बिलौंजी
तेलियान थाना वैढन तह0 व
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

प्रतिलिपि -

1. मानवा अधिकार आयोग अध्यक्ष भोपाल।
2. मानवा अधिकार आयोग अध्यक्ष नई दिल्ली।

श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय,
कोतवाली वैद्वन जिला
सिंगरौली (म.प्र.)

विषय :- दिनांक 05.12.2013 को सायं 5 बजे के लगभग से प्रार्थी का पुत्र
अखिलेश कुमार शाह के लापता हो जाने के संबंध में।

मान्यवर,

निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम बिलौंजी तेलियान वार्ड नं० 42 नगर पालिक निगम सिंगरौली थाना वैद्वन जिला सिंगरौली का निवासी है। रजिस्ट्रार कार्यालय परिशर में टाइपिस्ट का कार्य कारता है। दिनांक 05.12.2013 को अपने टाइपिंग कार्य से फुरसत होकर लगभग 6 बजे प्रार्थी अपने निवास ग्राम बिलौंजी तेलियान गया तो घर में प्रार्थी का पुत्र अखिलेश कुमार शाह उम्र 27 वर्ष नहीं था। घर में पूछने पर पता चला कि वह अपने मामा के घर ग्राम अमझर गया हुआ है, यह जान कर प्रार्थी निश्चिन्त हो गया किन्तु दूसरे दिन दिनांक 06.12.2013 को सायं 6 बजे तक जब प्रार्थी का पुत्र घर वापस नहीं आया तब प्रार्थी ने ग्राम अमझर में अपने साले शिव सागर से फोन कर अखिलेश कुमार शाह के बारे में पता लगाया तो शिव सागर ने बताया कि कल दिनांक 05.12.2013 को रात्रि में 12 बजे वैद्वन थाने के 4 सिपाही आये थे हम लोग घर में सो रहे थे। हम लोगों को जमाकर विजय कृष्ण शाह के बारे में पूछे कि वह कहाँ है तब हम लोगों ने बताया कि वह घर में नहीं है तब उक्त 4 सिपाहियों में से एक सिपाही ने फोन करके हाइड्रा मगाया और घर के बाहर खड़ी नई टाटा सफारी वाहन जिसे खरीदे हुए लगभग 20 दिन हुआ है जिसका पंजियन क्रमांक भी अभी प्राप्त नहीं हुआ है, को हाइड्रा से उठा कर ले जाने लगे। हम लोगों ने मना किया तो सफारी गाड़ी की चाभी मांगे घर के अन्दर से चाभी लाकर अखिलेश कुमार शाह ने पुलिस वालों को चाभी दिया जिस पर पुलिस वाले सफारी गाड़ी के साथ अखिलेश कुमार को भी वैद्वन थाने ले गये उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर मैं प्रार्थी एस०पी० सिंगरौली को दिनांक 06.12.2013 को सायं 7.47 बजे फोन पर बात किया तो एस०पी० सिंगरौली ने बताया कि अखिलेश कुमार शाह पुलिस के कब्जे में है पुलिस को विजय कृष्ण शाह की तलास है जो अखिलेश का ममेरा भाई है। विजय कृष्ण शाह को थाने में हाजिर कर दो तो अखिलेश कुमार शाह को छोड़ दिया जायेगा। इसके बाद दिनांक 07.12.2013 को मैं प्रार्थी सिंगरौली जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राम निवास शाह एवं सिंगरौली विकाश क्षेत्र प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री नरेश शाह के साथ एस०पी० कार्यालय में गया और अपने लड़के को छोड़ने की बात किया तो

एस0पी0 सिंगरौली पूर्व में हुई बात चीत से मुकर गये और कहा कि पुलिस वाले केवल सफारी गाड़ी थाने में लाये है अखिलेश कुमार शाह को नहीं लाये हैं। एस0पी0 सिंगरौली की बात से प्रार्थी काफी भयभीत एवं चिन्तित हो गया तथा आस-पास की रिस्तेदारी में अपने बेटे अखिलेश कुमार शाह का पता लगाने गया किन्तु जब कोई पता नही लगा तब दिनांक 08.12.2013 को उक्त सम्पूर्ण तथ्यों के साथ प्रार्थी थाना वैढन में रिपोर्ट करना चाहा तो थाना वैढन के टी0आई0, आर0एस0 राजपूत ने प्रार्थी से कहा कि उक्त सभी बातों को रिपोर्ट में लिखाओगे तो काफी परेशानी में फँस जाओगे इस-लिए साधारण गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दो और दो दिन में हम तुम्हारे लड़के को ढुढकर पहुँचा देंगे। टी0आई0 वैढन के उक्त आश्वासन पर टी0आई0 के कहे अनुसार प्रार्थी ने एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 08.12.2013 को थाना वैढन में दिया किन्तु दिनांक 10.12.2013 तक प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह का पता नहीं चला। आज दिनांक 11.12.2013 को प्रार्थी पुनः टी0आई0 वैढन से मिला और अपने पुत्र अखिलेश कुमार शाह के बारे में पूछताछ किया तो टी0आई0 वैढन ने यह धमकी दिया कि अखिलेश कुमार शाह के बारे में ज्यादा पूछताछ करोगे तो तुम्हे भी थाने में बन्द कर लेंगे। टी0आई0 वैढन के उक्त व्यवहार से प्रार्थी काफी छुब्ध है तथा प्रार्थी को आशंका है कि टी0आई0 वैढन के सहयोग से पुलिस थाना वैढन के सिपाहियों ने प्रार्थी के पुत्र की हत्या कर दी है तथा हत्या के अपराध को छिपाने एवं उससे बचने के लिए वैढन थाना की पुलिस तरह-तरह के बहाने बताकर तथ्यों को छिपा रही है।

अतः रिपोर्ट कर विनय है कि उक्त के संबंध में विधिवत जांच कर प्रार्थी के पुत्र अखिलेश कुमार शाह का पता लगाये जाने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही किए जाने की कृपा की जाय।

स्थान - वैढन

दिनांक - 11.12.2013



प्रार्थी

भरत लाल शाह तनय स्व0
विश्वनाथ शाह निवासी ग्राम
बिलौंजी तेलियान वार्ड नं0 42 थाना
वैढन तहसील व जिला सिंगरौली
(म.प्र.)

प्रतिलिपि -

- ✓ 1. श्रीमान पुलिस अधिक्षक महोदय जिला सिंगरौली
- ✓ 2. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला सिंगरौली
- ✓ 3. श्रीमान पुलिस महा निरीक्षक महोदय रीवा
- ✓ 4. श्रीमान पुलिस महा निदेशक महोदय भोपाल
- ✓ 5. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल
- ✓ 6. श्रीमान मुख्य सेत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

I.G. Rewa

TRANSMISSION REPORT

11-12-2013 12:48:10 FAX ID: COMPANY NAME:

DATE	START TIME	DURATION	REMOTE ID	PAGES
11-12-2013	12:45:51	02'15"	07662241971	002

<RESULT>:GOOD

C.M.

TRANSMISSION REPORT

11-12-2013 12:29:45 FAX ID: COMPANY NAME:

DATE	START TIME	DURATION	REMOTE ID	PAGES
11-12-2013	12:28:04	01'37"	07552441781	002

<RESULT>:GOOD

D.G.P.

TRANSMISSION REPORT

11-12-2013 12:27:22 FAX ID: COMPANY NAME:

DATE	START TIME	DURATION	REMOTE ID	PAGES
11-12-2013	12:25:30	01'48"	07552443501	002

<RESULT>:GOOD

TRANSMISSION REPORT

11 12 2013 12:44:27 FAX ID:

COMPANY NAME:

DATE	START TIME	DURATION	REMOTE ID	PAGES
11-12-2013	12:42:45	01'38"	07552551521	002
<RESULT>:GOOD				

कृष्ण वाचिव, मध्य

TRANSMISSION REPORT

11 12-2013 12:11:54 FAX ID:

COMPANY NAME:

DATE	START TIME	DURATION	REMOTE ID	PAGES
11-12-2013	12:08:26	03'24"	07805234540	002
<RESULT>:GOOD				

श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय सिंगरौली, जिला सिंगरौली ॥ म०प्र० ॥

विषय:- अखिलेश कुमार शाह तनय भरतलाल शाह, उम्र 27 साल, निवासी ग्राम बिलौजी तेलियान, थाना वैदण, जिला सिंगरौली ॥ म०प्र० ॥ को पुलिस थाना वैदण द्वारा दिनांक 5.12.13 की रात्रि 11-12 बजे से अकारण ही थाना वैदण में बन्द किये जाने के बिरोध में ग्रामवासियों द्वारा पुलिस थाना वैदण के समक्ष धरना दिये जाने बाबत सूचना ।

महोदय,

निवेदन है कि अखिलेश कुमार शाह तनय भरतलाल शाह, निवासी ग्राम बिलौजी तेलियान, पो० वैदण, तहसील व जिला सिंगरौली ॥ म०प्र० ॥ को पुलिस थाना वैदण द्वारा दिनांक 5.12.2013 की रात्रि लगभग 11-12 बजे से अकारण ही थाना में बन्द करके रखा गया है, तथा पूछने पर थाना वैदण के टी.आई. गोल मटोल जबाब देते है, तथा उसे न तो न्यायालय में पेश कर रहे है और न ही छोड़ रहे है । ऐसी स्थिति में आशंका व्यक्त की जा रही है कि पुलिस थाना वैदण द्वारा अखिलेश कुमार शाह की हत्या कर दी गई है । पुलिस वैदण के उक्त कृत्य से हम ग्रामवासी अत्यधिक आक्रोशित है, तथा उसका प्रतिवाद करने हेतु पुलिस थाना वैदण के समक्ष धरना प्रदर्शन करने जा रहे है । यदि दिनांक 13.12.13 के सुबह 10 बजे तक अखिलेश कुमार शाह को पुलिस थाना वैदण द्वारा नहीं छोड़ा गया तो हम ग्रामवासी पुलिस थाना वैदण के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे, उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी ।

दिनांक 12.12.2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. पुलिस अधीक्षक सिंगरौली ॥ म०प्र० ॥
2. कलेक्टर महोदय सिंगरौली ॥ म०प्र० ॥
3. पुलिस महानिरीक्षक रीवा ॥ म०प्र० ॥

प्राथमिक/ग्रामवासी

(भरतलाल शाह)

(हरिचन्द्र साह)

अकलाल शाह

(सुमन शर्मा)

राजलाल

सुमन शर्मा
राजलाल

Recd

12-12-13

12-12-13

Handwritten text at the top left, possibly a header or title.

Handwritten text at the top right, possibly a date or reference number.

प्रस्तावना

सुभाष चंद्र बोस

सुभाष चंद्र बोस

सुभाष चंद्र बोस

(Satyendra Shikha)

सुभाष चंद्र बोस

Handwritten signature and text on the right side.

24 घंटे बाद निकाला गया अखिलेश का शव



सिंगरौली, बँडन

दूस दिनों से लगातार अखिलेश शाह के हत्या की अंशुका को लेकर सिंगरौली में शुक्रवार को सुनह आठ बजे से ही हुये बवाल एवं शासकीय वाहनो में आगबनी को गई है। वहीं मुकदमे अखिलेश शाह पिछले दिनों ममेरे भाई संजय शाह के घर अगड़र गया हुआ था। संजय के विरुद्ध कोतवाली बँडन में किन्ही मामले को लेकर मामला पंजीबद्ध था पुलिस की भुनक लगती ही संजय घर से प्यार हो गया और संजय के घर से ही मुकदमे अखिलेश पुलिस के हाथ चढ़ गया। और पुलिस अखिलेश को कोतवाली से आबी ऐसा कहना संजय शाह जो नेहरू शातब्दी चिकित्सालय में भर्ती है। उसने आई जी रीवा रेज आर के गुना व सम्मान आमुक

प्रदीप खरे के समक्ष बताया कि पुलिस ने अखिलेश को मार कर उसकी हत्या की है व मुझे पुलिस ने यह कहलवाने के लिए प्यार है कि तुम यह बयान दो कि मुकदमे अखिलेश मरे साथ ही था और वह गाड़ी से चढ़ कर भाग रहा था। कि वह कुआ में जा गिरा है ऐसा बयान देने के लिए पुलिस हमे प्रमाणित कर असबाल मे भर्ती कराया है। वहीं प्रताप दर्शिले के अनुसार संजय शाह की हालत चिन्ताजनक बनी हुई है। शहर के तीन थाना क्षेत्रो मे मोरवा, विन्ध्यनगर, बँडन कोतवाली मे कर्षु 24 घंटे से लगा हुआ है। व 15.12.2013 तक लगे होने की अंशुका बताई जा रही है। जिससे आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है स्थानीय खबसी पुलिस के खीप से घर से बाहर नही निकल पा रहे है रोज मरी

चार जघन्यो ने किया शव का पीएम



को जरूरते पूरी नहीं हो पा रहा है। मुकदमे अखिलेश शाह का पोस्ट मार्टम नेहरू शातब्दी चिकित्सालय जयपत में पुलिस महानिरीक्षक आर के गुना सम्मान आमुक प्रदीप खर जिला कलेक्टर एम सेल्वेन्द्रन के सामने डकटरो की गठित टीम ने पोस्ट मार्टम आज सुबह 11:00 बजे किया है। पोस्ट मार्टम के तत्काल बाद मुकदमे के शव को परिजनों को सौंपा व प्रशासनिक अधिकारी मीके पर मौजूद हो कर बेलीजी तेलियाम मे अन्तिम संस्कार कर दिया गया है। वहीं मुकदमे में लीलावती बहन सावित्री, सुभद्रा, गायत्री पत्नी संगीता का रो रो कर दुगु हल है। विगत दो तीन वर्ष पहले ही उसकी शादी संगीता से हुई थी वहीं दूसरी तरफ पुलिस को गोली से हुये मुकदमे अहमद सिद्धिकी के शव को पुनः प्रशासन को वापस कर दिया

गया है। जिस शव को नेहरू शातब्दी चिकित्सालय के शव गृह मे रखा गया है। समाचार लिखे जाने तक नकीब अहमद सिद्धिकी के शव को परिजनों ने नहीं लिया है। जिला अस्पताल में अनुपस्थित रहे डाक्टर बँड रही देवा विररुण प्रणाली, नर्सिंग स्टाफके भरोसे रहे सैकडो मरीजो जिला चिकित्सालय बँडन सिंगरौली का सामना करना पडा शहर मे दंगा एवं कर्षु होने के कारण अस्पताल मे डाक्टर नही पहुँचे वही जिससे जिला अस्पताल मे भर्ती मरीजो को आब खासी मशरूबत का सामना करना पडा शहर मे दंगा एवं कर्षु होने के कारण अस्पताल मे डाक्टर नही पहुँचे वही जिससे जिला अस्पताल मे भर्ती मरीजो को भारी परेशानी का सामना करना पडा।

इनका कहना है

जिले के तीन थाना क्षेत्र बँडन विन्ध्यनगर मोरवा कर्षु लगाया गया है। जो कत नकीब अहमद सिद्धिकी के अन्तिम संस्कार के बाद शहर के स्थिति को देखने के बाद रविवार का शाम तक कर्षु समाप्त कर लिया जावेगा।

एम सेल्वेन्द्रन
जिला कलेक्टर सिंगरौली
जिला मुख्यालय में पब्लिक के द्वारा किये जा रहे दंगो में पुलिस प्रशासन व्यस्त रही व पर्यति बल न होने के वजह से शव को कुआ से निकालने मे देरी हुई है। स्थिति पर नियंत्रण हो गया है। शहर मे आह आह पर कुल 900 सौ बल लगातार किया गया है।
आर के गुना
पुलिस महानिरीक्षक रीवा रेज



अखिलेश की मौत पर बवाल

10 दिन से गायब बेलौजी तेलियान निवासी भरत लाल शाह के 27 वर्षीय पुत्र अखिलेश शाह का शव आज बेलौहा टोला के एक कुएं में बरामद होने के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल किया। पुलिस द्वारा अखिलेश की हत्या किये जाने का आरोप लगाते हुये हजारों लोगों ने तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया।

3. आक्रोशित नागरिकों का गुस्सा फूटा, तीन पुलिस वाहनों को किया आग के हवाले

सिंगराली, बँदू

आक्रोशित भीड़ ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमकर पथरबाजी एवं तोड़फोड़ की। भीड़ का गुस्सा रैस्ट हाउस में खड़े कलेक्टर के वाहन पर भी उतरा, जिसे आक्रोशित लोगों ने जला दिया। 4 घंटे तक चले इस बवाल में कई पुलिस कर्मी एवं स्थानीय नागरिक घायल भी हुये हैं। आक्रोशित भीड़ को निरत विचार करने के लिये पहले पुलिस ने अश्रु गैस के गाले छोड़े। जब स्थिति नियंत्रित नहीं हुई तो पुलिस ने हवाई फायर किया। जिससे एक युवक की गोली लगने से जिला चिकित्सालय में मौत हो गयी। फायरिंग में दो अन्य युवक घायल हो गये। बिन्हें उपचार के लिये चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

जहाँ उनकी हालत खतरों से बाहर बतायी जा रही है। वहीं इस घटना के बाद बँदून सहित आसपास के तीन थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गयी है एवं बँदून में जगह जगह पुलिस छावनी बना दी गयी है। मिली जानकारी के मुताबिक बेलौजी तेलियान निवासी भरत लाल शाह के 27 वर्षीय पुत्र 10 दिन पूर्व से गायब था। परिजनों के मुताबिक जब उनका पुत्र अपने मामा के यहाँ अमरसर गया था। वहीं पुलिस वाले रात को उसे उठा लाये थे। बाद में पुलिस से अपने पुत्र की जानकारी लेने पर उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी। परिजनों के मुताबिक पुलिस प्रताड़ना एवं पुलिस की मार से उसके

उपद्रवियों ने जमकर काटा बवाल

अखिलेश शाह की मौत की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय व्यापारियों एवं छात्रों ने जमकर बवाल काटा। व्यापारी एवं छात्र आक्रोशित होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे एवं भीड़ का हुजूम कई वाहनों को आग के हवाले कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी तोड़ फोड़ करते हुये पथरबाजी की। जबवाब में पुलिस द्वारा भी उपद्रवियों पर लाठी चार्ज किया। पुलिस ने कई बार उपद्रवियों को दौड़ा-दौड़ा कर

पुत्र ने दम तोड़ दिया और पुलिस ने उसे बेलौहा टोला के एक कुएं में फेंक दिया। आज सुबह जब बेलौहा टोला में एक युवक के शव मिलने की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी तो लोगों का जमजम बेलौहा टोला में होने लगा। मुत्तक के परिजनों ने मुत्तक के कपड़े से उसकी पहचान अखिलेश शाह के रूप में की। जिसके बाद आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूटने लगा। एक-एक कर सैकड़ों लोग बेलौजी मुख्य मार्ग पर जमा हो गये और

दोनों तरफ से रास्ते का आवागमन बाधित कर दिया। आक्रोशित लोगों का गुस्सा पुलिस का इस कदर हावी था कि आक्रोशित लोगों ने पुलिस के दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित भीड़ के आगे पुलिस प्रशासन वेवस नबर आया। भीड़ का गुस्सा इतने में नहीं थमा। भीड़ का संलाव अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर बढ़ गया था जहाँ पहले से मौजूद पुलिस बल द्वारा कार्यालय के गेट बन्द कर सुरक्षा के इंतजाम किये। परन्तु दोनों तरफ से हुई पथरबाजी में कुछ लोगों को चोटें आयीं। वहीं पथरबाजी में कुछ पुलिस वालों को भी पथर लगने की जानकारी मिली है। इसके पश्चात आक्रोशित भीड़ फिर से बिलौजी की तरफ कूच कर गयी। भीड़ ने रैस्ट हाउस के पास खड़े कलेक्टर के वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं जिला चिकित्सालय के पास मोखा थाने के वाहन को भी फेंक दिया। आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिये पुलिस ने कई बार लाठी चार्ज भी किया। परन्तु आक्रोशित भीड़ नियंत्रित नहीं हो




पुलिस फायरिंग में एक की मौत, एक गंभीर

8 घंटे बाधित रहा आवागमन

शहर में अधिबिंत सन्नाटा

मुत्तक के शव का नहीं हुआ पोस्टमार्टम

10 दिन से गायब अखिलेश शाह के शव के कुएं में मिलने की जानकारी के बाद घंटों स्थल पर आक्रोशित ग्रामीणों एवं लोगों के भीड़ के कारण अब तक न तो पुलिस ने कुएं से मुत्तक अखिलेश शाह का शव बरामद किया है और न ही उसका पोस्टमार्टम हुआ। आक्रोशित लोगों का कहना है कि मुत्तक के शव का पोस्टमार्टम 4 डायक्टरों की टीम से नियुक्त कराया जाना चाहिए। जिससे अखिलेश के मौत की वजह का खुलासा हो सके। वहीं जिला कलेक्टर ने दम मांगते के न्यायिक जांच के आदेश भी दे किये हैं।



Human Rights in the Cold in the Coal Capital

Fact Finding Report

Unlawful arrest and detention and custodial torture leading to the death of Akhilesh Shah, Custodial torture of Sanjay Shah, and death of Naqeeb Ahmad Siddiqui due to unprovoked police firing in Singrauli, Madhya Pradesh